एस0सी0पी0नं0 8648/92

प्रतिलिपि कमल सम्पूर्णानंद .... जो कि श्री ~~जे. के. पी. राजपूत~~ डी. के. रवा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. शान्ताराम मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- वार्ड आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोखई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेठू आ0 राजेन सिंह सेठू,
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

(45)

C.A.N. = 4794/95

76 अभियोजन की ओर से

30-11-95 30 वर्ष

संपूर्णानंद उर्फ एस०एन०राव

श्री जगन्नाथ राव मजदूरी

कैम्प-1, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

पहले मैं.30.90. में रहता था और सन् 1980 से भिलाई में रह रहा हूं। मैं पहले मेडिकल स्टोर में काम किया उसके बाद केडिया के यहा सिक्युरिटी गार्ड के रूप में काम किया, उसके पश्चात मैं भिलाई वायर्स में काम किया। मैं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश को नहीं जानता। मैं अभियुक्त अधेश राय को भी नहीं जानता.।

2. जब मैं भिलाई वायर्स में सिक्युरिटी गार्ड के रूप में काम करताथा उस समय बी०के० सिंह फील्ड आफिसर थे। बी०के० सिंह का कार्य गार्डों की ड्यूटी लगाना था। मुझे 3-10-91 को ज्ञानप्रकाश नहीं बुलाया था। उसने मुझे कोई सामान नहीं दिया था। मुझसे पुलिसवालों ने और सी०बी०आई० वालों ने पूछताछ कियाथा।

नोट :- श्री त्रिवेदी, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई।

3. यह कहना गलत है कि दि० 3-10-91 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने मुझे बुलायाथा और मेरी ड्यूटी के बारे में पूछताछ कियाथा। यह बात सही है कि दि० 3-10-91 को मेरी ड्यूटी भिलाई वायर्स में रात के 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक थी। यह कहना गलत है कि दि० 3-10-91 को अभि० ज्ञानप्रकाश ने मुझे बुलाया और 3 एस० जी० कारतूस एक कागज में लपेटकर बी०के० सिंह को देने के लिये दियाथा और मैंने उनको दियाथा। मैंने पुलिस को प्रदर्श पी-177 का अ से अ का बयान। दिनांक 3-10-91 - - बी०के० सिंह को दिया। नहीं दियाथा। इसी तरह मैंने सी०बी०आई० को प्रदर्श पी-178 का अ से अ का बयान। दि० 3-10-91 - - - - दिये थे नहीं दियाथा। पी-177 पी-178

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी अधिवक्ता वास्ते अभि० नवीन शाह.

4. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० गुलाबचंद शाह.

5. कुछ नहीं.

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अंग्य, अयेश, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

8. मुझे नहीं मालूम कि एल0जी0 क्या होती है । मैं बिना शस्त्र वाला गुरखा गार्ड हूं । मुझे हथियार और कारतूसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है मैं ज्ञानप्रकाश नाम के किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

Sd/-
(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

Sd/-
(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
5/12/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

5-12-95 5-12-95 5-12-95 2-12-95 5-12-95 5-12-95 2-12-95
5/12/95
BSG

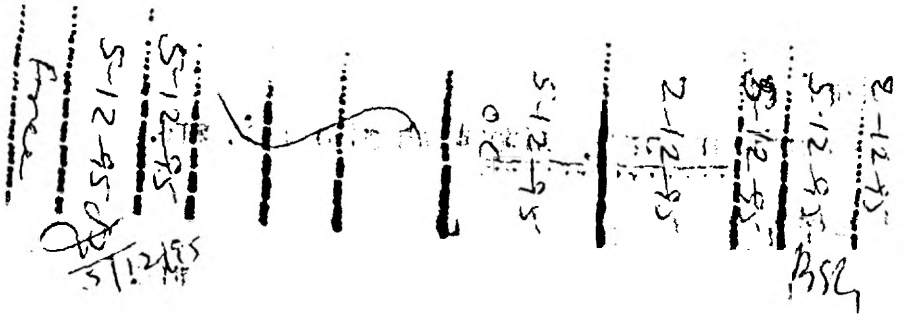

एस0टी0पी0नं0 86/8/94 दीपेन्द्र सत्र प्रतिलिपि कौशल आर. के. मिश्रा ....जो कि श्री ~~जे. के. एल.~~ राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. शान्ताराम मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामअवधलाल राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोखाई मल्लाह,
   साकिन- निमड़ी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र प्रकाश सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेंगू आ0 रावेल सिंह सेंगू
   साकिन- क्वार्टर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

सी०आर०ए० 4774/95 (5)

77 अभियोजन

30-11-95 49

आर० के० मिश्रा

राम गोपाल मिश्रा नौकरी

थाना पुरानी भिलाई दुर्ग उप निरी०

शपथपूर्वक

1. सितम्बर 91 में थाना [illegible] में मैं उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था।

2. दि० 30-9-91 को पुलिस अधीक्षक एस० पी० अग्रवाल ने मुझे निर्देश दिया था कि मृतक शंकर गुहा नियोगी के शव के शव परीक्षण के बाद जो भी वस्तु मिले उसे कब्जे में लेकर उन्हें दे दूँ। अस्पताल से मुझे डाक्टर साहब ने 3 सील बंद शीशी दिया जिसे मैं अग्रवाल साहब को दे दिया।

इसका जप्तीपत्र प्र० पी० 179 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ता० है। 179

जैसे शीशियां मुझे सील बंद हालत में मिली थी वैसे मैंने अग्रवाल साहब को दे दिया था।

××× प्रति परी० द्वारा श्री [illegible] वास्ते नवीनशाह

कुछ नहीं।

××× प्रति परी द्वारा श्री [illegible] वास्ते मूलचंदशाह

कुछ नहीं।

×× प्रति परी द्वारा श्री त्रिवेदी वास्ते अभि० चन्द्रकांत

कुछ नहीं।

×××

××× प्रति परी द्वारा श्री अशोक यादव वास्ते ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चन्द्रबक्ष, [illegible]

मेरा ध्यान नहीं ~~[illegible]~~ हुआ था।

××× प्रति परी० द्वारा श्री तिवारी वास्ते पल्टन

कुछ नहीं

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

हस्ता०

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग

मेरे निर्देश पर मुद्रित

हस्ता०

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश

दुर्ग

प्रतिलिपि विभाग [illegible] दुर्ग (म.प्र.)

एस0पी0ए0नं0 श्री ... प्रतिलिपि श्याम जी.पी. मिश्रा ---------------- जो कि श्री ~~ए.के. सेठी~~ राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञान प्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बारा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 शिकार सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोखाई मल्लाह,
   साकिन- निम्भौरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेंधू आ0 रावेल सिंह सेंधू
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

Cr.A. No. 4794/95 (58)

78 अभियोजन की ओर से

30-11-95 57 वर्ष

डा०पी०निगम

स्व०श्री डी०के०निगम सीनियर ज्वाइन डायरेक्टर

विधि विज्ञान प्रयोगशाला

शपथपूर्वक-

मैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में वर्ष 1965 से कार्यरत हूं। मैंने बैलिस्टिक की ट्रेनिंग सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी कलकत्ता एवं विभिन्न आर्डिनेंस फैक्ट्री (आयुध निर्माण कारखाना) में प्राप्त किये हैं। मैंने अब तक लगभग 1,000 प्रकरण बैलेस्टिक से संबंधित परीक्षित किये हैं तथा म०प्र० एवं राजस्थान के प्रकरणों में विभिन्न माननीय न्यायालयों में साक्ष्य दिये हैं। वर्तमान में मैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में वरिष्ठ संयुक्त संचालक के पद पर कार्यरत हूं।

2. एस०पी०, दुर्ग के चिट्ठी लेटर के द्वारा मुझे दुर्ग बुलाया गया, जो दि० 1-10-91 को प्राप्त हुआ था। मैंने दिनांक 4-10-91 को अपराध क्र०- 580/91 भा०दं०वि० धारा 302 एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट, थाना भिलाईनगर का स्थल निरीक्षण किया था। दिनांक 4-10-91 को घटनास्थल निरीक्षण के समय मेरे साथ श्री जी०एन०दुबे उप-निरीक्षक पुलिस, थाना भिलाईनगर, रेंज तकनीकी अधिकारी एफ०एस०एल० मोबाइल यूनिट, रायपुर, तकनीकी अधिकारी एफ०एस०एल० यूनिट, दुर्ग, श्री जी०एल० पटेल फोटोग्राफर मौजूद थे। विवेचना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटनास्थल क्वार्टर एम०आई०जी०-1/55 हुडको भिलाईनगर था का निरीक्षण किया। मैंने अपने निर्देशन में फोटोग्राफर जी०एल० पटेल से फोटो खिंचवाये। जनरल एवं फोटोग्राफ क्र०-1 था।

3. एक कमरे में मृतक तखत पर बिस्तर पर सो रहा होना बताया गया एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाना बताया गया था। उप-निरीक्षक श्री जी०एन०दुबे द्वारा मच्छरदानी, चादर एवं बेडशीट के टुकड़े एवं मच्छरदानी के अधजले टुकड़े 5 पैकेट में सीलबंद स्थिति में घटनास्थल पर प्रस्तुत किये गये, जिनको खोलकर निरीक्षण किया गया। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकापी भी प्रदाय की गई थी, जिसका अध्ययन किया गया। एफ०एस०एल० मोबाइल यूनिट, दुर्ग के घटनास्थल निरीक्षण दिनांक 28-9-91 के प्रतिवेदन क्र०- एफ०एस०एल०/टी०ओ०/दुर्ग/149-बी/91 दिनांक 3-10-91, घटनास्थल स्केच एवं फोटोग्राफ के आधार पर स्थिति रखकर घटनास्थल का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इसकी फोटो क्र०- 2, 3 एवं 4 इस हेतु

एक डमी रखकर विभिन्न फोटोग्राफ लिये गये व आवश्यक मेजरमेंट लिये ।
फोटो नं0-1 मकान नं0- एम0आई0जी0 1/55 का जनरल व्यू है, जिसे प्रदर्श
पी-180 अंकित किया गया, इसका निगेटिव पी-180ए है। फोटो क्र0-2 पी-180
तख्त और उसके ऊपर लगी हुई मच्छरदानी का चित्र है, इसे प्रदर्श पी-181 180ए
अंकित किया गया तथा इसका निगेटिव 181ए है । फोटो क्र0-3 तख्त,- पी-181 18
मच्छरदानी और उसके पास से खिड़की का चित्र है जो प्रदर्श पी-182 है,
निगेटिव 182 ए है । फोटो क्र0-4 खिड़की के बाहर से अंदर कमरे की पी-182, 18
मच्छरदानी, लटकी हुये उस पर आये हुये छेद को दर्शाया गया चित्र है.
जो पी-183 है निगेटिव 183ए है । पी-183

घटनास्थल के स्केच में प्रदर्शित खिड़की डबल्यू-1 की तरफ
वाले किनारे पर मच्छरदानी में एक छेद, पांच इंच x5इंच (लगभग) था. इस छेद
के किनारे स्टारनुमा आकार के थे, व किनारों (मार्जिन्स) पर जलने एवं
आसपास बाहरी साइड पर कालापन (ब्लैकनी) था । इसे फोटोग्राफ क्र0-4 (मच्छरदानी की)
(प्रदर्श पी-183 183ए में भी दर्शाया गया है । छेद की जमीन से ऊंचाई
3 फीट एक इंच थी । खिड़की डबल्यू-1 की ऊंचाई फर्श (बाहर की) (जमीन)
से 3 फीट 5 इंच थी । खिड़की डबल्यू-1 में कुल 8 आड़े लोहे के रॉड लगे
थे । इसमें खिड़की डबल्यू-1 के लकड़ी के फ्रेम एवं सबसे नीचे वाले रॉड के बीच
की दूरी 5 इंच तथा उससे ऊपर वाले रॉड की दूरी क्रमशः साढ़े चार इंच थी ।
तख्त 6 फीट x4फीट आकार का है जिसकी फर्श (कमरे की) से ऊंचाई करीब
2 फीट थी तथा तख्त से मच्छरदानी की छेद मध्य भाग की ऊंचाई एक फीट
एक इंच थी अर्थात छेद की कुल ऊंचाई 3 फीट एक इंच थी ।

5 [illegible] मृतक की स्थिति में डमी को रखकर मृतक के पीठ पर बांई ओर
ऊपर स्थित पैलेट्स से आई फोटो (एन्ट्रीवून्ड) मध्य भाग से मच्छरदानी
स्थित छेद (मध्य भाग) से आगे बढ़कर लाईनआफफायर खिड़की के कोने पर
लकड़ी के फ्रेम एवं निचले रॉड के बीच से बाहर की ओर जाती है । अतः
इस लाईनआफफायर में ही मच्छरदानी के बाहर एवं छेद के पास फायरआर्म
हुआ होगा । फोटो क्र0-5 है जो प्रदर्श पी-184 है तथा निगेटिव 184ए पी-184
है । इस फोटो में खिड़की के निचले फ्रेम और पहली रॉड के मध्य से
मच्छरदानी के छेद की दूरी और लाईन दर्शाई गई है ।

गवाह नं0:- 78 पेज क्र0-2

6. फोटो क्र0-6 प्रदर्श पी-185 है, इसकी निगेटिव 185ए है। पी-185, 18 इस फोटो में मृतक की स्थिति में डमी को रखकर मृतक के पीठ पर बाईं ओर ऊपर स्थित बैलेटस से आई चोटों एन्ट्रीवुन्ड्स के मध्य भाग से मच्छरदानी स्थित छेद (मध्य भाग) से आगे बढ़ाकर लाईन ऑफ फायर आगे दर्शाई गई है। फोटो क्र0-7 प्रदर्श पी-186 है, इसका निगेटिव पी-186ए है। फोटो क्र0-7 पी-186, में पुनः खिड़की से मच्छरदानी के छेद के मध्य भाग से मृतक की पीठ पर बाईं ओर स्थित (ऊपर) चोटों के मध्य भाग तक लाईन ऑफ फायर डमी के माध्यम से दर्शाया गया है।

7. ये सभी फोटोग्राफ्स मेरे निर्देशन, मार्गदर्शन और उपस्थिति में लिया गया है।

8. मच्छरदानी के छेद के आकार (फायर इवेंत) के किनारों पर जलने के निशान एवं आसपास बाहरी सतह पर कालापन (कालौंछ), जिसमें नाइट्रेट की उपस्थिति थी के आधार पर यह गनशॉट व्होल है। इससे मजल के अगले छोर (मजल एंड) की दूरी 6 इंच से कम (विथ इन 6 इंचेस) रही होगी। मच्छरदानी के इस छेद से मृतक को बैलेटस से आई चोटों (एन्ट्रीवुन्ड्स) की दूरी एक फीट 6 इंच के लगभग थी। तदानुसार मजल के अगले छोर मजल एंड से टारगेट की दूरी 2 फीट के लगभग रही होगी।

9. एवं परीक्षण, रिपोर्ट के अनुसार छर्रों का अधिकतम फैलाव (डिस्परशन) शरीर पर 6 से0मी0 (लगभग 2.3 इंच) व 3 ऊपर की शियल इंज्यूरी पैटर्न द्वारा आ सकती हैं। टेढ़ई एन्ट्रीवुन्ड्स के आसपास थी। एल0जी0 कारतूस [illegible] बिस्तर पर मृतक के शरीर के बाईं ओर बिखरे पाये गये। इनके प्राथमिक परीक्षण से यह 12 बोर कारतूस की पैटस (एल0जी0) के भाग होना पाये गये। पूरे 12 बोर कारतूस (एल0जी0) के होना संभावित है।

10. अतः मृतक को आई चोटें (इंज्यूरी) [illegible] वुन्ड्स हैं, जो 12 बोर के कट्टे (12 बोर कंट्री मेड पिस्टल) द्वारा कारतूस फायर करने से आना संभव है। मजल के अगले सिरे (मजल एंड) से दूरी लगभग 2 फीट एवं फायर करने की दिशा तिरछी एवं कुछ नीचे की ओर रही होगी।

11. मेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-187 है, जो मैंने टाईप कराया है । इस रिपोर्ट के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, इसके नीचे मैंने दिनांक 6-10-91 अंकित किया है । यह रिपोर्ट मैंने पुलिस-अधीक्षक, दुर्ग को भेजा था । इस रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफ क्र0- 1 से 7 तथा घटनास्थल का नक्शा -1 भी संलग्न किया गया था । यह प्रदर्श पी-188 है । नक्शा पी-188 है। इस नक्शे को मैंने अपने रिपोर्ट पी-188 में संदर्भित किया है । यह नक्शा तकनीकी अधिकारी एफ0एस0एल0 मोबाइल यूनिट, दुर्ग डॉ0 मैथिल ने बनाया है । नक्शे में अ से अ भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं । पी-187

12. तदुपरांत दिनांक 10-10-91 क्र0- स0पी0पी0/डी0/498/91 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग से थाना भिलाईनगर के अप0क्र0- 580/91 धारा 302 भा0द0वि0, 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुयें परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजी गई। उक्त पत्र प्रदर्श पी-189 है । इस पत्र के साथ जो आर्टिकल मिले थे उसकी मैंने पावती दिया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जो प्रदर्श पी-189ए है । आरक्षक शिवप्रसाद ने उक्त पत्र के साथ 1क्र0-880 थाना भिलाईनगर। सीलबंद हालत में दिनांक 14-10-91 को निम्नलिखित प्रदर्श परीक्षण हेतु प्राप्त हुये :- पी-189 पी-189ए

1। आर्टि ए मच्छरदानी, जिसे प्रदर्श सी-1 से मार्क किया गया था ।
न्यायालय में आर्टि0बी मच्छरदानी वही है ।

2। आर्टि0 बी में 6 पेट्स मिले, जिन्हें प्रदर्श डबल्यू1 से डबल्यू-6 मार्क किया गया था । न्यायालय में रखा ड्रेस आर्टिकल -ई है, जो वही है जो मेरे पास परीक्षण के लिये लाये गये थे और उनके पर्चियों पर मेरे मार्किंग व हस्ताक्षर हैं ।

3। [redacted]
आर्टि0 बी के साथ एक मच्छरदानी का छोटा टुकड़ा है, जिसे सी-ए से मार्क किया गया था, जो न्यायालय में आर्टि0- आई से मार्क किया गया है, जो मेरे पास परीक्षण के लिये लाये गये थे, इस पर मेरे मार्किंग व हस्ताक्षर हैं ।

4। आर्टि0 सी0 एक चादर है, जिसे प्रदर्श सी मार्क किया गया है, जो न्यायालय में आर्टि0 एस से मार्क किया गया है, जो वही है, जो मेरे पास परीक्षण हेतु लाया गया था, इस पर मेरे मार्किंग और हस्ताक्षर हैं ।

5। आर्टि0 डी एक सफेद बनियान है, जिसे प्रदर्श सी-2 से मार्क किया गया था । न्यायालय में इसे आर्टि0 -बी से मार्क किया गया है, जो, वही है, जिसे परीक्षण हेतु मेरे पास लाया गया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर और मार्क हैं ।

6। आर्टि0 ई 3 छर्रे हैं, जिन्हें प्रदर्श पी-1 से पी-3 तक मार्क किया गया है, न्यायालय में इसे आर्टि0- आर से मार्क किया गया है, जो वही है, जिसे परीक्षण हेतु मेरे पास लाया गया था और जिन पर मेरे मार्क और हस्ताक्षर हैं ।

गवाह न0:- 78 पेज न0-3

[2] आर्टिकल एक टिफिन का टुकड़ा है, जिसे प्रदर्श एस0के0-1 से मार्क किया गया है।

[3] आर्टिकल आरा के जो छर्रे हैं, उसे जिस कागज पर मैंने लपेटा था उस पर मेरे मार्क और हस्ताक्षर हैं, छर्रों पर नहीं हैं।

नोट :- न्यायालय का समय लगभग समाप्त होने को है, इसलिये साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना माना।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(ह0 अ0)
अपर सत्र न्यायाधीश,

(ह0 अ0)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

नोट :- साक्षी को आज दिनांक/को पुनः पूर्व प्रतिज्ञा शपथ पर साक्षी का परीक्षण पुनः प्रारंभ किया गया।

शपथपर्वक :-

[4] न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल टी पट्टी टुकड़ा व बोतल है, जिसका आर्टि-टी मैंने परीक्षण किया है। राफिये का सील आर्टि-यू वही है, जो मेरे पास परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसे मैंने आर्टिकल बी से मार्क किया था, जिन पर मेरे मार्किंग व हस्ताक्षर हैं। राफिये को सीलबंद किये सहित है। आर्टि-यू

15. उपरोक्त प्रदर्शों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जो निम्नलिखित अनुसार पाया गया :-

[1] प्रदर्श सी-1 यह एक खाकी रंग की लगभग 4 फीट x6 फी 2इंच x4फीट आकार की मच्छरदानी है, जिसमें एक किनारे पर नीचे से 17 इंच ऊपर की ओर एक छेद मौजूद है। इसे घेरा लगाकर एच-1 से मार्क किया गया था। इसका आकार लगभग 5इंच x5इंच है। यह छेद स्टारनुमा आकार का है। इस छेद की बाहरी सतह पर चारों ओर कालापन/कालिमा मौजूद है। इस छेद कि किनारों पर लेडस्टाइफनेट धनात्मक पाये गये तथा काले भाग पर नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया। मार्जिन्स पर बर्निंग के निशान पाये गये।

[2] प्रदर्श सी-2 एक कॉटन आधी बांह वाली बनियान थी, जिसमें खून जैसे दाग मौजूद थे, बनियान के पीछे बाईं ओर कंधे के पास 3 छेद मौजूद हैं, इनको घेरा लगाकर एच0-1 से मार्क किया गया था। इन छेदों का आकार क्रमशः .5इंच x .4इंच, .4इंच x .1इंच तथा .1इंच x .5इंच है। इन छेदों के किनारों पर लेड टेस्ट धनात्मक पाये गये थे। इन छेदों की अधिकतम दूरी लगभग 2.5 इंच थी।

इन छेदों के किनारों के आसपास ब्लेकनी अनुपस्थिति पाया गया, किंतु छोटे-छोटे पिन व्होल पाये गये है ।

(3) यह मृतक की चमड़ी का टुकड़ा था, जिसका आकार साढ़े 3 इंच x ढाई इंच था, जो सिकुड़ी हुई हालत में था, जिसमें 6 छेद थे, जिनका आकार लगभग .2 इंच x .2 इंच था । इन छेदों पर लेड टेस्ट धनात्मक पाये गये थे । इन छेदों के आसपास गोलाकार एब्रेजन का काला निशान पाया गया था । बर्निंग व ब्लेकनी नहीं पाई गई थी । छिद्रों का फैलाव लगभग 2.25x2.25 इंच था ।

(4) आर्टिकल सी एक सफेद लाल- रंग का चादर था, इसमें कोई गनशॉट व्होल नहीं पाया गया था, खून जैसे दाग लगे है ।

(5) आर्टिकल जी लाल व हल्की पीली धारियों के कव्हर वाला तकिया था, इसमें भी कोई गनशॉट व्होल नहीं था और खून जैसे दाग लगे है ।

(6) आर्टिकल पी-1 से पी-3 गोलाकार आंशिक विकृत शीशे (लेड) के छर्रे है, जिनका कुल वजन 3.1.661 ग्राम एवं इनका औसत वजन स्टेन्डर्ड एल0जी0 छर्रों के समान था ।

(7) आर्टिकल डबल्यू-1 से डबल्यू-6 - प्रदर्श डबल्यू-1 से डबल्यू2 गोलाकार ओव्हर शॉट पेपर वेड है, जिस पर एल0जी0 प्रिंटेड है । मेरी रिपोर्ट में पी0एम0जी0 त्रुटिपूर्ण टाईप हुआ है, जो वास्तव में एल0जी0 होना चाहिये । आर्टिकल ई जो न्यायालय में पेश है, उसमें एल0जी0 प्रिंटेड है तथा एक गोलाकार प्लास्टिक वेड पीला एवं कार्डबोर्ड गोलाकार वेड है इसका व्यास लगभग 0.73 इंच है । यह 12 बोर कारतूस के ओव्हर शॉट वेड है ।

आर्टिकल डबल्यू-3 एवं डबल्यू-4 में दो कार्ड बोर्ड कुशन वेड के आंशिक विकृत भाग है । इनका व्यास लगभग 0.74 इंच है । कुल मोटाई 0.475 इंच है । (0.475) यह 12 बोर कारतूस की कुशन वेड है । डबल्यू-5 गोलाकार कार्डबोर्ड वेड है, इसका व्यास लगभग 0.73 इंच है । तथा मोटाई 0.12 इंच है । प्रदर्श डबल्यू-6 गोलाकार कार्डबोर्ड वेड है, इनका व्यास लगभग 0.73 इंच है । डबल्यू-5 तथा डबल्यू-6 अंडरशॉट अथवा ओव्हरपावडर वेड होना चाहिये । इन सभी वेड्स पर नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया । प्रदर्श सी-1 से यह एक मच्छरदानी का खाकी रंग का टुकड़ा है इसका आकार 1 इंच x 1 इंच है । इस पर ब्लेकनी एवं जलने के निशान पाये गये है, इसमें लेड व नाइट्राइट का परीक्षण धनात्मक पाया गया ।

16. घटनास्थल निरीक्षण दि0 4-10-91 को किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को भेज दी गई थी । आर्टिकल सी0डी0 एवं जी0 को बॉयलाजी विभाग में एक्स परीक्षण हेतु क्र0- बी0आई0/5046/91 के व्दारा तथा आर्टिकल एच एवं आई क्र0- पी0/4272/91 के व्दारा विष परीक्षण हेतु बॉयलॉजी विभाग भेजे गये ।

17. उपरोक्त परीक्षण से मेरा अभिमत है कि प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-6 तक 12 बोर के चले हुये कारतूस के वेडस व उसके भाग हैं। इनमें ओवरशॉट वेडस एल0जी0 छर्रे वाले कारतूस का है।

18. प्रदर्श सी-1ए मच्छरदानी का छोटा टुकड़ा है, जिस पर ब्लेकनी, बर्निंग व लेड की उपस्थिति पाई गई थी।

19. प्रदर्श पी-1 से पी-3 तक लेड के आंशिक रूप से विकृत छर्रे थे, जिनका औसत वजन स्टैण्डर्ड एल0जी0 छर्रे के लगभग समान था एवं ये किसी स्मूथ बोर वेपन से फायर किये गये थे।

20. खाकी मच्छरदानी प्रदर्श सी0-1 पर पाया गया छेद एच-1 गनशॉट छेद है, जो लेड प्रोजेक्टाईल्स के लगने से बना है। यह प्रदर्श पी-1 से पी-3 तक जैसे छर्रों से आना संभव है। छेद एच-1 के आकार व उसके आसपास पाई ब्लेकनी एवं मार्जिन पर जलने के निशान के आधार पर फायर आर्म के मजल एंड से छिद्र की दूरी 6 इंच के अंदर रही होगी।

21. बनियान प्रदर्श सी-2 पर उपस्थित छेद, जिन्हें एच-1 से चिन्हित किया गया है, जो गनशॉट छेद हैं, जो लेड प्रोजेक्टाईल्स से आया है। ये छेद प्रदर्श पी-1 से पी-3 तक जैसे छर्रों से आना संभव है।

22. मृतक की खोपड़ी प्रदर्श सी0-1 में गनशॉट इन्जरी हैं, जो प्रदर्श पी-1 से पी-3 तक जैसे लेड प्रोजेक्टाईल से आये हैं।

23. मृतक के शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर गनशॉट इन्जरी के आसपास टैटूईंग की उपस्थिति, मच्छरदानी प्रदर्श सी0 पर आये छेद एच0-1 से मजल की दूरी 6 इंच से कम होना तथा शरीर पर छर्रों का फैलाव लगभग 2, 3 इंच होने के आधार पर, मृतक को आई चोटें किसी शार्ट बैरल वेपन/ 12 बोर की पिस्तौल तमंचा मजल छोर से लगभग 2 फीट की दूरी से फायर करने पर आना संभव है।

24. उपरोक्त परीक्षण के पश्चात उसकी रिपोर्ट तैयार किया हूं, जो प्रदर्श पी-190 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पर मेरी रबरस्टेम्प है, यह रिपोर्ट मैंने अपने निर्देशन में टाईप कराया तथा प्रत्येक पेज पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह रिपोर्ट संचालक द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को उनके हस्ताक्षर के उपरांत अग्रेषित की गई है। इस पर श्री उमेन्द्र जोशी के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर से मैं अच्छी तरह परीचित हूं। संचालक का अग्रेषण-पत्र प्रदर्श पी-191 है। पी-191

25. मैंने जिन आर्टिकल्स का परीक्षण किया उसे जांचोपरांत एफ0एस0एल0 की सील के साथ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को वापस कर दिया ।

26. दिनांक 4-10-91 को जब मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया था तब मेरे घटनास्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आर्टिकल सीलबंद हालत में मेरे समक्ष पेश किये गये थे । निरीक्षण हेतु मैंने उक्त आर्टिकल्स को खोला था । निरीक्षण कार्य संपन्न करने के बाद मैंने आर्टिकल्स को सीलबंद कर दिया था । जो उक्त आर्टि0 जब एफ0एस0एल0, सागर, में प्राप्त हुये तो वे सीलबंद हालत में प्राप्त हुये थे ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अधि0 गुलचंद शाह, नवीन शाह.

27. साक्षी को प्रदर्श डी-19ए जिसे आज प्रदर्श पी-192ए अंकित किया गया। का फोटो दिखाया गया ।

प्र0 :- उक्त फोटो में मृतक के शरीर में ऊपर के जो दो छेद दिख रहे हैं उनकी अधिकतम दूरी कितने इंच होनी चाहिये ?

उत्तर :- मेरे अनुसार उक्त दूरी करीब 2 इंच होनी चाहिये ।

मैं अपनी रिपोर्ट बनाते समय मोबाइल यूनिट, भिलाई की रिपोर्ट को संदर्भित किया था, किंतु मैं उससे प्रभावित नहीं हुआ था।

28. प्रदर्श पी-192ए के फोटो को देखकर यह कहना बहुत कठिन है कि छर्रे किस दिशा से किस दिशा की ओर गये हैं। छर्रे किस दिशा से किस दिशा की ओर गये थे यह जानने के लिये मृतक की रिपोर्ट पोस्टमार्टम देखना जरूरी है । साक्षी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर साक्षी ने कहा कि छर्रे ऊपर से नीचे की तरफ गये हुये हैं।

प्र0 :- क्या आपने जो परीक्षण रिपोर्ट दी है, मृतक के कपड़े एवं फोटोग्राफ के आधार पर जो प्रतिवेदन दिया है, क्या उन सबके आधार पर प्रदर्श पी-192ए के फोटो में लाइन ऑफ फायर मार्क कर सकते हैं ?

उत्तर :- चित्र देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि गोली ऊपर से तिरछी नीचे की ओर गई है, किंतु इसे फोटो पर सही ढंग से मार्किंग नहीं किया जा सकता ।

29. यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-176 में वर्णित चोटें क्र0- ए, इ, एफ यदि मांसपेशियों की गहराई तक ही हों तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि उक्त तीनों चोटें जिन छर्रों से पहुंची थीं वे छर्रें अपनी शक्ति खो चुके थे ?

उत्तर :- हो सकता है कि उक्त तीनों चोटें जिन छर्रों से पहुंची थीं वे अपनी शक्ति खो चुके रहे हों, मैं इस संबंध में कोई निश्चित मत नहीं दे सकता ।

गवाह नं० :- 18 पेज प्र0-5

प्र0 :- यदि छर्रे गतिहीन हो गये हैं तो इसका यह अर्थ होना चाहिये कि कारतूस पुराना था और उसका प्राइमर स्टेल (बासी) हो गया था ?

उत्तर :- यदि कारतूस से फायर हो जाये तो फिर प्रेन/प्राइमर स्टेल या बासी होने का कोई प्रश्न नहीं होता, अन्यथा यह मिसफायर हो सकता है ।

प्र0 :- छर्रों के शक्तिहीन होने के क्या कारण हो सकते हैं ?

उत्तर :- शक्ति हीन होने का एक कारण किसी कठोर वस्तु से टकराना है तथा अधिक दूरी से फायर किये जाने पर भी छर्रे गतिहीन हो सकते हैं ।

प्र0 :- इस मामले में छर्रे मच्छरदानी एवं बनियान को पार करते हुये ही शरीर में लगना बताया गया और ये दोनों वस्तुयें कठोर वस्तु नहीं हैं ?

उत्तर :- यह बात सही है कि, किंतु हो सकता है कि शरीर के हड्डी से टकराया हो और उनके शक्ति में अंतर आया हो ।

29. मैं विशेषज्ञ की हैसियत से यह नहीं कह सकता कि जो छर्रे मृतक के शरीर के हड्डी से टकराते हैं उन्हें बोन डीप कहा जाता है ।

30. यह बात सही है कि छर्रे बेरल से निकलने पर एक साथ (इनमास) बाहर आते हैं, चाहे बेरल छोटी हो या बड़ी । छर्रे मजल एंड से एक साथ ही बाहर आते हैं । स्टेन्डर्ड के वेपन से यदि स्टेन्डर्ड कारतूस चलाया जाये तो छर्रों का बिखराव मजल एंड से 2 गज दूर जाने के बाद ही प्रारंभ होता है । यदि बेरल छोटा हो तो छर्रों का बिखराव जल्दी आरंभ हो जाता है ।

प्र0 :- यदि 6 इंच या 4 इंच लंबी 12 बोर के फायर आर्म से स्टेन्डर्ड कारतूस का फायर किया जाये तो छर्रों का बिखराव 3 फीट के बाद ही आरंभ होगा ?

उत्तर :- इस स्थिति में यह भी देखना होगा कि मजल का डायमीटर कितना था और उसके सरफेज की क्या स्थिति थी । इसे टेस्ट फायर करके ही निकाला जा सकता है ।

31. मैंने छर्रों का वजन भौतिक तुला से लिया था, जिसमें दशमलव के 3 स्थान तक का सही वजन नापा जा सकता है । मैंने छर्रे एवं पेडस का अलग-अलग पेकेट बनाकर, सीलबंद कर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को भेजा था । मैंने इन आर्टिकल्स पर जो सील लगाया था उसके सील का नमूना एस0पी0 को नहीं भेजा था । मुझे छर्रे जिस सील में बंद प्राप्त हुये थे वे सील सिविल सर्जन, दुर्ग के थे । मैंने तीनों छर्रों को एक ही पेकेट में अपना सील लगाकर वापस किया था । मैंने इस सील पर अपने हस्ताक्षर करके छर्रों को लपेटा था और ऊपर में मैंने चपड़े से सीलबंद किया था । मुझे आज कोर्ट की सील दिख रही है, एफ0एस0एल0 की चपड़े वाली सील नहीं दिख रही है ।

मैंने छर्रों पर पहचान के निशान देखने के लिये माइक्रोस्कोप से उसकी जांच नहीं कियाथा, क्योंकि मेरे सामने कोई वेपन नहीं आयाथा।

32. जब हम देशी कट्टा से टेस्ट फायर करते हैं तो या किसी भी अन्य फायर आर्म से फायर करते हैं तो छर्रों को वापस प्राप्त करने के लिये कॉटन भरे हुये लोहे के बॉक्स में फायर करते हैं, जिसे बुलेटरिकव्हरी बॉक्स कहा जाता है। साक्षी ने कहा कि एफ0एस0एल0 की चपड़ा वाली सील न्यायालय में है और जिसके पीछे मेरे नाम का रबर सील लगा है, जिसमें मेरा हस्ताक्षर भी है। यह बात सही है कि आज न्यायालय में यह सील बॉटल पर नहीं लगा था। मैं नहीं बता सकता कि इस सील को कब खोला गया और किसने खोला। मैंने इस बोतल को सीलबंद करके पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को भेजाथा न्यायालय में नहीं भेजाथा।

33. मेरे पास जांच के लिये जो छर्रे आये थे उसका मैंने अपनी प्रयोगशाला में कोई फोटो नहीं लियाथा, क्योंकि मैंने आवश्यक नहीं समझा। पुलिस ने मुझसे उक्त छर्रों का फोटोग्राफ या माइक्रोफोटोग्राफ हेतु निवेदन नहीं किया था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अभय, अवधेश, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

34. घटना के बाद जो फोटोग्राफ्स, स्केच और जो मोबाइल यूनिट की रिपोर्ट थी उसके आधार पर मैंने घटनास्थल का रिकंस्ट्रक्शन कियाथा, उसके पश्चात मैंने फोटोग्राफ लिये थे। मोबाइल यूनिट द्वारा जो फोटो खींचा गयाथा और हमने जो प्रदर्श पी-182 का फोटो खींचा है उसमें खिड़की से मच्छरदानी की दूरी का जो अंतर दिख रहा है वह वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि किसी एंगल से फोटो लेने के कारण ऐसा है। यह बात सही है कि दोनों फोटो दरवाजे के साइड से लिये गये हैं। घटना के बाद जो व्यक्ति तुरंत पहुंचाथा उसी के सहयोग से मैंने मच्छरदानी की रस्सी को खिड़की के उपर कीले से बांधा था। लाश को एक निश्चित स्थिति में रखने के बाद और मच्छरदानी की रस्सी को खिड़की के कीले से बांधा गयाथा। इस केस में मच्छरदानी की रस्सी की लंबाई नहीं मापी गई थी। मोबाइल यूनिट के व्यक्ति ने बताया था कि नियोमी की लाश किस हालत में पड़ीथी। उसने चादर और तकिये में खून के धब्बे के आधार पर ही यह बात बतायाथा। हमने डमी की जो पोजीशन बनायाथा वह मृतक के पोजीशन के जैसे ही रखी गई थी।

35. यदि डमी की पोजीशन को थोड़ा सा दीवाल की तरफ कर दिया जाये या दूसरे तरफ कुछ अधिक कर दिया जाये तो लाइन ऑफ डायरेक्शन में बहुत अधिक

अंतर नहीं आयेगा । यदि मच्छरदानी की रस्सी कड़ी या ढीली बांध दिया जाये तो मच्छरदानी में हुये छेद/में भी बहुत परिवर्तन हो सकता है, किंतु हमने रस्सी को सामान्य स्थिति में बांधा था । मैंने घटना के समय बंधी हुई मच्छरदानी की वास्तविक स्थिति स्वतः नहीं देखा था, किंतु मोबाइल यूनिट के कहने से मैंने वह स्थिति बनाया था । मृतक जिस तकिये पर सोया था उसे उठा लिया गया था और रिकंस्ट्रक्शन करते समय मैंने तकिया की स्थिति सेट किया था ।

36. पैलेट्स भी उसी दिशा में जाते हैं, जिस दिशा में छर्रे जाते हैं । ऐसा आवश्यक नहीं है कि मृतक के पैर के पास पैलेट्स पाये जायें तो, इसका यह अर्थ होगा कि फायर सिर के तरफ से पैर की तरफ की गई है । पैलेट्स टकराकर भी इधर-उधर जा सकते हैं । मैंने छर्रों को जांच हेतु जीव विज्ञान विभाग नहीं भेजा था, क्योंकि उसे मृतक के शरीर से निकलना बताया गया था ।

नोट :- सायंकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।   मेरे निर्देशन पर टंकित ।

Sd/-
(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ...

Sd/-
(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ...

नोट :- आज पुनः उक्त साक्षी को शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का पुनः प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री ओ०एन० तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

37. मैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन के लिये दिनांक 14-... को पहुंचा । उस समय उप-निरीक्षक जी०एस० दुबे, मोबाइल फोरेंसिक रायपुर की टीम तकनीकी अधिकारी डॉ० वर्मा, मोबाइल यूनिट दुर्ग से डॉ० मैथिल, सी०एस० पटेल फोटोग्राफर मौजूद थे, इनके अलावा शासकीय अधिकारियों में और कोई मौजूद नहीं था । मुझे यह ध्यान नहीं है कि उस समय अन्य कोई स्टाफ मौजूद था या नहीं । जहां तक मुझे याद है कि प्रदर्श पी-188 का घटनास्थल का नक्शा डॉ० मैथिल ने दिया था । मैंने कामरीन को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन के उद्देश्य से जब घटनास्थल वाले कमरे में गया था तो कमरे की वास्तविक स्थिति और प्रदर्श पी-188 को देखा था ।

यह बात सही है कि प्रदर्श पी-188 के नक्शे में पूर्वी तरफ की दीवाल पर जो दो खिड़कियां दिखाई दे रही है उसमें एक खिड़की के सामने पश्चिम तरफ एक दरवाजा है। मैंने इस नक्शे को घटनास्थल से मिलान किया था। साक्षी कहता है कि दो खिड़कियां जिस दीवार में है वह पश्चिम दिशा की दीवाल है, उसके सामने जो दरवाजा है वह पूर्व दिशा में है। प्रदर्श पी-188 के नक्शे में जो उत्तर दिशा बताई गई वह दक्षिण होना चाहिये और दक्षिण को उत्तर होना चाहिये। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-188 के नक्शे में दीवाल में जो दो खिड़कियां हैं वे दोनों दीवाल के आखिरी छोर में है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-182 के फोटो में खिड़की दिखाई गई है, किंतु उसमें दिशा का उल्लेख नहीं है कि खिड़की किस दिशा में है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-188 के नक्शे में तखत की जो स्थिति दर्शाई गई है वह उत्तरी ~~दिशा~~ दीवार से 3 फीट 2 इंच की दूरी के बाद से दक्षिण दिशा की ओर रखा जाना बताया गया है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-188 के नक्शे में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मृतक तखत/किस स्थिति में सोया था और सोन की दिशा क्या थी, किंतु इसमें तकिया, सिगरेट का पैकेट और किताब दर्शाया गया है। नक्शा देखने से यह नहीं बताया जा सकता कि जिस व्यक्ति ने अग्न्यस्त्र चलाया है वह लेफ्ट हेंडर था या राईट हेंडर था।

38. मुझे 12 बोर, स्टेण्डर्ड एल0जी0कार्टेज को टेस्टफायर करने का कई बार अवसर मिला है। स्टेण्डर्ड एल0जी0कारतूस में 12 बोर के 6 छर्रे होते हैं, जो कि इंडियन आर्म्सएक्ट और ब्रिटिश स्पेसी फिकेशन के अनुसार होते हैं। प्रदर्श पी-188 के नक्शे में जो 6 स्थानों पर गोल चिन्ह दिखाये गये हैं वे पेट्स हो सकते हैं। मानक के अनुसार एल0जी0कारतूस (12 बोर) के प्रत्येक छर्रे का स्टेण्डर्ड वजन 4.535 ग्राम ~~होकर पर हैं~~ होता है। आर्टिकल आर के तीनों छर्रे टूटे हुये नहीं हैं, बल्कि आंशिक रूप में विकृत अर्थात् एक भाग में कुछ चपटापन है। यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के मेमो प्रदर्श पी-189 के अनुसार आर्टिकल के जो सूची भेजी गई थी उसमें आर्टिकल ई में 3 छर्रे जांच हेतु भेजे गये थे। इस मेमो में यह नहीं लिखा है कि तीनों छर्रे या उनमें से कोई भी छर्रा आंशिक रूप से विकृत है। मैंने अपनी रिपोर्ट में तीनों छर्रों के आंशिक रूप से विकृत होने का उल्लेख किया है।

39. मैं जनरल गेराल्ड बरार की पुस्तक जनरल फोरेन्सिक बैलेस्टिक पर लिखी गई पुस्तक को मानता हूं।

(55)

गवाह नं0:- 78 पेज क्र0-7

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

40. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0झा)	(टी0के0झा)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिकार

प्रतिलिपि विभाग,

कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (म.प्र.)

(56)

माननीय संत कुमार ...

एम0सी0 पी0सी0नं0 8648/94 — प्रतिलिपि - - - - - - - - - - - - - - - - की जो कि श्री
~~जे. के. एस.~~ राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय
में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरूद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शा... मिश्रा उर्फ शानु आ0 छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 बोलाई मल्लाह,
साकिन- निमही थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया, (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेठू आ0 राघेल सिंह सेठू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

आ0/0 4794/95 (57)

अभियोजन की ओर से

1-12-95 40 वर्ष

संतकुमार साहू

पिता श्री तिकराम साहू पटवारी

बोरसी

शपथपूर्वक :-

1. मैं सितम्बर-अक्टूबर 91 के महीने में भिलाई इस्पात संयंत्र के संपदा विभाग में पटवारी के पद पर कार्य करता था । दिनांक 8-10-91 को संपदा प्रबंधक ने घटना-स्थल का नक्शा बनाने के लिये कहा था । मुझे हुडको के एम0आई0जी0 1/55 का नक्शा बनाने के लिये कहा गया था । मैं दिनांक 8-10-91 को करीब 12.00 बजे घटनास्थल पहुंचा । मैंने घटनास्थल का माटेगांवकर और वहलराम के बताये अनुसार नक्शा बनाया था । मैंने नाप लेकर घटनास्थल का नक्शा बनाया था । यह नक्शा प्रदर्श पी-19 है । पी-19 इस नक्शे के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । अपने हस्ताक्षर के नीचे मैंने दिनांक 8-10-91 की तारीख डाला है । मैंने नक्शे में सभी स्थानों की दूरी व नाप दर्शाया है ।

2. संकेत । में दरवाजे की ऊंचाई और चौड़ाई है तथा इसमें खिड़कियों की भी ऊंचाई एवं चौड़ाई है । दरवाजे की ऊंचाई 6 फीट 9 इंच है तथा चौड़ाई 2 फीट 9 इंच है । संकेत/2 में मैंने खिड़की की ऊंचाई 4 फीट और चौड़ाई 2 फीट 9 इंच बताया है ।

3. विवरण । में ब स्थान में मृतक शंकर गुहा नियोगी का लकड़ी की पलंग पर सोना बताया गया है । पलंग का नाप 6 चौड़ाई 4 की लकड़ी की पलंग पर मृतक का सोना बताया गया है । विवरण 2 में स स्थान पर दरवाजा बताया गया है, जो खुला है । अ से स स्थान की दूरी 6 फीट है । द स्थान पर जमीन में ड्रायव्हर बहल सोया था, वहां से ब स्थान की दूरी 26 फीट थी । मकान के सामने जो मेनरोड है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ है । रोड के पूर्व दिशा में घटनास्थल वाला मकान है । रोड के पश्चिम दिशा में अन्य लोगों के मकान माटेगांवकर का मकान है । क्वार्टर नं0 एम0आई0जी0 1/55 में मैंने कुल 4 खिड़कियां दर्शाया है । चारों खिड़कियां मकान के पश्चिम दिशा में हैं । मकान के सामने पश्चिम दिशा में जो आंगन है वह 9 फीट चौड़ा है । मैंने क्वार्टर के सामने कंपाउंड वाल में दरवाजे की चौड़ाई नहीं बताया है, उसकी ऊंचाई 4 फीट है । नक्शा बनाने के बाद उस नक्शे को मैंने पुलिस थाना भिलाईनगर सेक्टर-6 को भेज दिया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह,

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय, अभयसिंह, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

5. यह बात सही है कि जहां पर बहलराम लिखा है उसके सामने ड्रायव्हर लिखा था, जिसे काट दिया गया है । यह बात सही है कि विवरण प्र0-1 में जो ब स्थान लिखा है उसमें ओव्हरराइटिंग किया गया है । हो सकता है कि ब स्थान लिखने के पहले कुछ गलती हुई हो, जिसे सुधारकर ब किया गया है । इसी नक्शे में जो बेडरूम प्र0-2 बताया है उसका दरवाजा किचन में खुलता है और किचन का दरवाजा घर के पिछवाड़े में खुलता है । यह बात सही है कि ट स्थान पर सोये हुये ड्रायव्हर की जो स्थिति बताई गई है वहां से ड्रायव्हर बेडरूम प्र0-2 में जो कि मृतक का कमरा है में पहुंच सकता है ।

यह बात सही है कि इस नक्शे में बहलराम और मार्टेगांवकर के हस्ताक्षर नहीं हैं । यह कहना गलत है कि मैंने बहलराम और मार्टेगांवकर के समक्ष नक्शा नहीं बनाया है, बल्कि थाने में बैठकर नक्शा बनाया है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

6. यह बात सही है कि प्रदर्श पी-183 के नक्शे में ब से ब भाग की बात । उसी रात्रि में - - - - हत्या कर दी । बहलराम के बताये अनुसार लिखा हूं । साक्षी कहता है कि दोनों गवाहों के बताये अनुसार लिखा है । यह बात सही है कि मैंने नक्शे में अ स्थान के खिड़की से मृतक के सिर की दूरी कितनी है यह नहीं दर्शाया है । यह बात भी सही है कि मैंने खिड़की खुली थी या बंद थी नहीं दर्शाया हूं । मैं पलंग और तखत का फर्क समझता हूं । यह बात सही है कि मैंने नक्शे में स से स भाग पर, पलंग पर । पलंग लिखा है, जो कि बहलराम के कहने पर लिखा है । मैं जब नाप किया तो वहां पर तखत रखा था । मैं नहीं कह सकता कि घटना के समय वहां पलंग था या तखत था । मैं जब नक्शा बनाने गया तो तखत दीवाल से सटकर रखा था, किंतु मैं यह नहीं बता सकता कि घटना के समय तखत कहां पर रखा था । मुझे थानेदार ने यह नहीं कहा था कि खिड़की एवं तखत की दूरी नापकर दो ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

7. यह बात सही है कि यदि ट स्थान से किसी व्यक्ति को ब स्थान वाले कमरे में जाना पड़े तो पहले वह हाल में जायेगा, फिर हाल/के दरवाजे से किचन

में जायेगा और किचन के म स्थान पर दर्शित दरवाजे से होते हुये ब स्थान वाले कमरे में जायेगा । मैं भी नक्शा बनाने के लिये सामने के दरवाजे के रास्ते में प्रवेश से फिर किचन में और किचन से फिर ब स्थान वाले कमरे में गया । लोहे के गेट से एम0 आई0 जी0 1/55 का मुख्य प्रवेश द्वार करीब 9 फीट दूरी पर है । मुझे सामने के गेट से मुख्य प्रवेश द्वार पर जाने में करीब 10 से 15 सेकंड का समय लगा होगा । मैंने नक्शे में जमीन से कमरे की छत की ऊंचाई नहीं दर्शाया है । मैंने नक्शे में ब कमरे में जो खिड़कियां हैं उनकी जमीन से ऊंचाई कितनी है यह नहीं दर्शाया है । यह बात सही है कि भाटेगांवकर की क्वार्टर नं0- एम0 आई0 जी0- 66 के आजू-बाजू वाले क्वार्टर 65 या 67 में कौन रहते थे या यह मकान किसका है यह मैंने नक्शे में नहीं दर्शाया है । मैंने एम0 आई0 जी0- 1/55 के बाजू में उसका लगा हुआ क्वार्टर नं0- 1/56 में कौन रहता था या उसका मालिक कौन था यह मैंने नहीं दर्शाया है । मैंने नक्शे में लोहे के गेट से भाटेगांवकर या उसके आसपास के मकान की दूरी कितनी है यह नहीं दर्शाया है । नक्शे में मैंने बहलराम के बताये अनुसार ही उसके गोली चलने की आवाज सुनने का समय 3.45 लिखा है । विवरण 2 में 2 नंबर के स्थान पर पहले ड्रायव्हर लिखा था, जिसके मैंने काटकर हस्ताक्षर किया, परंतु किस दिन काटा था उसकी तारीख दस्तखत के नीचे नहीं है । उस स्थान पर पहले से बहल ड्रायव्हर लिखा था, जिसमें से मैंने ड्रायव्हर शब्द को काट दिया । मुझे आज याद नहीं है कि मैंने ड्रायव्हर शब्द को क्यों काट दिया । वैसे बहलराम ड्रायव्हर है । यह कहना गलत है कि जब मैंने नक्शा बनाकर पुलिस को दिया तो उस समय ड्रायव्हर म0 लखन लिखा था तथा उसका पता लिखा था । यह कहना भी गलत है कि उस समय ड्रायव्हर का नाम नहीं लिखा था । यह कहना भी गलत है कि पुलिस के कहने से मैंने ड्रायव्हर शब्द काटकर बहल का नाम लिखा है । मैंने नक्शे में यह नहीं दर्शाया है कि खिड़की से मृतक कितनी दूरी पर सोया था ।

8. नक्शा बनाने के पहले मुझे थाना कोतवाली से ज्ञापन मिला था । वह ज्ञापन मेरे पास रह गया, उस ज्ञापन को मैंने पेश नहीं किया । यह बात सही है कि नक्शा बनाने का जो ज्ञापन मिलता है उसे हम लोग संपदा ऑफिस में फाईल में सुरक्षित रखते हैं । उस ज्ञापन को हम लोग फाईल में लगाते हैं । फाईल सुरक्षित रहती है । यदि मुझे न्यायालय से यह आदेश मिले कि मूल ज्ञापन लाया जाये तो मैं ढूंढकर वह ज्ञापन ला सकता हूं ।

नोट :- इस स्टेज पर न्यायालय का समय समाप्त होने के कारण साक्षी का प्रति-

परीक्षण स्थगित किया गया ।
गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

[टी0के0झा]
अतिरिक्त अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग [म0प्र0]

[टी0के0झा]
पुनः न्यायालय द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग [म0प्र0]

xxx प्रति परी0 द्वारा श्री आर0 एन0 तिवारी अधि0 वास्ते मल्हन

9 ... मुझे आज कार्यालय में पुलिस का ... जिसमें नक्शा बनाने के के लिए कहा गया है नहीं मिला है ।]

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।

[टी0के0 झा]
द्वि0 अति0 न्यायाधीश

मेरे निर्देश पर टंकित

[टी0के0 झा]
द्वि0 अति0 सत्र न्यायाधीश दुर्ग

5/12/95
प्रमाणित प्रतिलिपि
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

5/12/95 5/12/95 5/12/95 5/12/95 5/12/95 5/12/95 5/12/95

एस०सी०टी०प्र०क्र० श्री के. एल. प्रतिलिपि — बयान जी. एल. दुबे — जो कि श्री ~~जे. के. एस. राजपूत~~ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

[illegible]

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. शानूकान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
   साकिन- वार्ड आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० शिकार सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेठू आ० राघेल सिंह सेठू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

(80)

C.R.No. 4794/95

80 अभियोजन की ओर से

2-12-95 60 वर्ष

पा0स0 दुबे

श्री चंद्रभान दुबे उप-निरीक्षक

141/497 कन्हैयापुरी, सुभाषनगर, दुर्ग.

शपथपूर्वक :-

1. मैं फरवरी 1994 में पुलिस उप-निरीक्षक के पद से सेवा निवृत्त हुआ हूं। सितम्बर 91 में मेरी पदस्थापना, पुलिस थाना भिलाईनगर में उप-निरीक्षक के पद पर थी। 27-9-91 को मेरी ड्यूटी पुलिसथाना भिलाईनगर में रात्रि के 10.00 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 8.00 बजे तक के लिये नाईट अफसर के रूप में थी। मेरे साथ प्रधान आरक्षक रमेश कुमार न0- 1003 /10011 की भी ड्यूटी थी। आरक्षक जगन्नाथ न0- 509 की भी ड्यूटी थाने में थी। मुझे रात के 4.25 बजे थाने में बसंत कुमार ने फोन पर यह सूचना दिया कि शंकर गुहा नियोगी को किसी ने गोली से मार दिया है और उसे से0-9 अस्पताल ले गये हैं। मैंने प्रधान आरक्षक रमेश कुमार द्वारा उक्त सूचना को सान्हे में दर्ज करवाया। सान्हे में लिखावट और हस्ताक्षर प्रधान आरक्षक रमेश कुमार हैं। मूल सान्हा मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं और इसकी सत्य प्रतिलिपि न्यायालय में पेश है। सत्यप्रतिलिपि उप-निरीक्षक वी0के0शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित है। मूल सान्हा पी-194 प्रदर्श पी-194 है और उसकी सत्यप्रतिलिपि 194ए है। मिलान करने के बाद मूल सान्हे पी-194 को वापस लौटाया गया। मैंने अविलंब कंट्रोल रूम भिलाईनगर को सूचना दिया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की सूचना तत्काल दी जावे। इसके पश्चात मैंने भिलाईनगर थाने के नगर-निरीक्षक राजेश तिवारी को फोन पर उनके घर पर यह सूचना दिया।

2. कुछ देर में नगर निरीक्षक राजेश तिवारी भी आ गये। मैं, राजेश तिवारी और आरक्षक जगन्नाथ न0-509 हुडको के क्वा0नं0 1/55 में गये। वहां हमें ज्ञात हुआ कि नियोगी को से0-9 अस्पताल ले गये हैं, यह बात बहलराम ने बताया। थाने से हुडको जाने में हमें करीब 10 मिनट का समय लगा रहा होगा। मुझे नगर-निरीक्षक राजेश तिवारी ने निर्देश दिया कि मैं अपराध कायम करूं और वे स्वतः से0-9 अस्पताल के लिये रवाना हो रहे हैं। मैंने हुडको के क्वार्टर में बहलराम की देहाती नालिशी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम किया। प्रदर्श पी-156 की देहाती नालिशी मैंने गवाह बहलराम के बताये अनुसार लिखा था, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जो स से स भाग पर हैं तथा इस पर अ से अ और ब से ब भागपर बहलराम के हस्ताक्षर हैं, जो उसने मेरे सामने ही किये थे। देहाती नालिशी को मैंने आरक्षक

जगन्नाथ के द्वारा पुलिस थाना भिलाई नगर नंबरी अपराध कायम करने के लिये भेज दिया था । प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी- 195 के अ से अ भाग पर बी0 एल0 उटके के हस्ताक्षर हैं, जिनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं । बी0एल0उटके पी-195 उस समय सहायक उप-निरीक्षक के पद पर थाना भिलाई नगर में पदस्थ थे । मैंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पार्टी आने तक घटनास्थल को सुरक्षित रखा । करीब 6.00 बजे सुबह डॉ0 मैथिल, फोटोग्राफर और उनका दल घटनास्थल पर आ गया । जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला के दल ने घटनास्थल का बारीकी से जांच करके अपनी कार्यवाही पूरी कर ली और मुझे कहा कि अब मैं जप्ती बना सकता हूं, उसके पश्चात मैंने घटनास्थल से जप्ती बनाया ।

3. प्रदर्श पी-157 का जप्ती-पत्र मेरे द्वारा तैयार किया गया है और उस पर स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । गवाहों ने भी मेरे सामने जप्ती-पत्र पर हस्ताक्षर किया था । गवाहों के हस्ताक्षर अ से अ और ब से ब भाग पर हैं ।

4. घटनास्थल से मैंने एक मिलेट्री कलर की मच्छरदानी, जिसके कोने में बड़ा सा छेद है । कारतूस के वेड्स । पैकिंग, जिसमें एक गोल कागज में अंग्रेजी में एल0जी0 लिखा है । 3, पैकिंग के कॉर्क के टुकड़े 2, मच्छरदानी के जले हुये टुकड़े, जिसमें बारूद की गंध आ रही थी । एक गोल टुकड़ा प्लास्टिक का, एक टुकड़ा गोल खून लगा हुआ कागज का, एक अमृतांजन की शीशी, एक माचिस-चाबी छाप, एक सिगरेट पैकेट चार्म्स का, जिसमें 4 सिगरेट थे, एक तकिया लाल-सफेद पट्टे वाली, जिसमें खून लगा है । एक छींट की चादर, जिसमें सिरहाने की तरफ खून लगा है । एक गद्दा, जिसमें भी खून लगा है । एक जोड़ी हवाई चप्पल, घटनास्थल पर मैंने झाड़ू लगवा दिया और जो भी कचरे थे उसको भी जप्त कर लिया ।

5. साक्षी को आर्टिकल ओ का गद्दा, आर्टिकल डी की मच्छरदानी, आई के मच्छरदानी के टुकड़े, आर्टि0 एस का लाल धारी चद्दर, आर्टि0 यू का तकिया कव्हर, आर्टि0 एफ का माचिस, आर्टि0 पी का चप्पल, आर्टि0 जी0 का चार्म्स सिगरेट, आर्टि0 एच का अमृतांजन की शीशी, आर्टि0 इ के वेड्स, आर्टि0 के का कागज का टुकड़ा, आर्टि0 एल का पुट्ठे का गोल टुकड़ा, आर्टि0 जे0 का कॉर्क का टुकड़ा दिखाया गया । साक्षी ने बताया कि इन सभी वस्तुओं को उसने घटनास्थल से जप्त किया था ।

गवाह नं0:- 80 पेज क्र0- 2

इन सभी वस्तुओं को मैंने सील कर गवाहों के हस्ताक्षर लिये । मैंने मौके पर ही मौके का नजरी नक्शा बनाया । यह नक्शा प्रदर्श पी- 158 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने नाप लेकर नक्शा बनाया था ।

6. आगे के अनुसंधान की कार्यवाही मैंने नगर निरीक्षक राजेश तिवारी को सौंप दिया । दिनांक 12-11-91 को मैं सी0बी0आई0 के पुलिस उप-अधीक्षक श्री धनकर के साथ इंडस्ट्रीयल एरिया में अभियुक्त चंद्रकांत शाह के ऑफिस में गया था । हम लोग जब पहुंचे तो ऑफिस बंद था और वहां कोई नहीं था । वहां हमने एक उप-निरीक्षक और सिपाही को छोड़ दिये तथा मैं पुलिस उप-अधीक्षक धनकर के साथ अभि0 चंद्रकांत शाह के नेहरू नगर स्थित मकान में आया । वहां अभि0 चंद्रकांत शाह के पिता रामजी भाई को साथ लेकर पुलिस उप-अधीक्षक पुनः इं0 स्टेट आये और अभियुक्त के पिता रामजी भाई के द्वारा अभि0 चंद्रकांत शाह का कार्यालय खोले जाने पर पुलिस उप-अधीक्षक धनकर ने उस कार्यालय की तलाशी लिया, उस समय बी0एस0पी0 के दो कर्मचारी भी उपस्थित थे । उस तलाशी में पुलिस उप-अधीक्षक ने एक पत्र और एक फाईल बरामद किया और उसे जप्त किया । इसका जप्ती-पत्र बनाया गया, जो प्रदर्श पी-196 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैं आरक्षक जगन्नाथ के हस्ताक्षर से परीचित हूं । पी-196

7. सान्हा क्र0- 2888 दिनांक 28-9-91 का सान्हा बी0एस0 प्रधान आरक्षक रमेश कुमार ने लिखा है, उसके हस्ताक्षर व लिखावट से मैं अच्छी तरह परीचित हूं । मूल सान्हा प्रदर्श पी- 197 है और इसकी सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-197ए है, जो कि उप-निरीक्षक वी0के0शर्मा द्वारा सत्यापित किया गया है । पी-197
सत्यप्रतिलिपि से मिलान करने के पश्चात् मूल सान्हा वापस किया गया । पी-197ए

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधिवक्ता वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अशय, अधेश, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

8. यह बात सही है कि मैंने जप्ती-पत्र प्रदर्श पी- 157 में किसी पुस्तक की जप्ती नहीं बनाई है । मैंने किसी ब्रीफकेस या सूटकेस की भी जप्ती नहीं बनाया है । मैंने सिगरेट के कोई अधजले टुकड़े भी जप्त नहीं किया है ।

9. मैंने जैसा चीजें देखी थी वैसा ही नक्शा बनाया था । मैंने नक्शे में दीवाल से तखत की दूर नहीं दिखाया है, जितना दूरी है उसका मैंने माप विवरण में लिखा है । यह बात सही है कि मैंने नक्शे में जहां तखत बताया है उसके और

दीवाल के बीच में कुछ स्थान अवश्य दिख रहा है ।

10. मैं घटनास्थल पहुंचने के बाद कमरे के अंदर जाकरभी देखा था और बाहर आकर भी देखा था । मैंने बाउंडरी वॉल के बाहर भीघूमकर देखा था और उसके आजू-बाजू भी घूमकर देखा था । लोगों से पूछताछ भी कियाथा । आजू-बाजू के 2-3 लोगों से मैंने पूछताछ किया था । यह बात सही है कि क्वार्टर नं0- एम0आई0जी0 1/55 से जुड़ा हुआ मनोज त्यागी का क्वार्टर नं0- 1/56 है । यह बात सही है कि क्वा0नं0- 1/55 और क्वा0 नं0- 1/56 के बीच की दीवाल कॉमन दीवाल है । मैं यह नहीं बता सकता कि जिस तरह की खिड़कियां क्वा0 नं0- 1/55 में थी उसी तरह की खिड़कियां क्वा0 नं0- 1/56 में थी या नहीं थी । यह बात सही है कि एम0आई0जी0 । टाईप के मकान मूलरूप से एक ही समान होते हैं ।

11. 28-9-91 का रोजनामचा सान्हा क्र0- 2868 से चालू हुआ है । यह बात सही है कि उस दिन सान्हा रात के 2.00 बजे से चालू हुआ है । यह बात सही है कि सान्हा क्र0- 2869 में ओव्हरराईटिंग है । इसी प्रकार 2870 में भी ओव्हरराईटिंग है । यह बात सही है कि सान्हा क्र0- 2873 एक बजकर 40 मिनट से लिखा गया है, जिसका समय गलत होना चाहिये । यह बात सही है कि 2881 सान्हा क्र0- पहले 2880 लिखा गयाथा, फिर अंतिम शून्य को ओव्हरराईटिंग करके एक बनाया गया है । यह बात सही है कि सूचना के समय 4.25 के अंक 2 को पहले एक लिखा गया था उसे सुधारकर 2 किया गया है ।

12. मैं घटनास्थल में जब कार्यवाही कर रहा था तो सुबह करीब 8.00 बजे मुझे जानकारी हुई कि नियोगी जी की मृत्यु हो गई है । मैं घटनास्थल पर सुबह करीब 4.35 बजे पहुंच गया था । 4.35 से लेकर सुबह करीब 8.00 बजे तक मुझको क्वा0नं0- 1/55 में नियोगी जी की मृत्यु की सूचना नहीं आई थी । मैं जब घटनास्थल पर पहुंचा तो नियोगी जी के कमरे की खूंटी में एक कुर्ता टंगा था । कुर्ता नियोगी जी का था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

12. जिस समय थाने में फोन से सूचना आई उस समय मैं थाने में सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और नाईट अफसर के पद पर तैनात था । यह बात सही है कि पुलिस अधिकारियों की थाने में ड्यूटी लगने की रजिस्टर रहती है, किंतु वह रजिस्टर इससे जप्त नहीं किया गया है ।

14 यह बात सही है कि गोली मारना भी एक अपराध होता है और उसी अपराध के अनुसंधान के लिये मैं थाने से रवाना हुआ था। फोन पर यह तो सूचना मिल गई थी कि किसको गोली मारा गया है, किंतु यह ज्ञात नहीं हुआ था कि किसने गोली मारी है। यह बात सही है कि मैंने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया है उसमें भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस व्यक्ति ने गोली मारा है। यह बात सही है कि मुझे फोन पर जो सूचना मिली और मैंने प्रथम सूचना दर्ज किया इन दोनों सूचनाओं में कोई फर्क नहीं है। मैंने केस डायरी लिखना आरंभ नहीं किया था। देहाती नालिसी लिखने के बाद मैंने थाने में अपराध पंजीबद्ध करा दिया, केस डायरी स्वयं निरीक्षक राकेश तिवारी ने ही लिखना आरंभ किया था। राकेश तिवारी थाने से मेरे साथ हुडको के एम0आई0जी0 क्वा0 नं0-1/55 गये थे और उसके पश्चात वे सेक्टर-9 अस्पताल के लिये रवाना हो गये थे, मैं यह नहीं बता सकता कि वे थाने गये थे या नहीं गये थे। चूंकि नगर निरीक्षक राकेश तिवारी ने मेरे सामने केस डायरी लिखना आरंभ नहीं किया था, इसलिये मैं यह नहीं बता सकता कि उन्होंने केस डायरी कितने बजे लिखना आरंभ किया था। प्रदर्श पी-156 की देहाती नालिसी मैंने बहलराम के बताये अनुसार लिखा है और उसमें कोई भी चीज छोड़ी या जोड़ा नहीं है। यह बात सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के बाद मौके का नक्शा बनाने में और जप्ती की कार्यवाही में बहलराम मेरी मदद कर रहा था। मैंने वहां पर जो चीजें जप्ती की उसको मैंने स्वयं देखा था और बहलराम ने भी बताया था। बहलराम ने भी वहां पर किसी एविडेंस की या सिगरेट के टुकड़े का होने का नहीं बताया था।

15 जिस मकान में गये थे वह चंद्रकांत शाह का था या नहीं था यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अनुसंधान का कार्य सी0बी0आई0 कर रही थी। यह बात सही है कि [illegible] की चाबी अभि0 चंद्रकांत शाह के पिता के पास थी। यह मैं नहीं बता सकता कि अभि0 चंद्रकांत के पिता के पास वह चाबी कब से थी और वह उसका इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे। मुझे नहीं मालूम कि जिस ऑफिस का तलाशी लिये थे वह ऑफिस किस कंपनी का था। सर्च लिस्ट प्रदर्श पी-196 में यह नहीं लिखा है कि दस्तावेज कहां से मिले थे। मैं यह नहीं बता सकता कि दस्तावेज कहां से निकाला गया था। गवाह सोम्पो और गोगिया बी0एस0पी0 के कर्मचारी हैं वे विजिलेंस विभाग में है या नहीं मैं यह नहीं जानता।

यह बात सही है कि उक्त दोनों गवाह बी0एस0पी0 के विजिलेंस विभाग के कर्मचारी हैं। यह बात सही है कि तलाशी के समय आसपास के स्थानीय निवासी नहीं थे। इसमें गवाह स्टेट का भी कोई आदमी नहीं है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

16. यह बात सही है कि थाने से बाहर जो डाक भेजी जाती थी उसके लिये थाने में डाक रजिस्टर रखा था। यह बात सही है कि संदेह अपराध-पंजीबद्ध होने के बाद उसकी सूचना संबंधित दंडाधिकारी को भेजी जानी चाहिये। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद उसकी सूचना के साथ प्रदर्श पी-156 को कापी भी दंडाधिकारी को भेजी गई थी। रो0सा0न्हा क्र0-2888 पर पंजीबद्ध अपराध होने का उल्लेख है, किंतु उसको मजिस्ट्रेट को सूचना भेजने का उल्लेख नहीं है। मुझे इस बात की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि दिनांक 28-9-91 को इस मामले की पंजीबद्ध अपराध की सूचना दंडाधिकारी को भेजने का उल्लेख थाने के डाक रजिस्टर में है या नहीं है।

17. मेरे द्वारा की गई सभी प्रक्रियायें उसी कमरे की है, जिसमें मृतक को सोया गया होना बताया गया था। जप्ती के समय उसी कमरे में घटनास्थल से कोई भी छर्रें नहीं मिले। यदि छर्रें मिलते तो उसकी भी जप्ती इसी जप्ती-पत्र के द्वारा की जाती। यह बात सही है कि तलाशी लेने के पूर्व जब थाने से पुलिस अधिकारी रवाना होता है तो इसका इंद्राज रोजनामचे में किया जाता है कि किस सामान के मिलने की संभावना है और उसका प्रकरण से क्या संबंध हो सकता है। यह बात सही है कि यह भी डायरी में लिखना पड़ता है कि क्या तलाशी के लिये दंडाधिकारी से तलाशीवारंट प्राप्त किया गया है और तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया गया है तो इसका कारण क्या है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि तलाशी के लिये रवाना होने के पूर्व सी0बी0आई0 अधिकारी ने तलाशी के संबंध में डायरी में कोई उल्लेख किया था या नहीं। प्रदर्श प्रा-196 से सर्च रिपोर्ट के लिये हम लोग पुलिस थाना भिलाईनगर से नहीं, बल्कि विशाखापटनम हॉस्टल, भिलाई से रवाना हुये थे। उस दिन मेरी पद स्थापना थाना भिलाईनगर में थी। उस दिन मेरी ड्यूटी सी0बी0आई0 अधिकारियों के मदद के लिये लगाई गई थी। मुझे इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई कि दंडाधिकारी से कोई सर्च वारंट प्राप्त कर लिया गया है या नहीं। मैं नहीं बता सकता कि सर्च वारंट के संबंध में

(63

गवाह नं0:- 80 पेज क्र0-4

विशाखापटनम हॉस्टल से रवाना होने के पूर्व सी0बी0आई0 वालों ने डायरी में कोई उल्लेख किया या नहीं ।

18. दि0 12-11-91 को मैं सुबह से रात तक सी0बी0आई0 अधिकारियों के मदद के लिये था । प्रदर्श पी-196 तैयार करने के बाद हम लोग वापस विशाखापटनम हॉस्टल आये थे । जप्ती के संबंध में डायरी में इंद्राज किया गया या नहीं किया गया, इसकी जानकारी सी0बी0आई0 वाले दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता । पी-196 की जप्ती के संबंध में सी0बी0आई0 ने दंडाधिकारी को कोई सूचना भेजी या नहीं भेजी इसके बारे में मैं नहीं जानता । यह बात सही है कि तलाशी की सूचना लिखित में दंडाधिकारी को भेजना पड़ता है यह मैं जानता हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

19. यह बात सही है कि जब रामजी शाह ने ऑफिस का ताला खोला तो हम सब एक साथ अंदर चले गये और वहां तलाशी शुरू हो गई । मैं घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया था, किंतु उनका कोई बयान अभिलिखित नहीं किया था । अभिलिखित नहीं करने का कारण डायरी में लिखा है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। टी0के0झा ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0 ।

। टी0के0झा ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0 ।

सत्य-प्रतिलिपि
31.2.93
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

एस0टी0ए0नं0 श्री के. द्वारा अभिलिखित ~~बजाय~~ राजेन्द्र कुमार गोस्वामी .. जो कि श्री

~~ए. के. एस. राजपूत~~ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय

8608/09 में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,

द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्तराम मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामाशीष राय,
   साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बख्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह गिल्लू आ0 राजेन्द्र सिंह गिल्लू
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

CAno 4794/95 (85)

अ.सा. 81 अभियोजन की ओर से

2-12-95 29 साल

रविन्द्रकुमार चौधरी

श्री जी०सी०चौधरी सर्विस, बी०एस०पी०

से०-4, स्टेट लाईन, क्वा०नं०-2बी, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मेरे पास एक जीप क्र०- एम०पी०आर०-1438 थी । उस जीप को मैंने टेक्सी के रूप में पावर हाउस से नंदिनी सवारी ढुलाने के लिये लगाया था ।

2. मैंने मृतक शंकर गुहा नियोगी का नाम सुना है । शंकर गुहा नियोगी की जब हत्या हुई उसके 5-6 महीने पहले मेरे ड्रायव्हर ने उस जीप को 2 या 3 दिन के लिये नियोगी जी के कार्यकर्ताओं को किराये पर दिया था । यह बात मुझे नियोगी जी की हत्या के बाद जब अनुसंधान हुआ तब पता चला था, यह बात मुझे ड्रायव्हर राजेन्द्र के बताने से पता चला था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री अशोक यादव, अधि०</u> वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

3. मेरे ड्रायव्हर जीप किन-किन लोगों को किराये पर देते थे, इसकी सारी जानकारी मुझे नहीं रहती थी । यदि इस मामले में अनुसंधान नहीं होता तो मुझे ज्ञात ही नहीं होता कि इस गाड़ी को नियोगी जी के कार्यकर्ताओं को किराये पर दी गई थी । सी०बी०आई० अधिकारी ने जब अनुसंधान के दौरान मुझसे पूछा तो मैंने बताया था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ड्रायव्हर किन-किन लोगों को किराये पर गाड़ी देता था । यह बात सही है कि सी०बी०आई० वाले मुझे विशाखापटनम हॉस्टल लाये थे और कई बार पूछे थे, किंतु दबाव नहीं डाले थे । ऐसी बात नहीं है कि सी०बी०आई० वाले मुझसे तब तक पूछते रहे जब तक कि मैंने हां नहीं कह दिया । मैंने अपने ड्रायव्हर को बुलाकर लाया ।

4. यह बात सही है कि मेरा ड्रायव्हर किन व्यक्तियों को सवारी पर बिठाता है और किन व्यक्तियों को वह जीप किराये पर देता था उन सभी को वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था । मेरे ड्रायव्हर ने कहा कि कई लोगों को देता हूं शायद दिया रहा होगा ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री पटेरिया, अधि०</u> वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री तिवारी , अधि०</u> वास्ते अभि० पल्टन.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 फूलचंद शाह, नवीन शाह.

कुछ नहीं ।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(टी0 के0 झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
5/12/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
जिला एवं सत्र न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

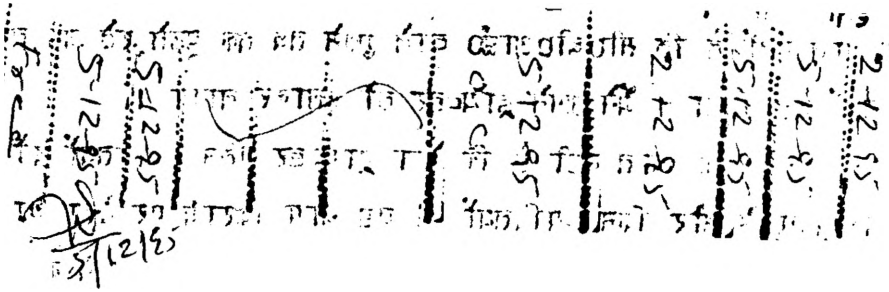

प्र०सी०/प्र०सं० 8684/94

प्रतिलिपि श्रीमान अनिल कुमार वर्मा - - - - - - - - - - - - - - - - - जो कि श्री डी.के. ई. ~~के. के. एल. संयुक्त~~ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्ताराम मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
   साकिन- चार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० मोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टेंपू आ० रावेल सिंह टेंपू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

Case No. 4774/95

82

अभियोजन की ओर से

2-12-95 34 वर्ष

अनिल कुमार वर्मा

पत्रकार

स्व० श्री भुवनसिंह वर्मा

मरोदा सेक्टर, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं लगभग सन् 1990 से पत्रकारिताका कार्य कर रहा हूं । अप्रैल 91 में मैं रौद्रमुखी समाचार-पत्र भिलाई कार्यालय में कार्य करता था । इसके मालिक और संपादक बालकृष्ण अग्रवाल रायपुर थे । मेरा कार्य रिपोर्टिंग करना था । मैं लोगों से मुलाकात करता था और समाचार एकत्रित करता था । समाचार एकत्र करके मैं तथा जोभी लोगों से मुलाकात होती थी उसकी रिपोर्टिंग रायपुर कर देता था ।

2. मैं मृतक शंकर गुहा नियोगी को जानता था । साक्षीको 9-4-91 का रौद्रमुखी समाचार-पत्र प्रदर्श पी- 198 दिखाया गया । इस समाचार-पत्र के पी-198 पृष्ठ क्र0-4 में जो शीर्षक "प्रज्ञा में दम है तो दुर्ग में आकर लड़ें - नियोगी" जो छपा है उसका साक्षात्कार मृतक नियोगी से चंद्रशेखर दुबे ने लिया था, जिसे उसने श्रीवास के माध्यम से रफ कागज मेरे पास भिजवाया । मैंने उस साक्षात्कार का समाचार फेयर बनाया और उसे रायपुर भेज दिया । इसी आधार पर यह समाचार छापा गया । नियोगी की हत्या के बाद इसी समाचार को रौद्रमुखी द्वारा पुन: प्रकाशित किया गया था । इसकी कटिंग प्रदर्श पी-199 है । प्रदर्श पी-199 किस तारीख के रौद्रमुखी पी-199 में छपा है यह कटिंग देखने से पता नहीं चल रहा है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

3. श्रीवास के माध्यम से मेरे पास जो रफ कागज आया था उसे मैंने तुरंत ही फेंक दियाथा । यह तो कोई भी संवाददाता नहीं बता सकता कि जिसने भी उसने समाचार भेजे हैं उसके रफ में क्या था और क्या प्रकाशित किया गया था । यह बात सही है कि संपादकीय विभाग में समाचार को आकर्षक बनाने के लिये उसमें हेडिंग दिया जाता है, फोटो दिया जाता है और कुछ घटाया-बढ़ाया जाता है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

4. मुझे आज याद नहीं है कि रफ के आधार पर मैंने क्या समाचार बनाया । मैं अपने द्वारा भेजे गये समाचार को देखे बिना यह नहीं बता सकता कि समाचार-पत्र में जो छपा है वह मेरे द्वारा भेजे गये समाचार ही छपा है और यहभी नहीं बता

सकता कि उसमें कुछ बढ़ाया-घटाया गया है या नहीं । मैं यह भी नहीं बता सकता कि वह समाचार मेरे द्वारा भेजे गये समाचार के आधार पर छपा है या दूसरे द्वारा भेजे गये समाचार के आधार पर छपा है । दुबे जी ने जैसा भेजा था, मैंने उसी के आधार पर समाचार बना दिया, मैंने कोई सत्यापन नहीं किया है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अधि० वास्ते अभि० मुमताज शाह, नवीन शाह.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । — मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी०के०झा)	(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
5/12/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

2-12-95 5-12-95 5-12-95 2-12-95 5-12-95 5-12-95

(5)

एम0सी0आर0सी0नं0 896/94

प्रतिलिपि - - - - - - - - - - - - - - - जो कि श्री ~~जे. के. एस.~~ राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्तिप्रकाश मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामजगशाम राय,
   साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 सिकन्दर सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेंगू आ0 रावेल सिंह सेंगू
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

(68)

Cr.A. 4794/85

83 अभियोजन की ओर से

2-12-95

30 वर्ष

चंद्रशेखर दुबे

स्व0श्री आनंद माधव श्याम दुबे पत्रकार

से0-10, स मार्केट, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 91 में रौद्रमुखी समाचार-पत्र का संवाददाता था । मैंने शंकर गुहा नियोगी से साक्षात्कार लिया था । मैंने उस साक्षात्कार को प्रेस से मिले कागज पर लिखा था । इसके बाद मैंने साक्षात्कार वाले कागज को किसी व्यक्ति के माध्यम से भिलाई कार्यालय भिजवा दिया था । समाचार-पत्र दिनांक 9-4-91 का कुछ अंश मेरे साक्षात्कार का है और कुछ अंश मेरे साक्षात्कार का नहीं है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

2. प्रदर्श पी-198 के अंश अ से अ (एक प्रश्न के उत्तर में - - - उद्घाटन हुआ) मेरे साक्षात्कार के आधार पर नहीं छपा है । इसमें बहुत से ऐसे भी समाचार हैं, जो मेरे द्वारा नहीं भेजे गये थे और मिश्रित करके छापे गये हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

3. मैं जेल में जाकर जेल के कोई लड़कों से इंटरव्यू नहीं लिया था । मैं नहीं बता सकता कि दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में ज्ञानप्रकाश और चंद्रकांत शाह नाम के कितने आदमी हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

Sd/ Sd/

(टी0के0झा) (टी0के0झा)

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0) दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
.12.95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

(1)

एस०सी०जी०एन०
5333/95

डी.एन. ... प्रतिलिपि इस्तगासा सी.बी.आई. विरुद्ध ... जो कि श्री ~~जे.के.एस. राजपूत~~ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा - थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. शान्ताप्रसाद मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
   साकिन- चार ... आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग,
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोहाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह संधू आ० राजेन्द्र सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

84 अभियोजन की ओर से सत्र प्र0क्र0- 233/92

18-12-95 39 वर्ष

डॉ0 बी0पी0 मेथिल

श्री बी0एल0 मेथिल वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

सै0-10, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एफ0एस0एल0 मोबाइल यूनिट, दुर्ग के पद पर सन् 89 से पदस्थ हूं । मेरी शैक्षणिक योग्यता एम0एस0सी0 (केमेस्ट्री) एवं पी0एच0डी0 है । मेरा कार्य अपराध से संबंधित घटनास्थल पर जाकर भौतिक साक्ष्य का संकलन कराना है एवं आवश्यकतानुसार प्रारंभिक परीक्षण करना है । मैं यह कार्य पुलिस विभाग से सूचना मिलने पर करता हूं । परीक्षण का प्रतिवेदन मैं पुलिस अधीक्षक को भेजता हूं, जिसकी एक प्रति क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को भेजते हैं तथा एक प्रति संबंधित थाना प्रभारी को भेजी जाती है । पुलिस विभाग के फोटोग्राफर भी मेरी आवश्यकतानुसार घटनास्थल पर पहुंचकर फोटो लेते हैं । फोटोग्राफर मेरे निर्देश पर घटनास्थल का फोटो खींचता है ।

2. दिनांक 28-9-91 को, नियंत्रण कक्ष भिलाई से 4.50 बजे सुबह सूचना मिलने पर लगभग 5.30 बजे मैं घटनास्थल पर पहुंचा । पुलिस विभाग के नियंत्रण कक्ष से सूचना मुझे मेरे घर पर फोन से मिली थी । घटनास्थल पर पुलिस विभाग का फोटोग्राफर प्रभात वर्मा भी पहुंचा था । मैं हुडको कॉलोनी के क्वा0नं0- एम0आई0जी0-1/55 पर गया था । मैं जब मौके पर पहुंचा तो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे । घटनास्थल पर पहुंचकर मैं घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया, आवश्यक फोटोग्राफ कराया गया और आवश्यक मेजरमेंट लिये गये तथा घटनास्थल से परीक्षण हेतु आवश्यक वस्तुओं का संकलन करवाया गया, तथा आवश्यक प्रारंभिक परीक्षण किये गये और आवश्यक परीक्षण किये गये ।

3. उस मकान में 2 कमरे, एक बरामदा, पीछे आंगन था । मेरे द्वारा घटनास्थल वाले कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा मकान के सामने के कोटयार्ड का भी निरीक्षण किया गया ।

4. घटनास्थल एक एम0आई0जी0 टाईप का क्वार्टर है । इसके दाहिने तरफ एक दरवाजा और 4 खिड़कियां हैं । सामने कोटयार्ड एवं गेट है । फोटो क्रमांक-1 बाईं तरफ से खिड़की नं0-2 को [illegible] खुला होना पाया गया । इस खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई है एवं परदा पड़ा हुआ है । सलाखें आड़ी लगी हुई थी । मकान के बाईं तरफ के कमरे में मृतक सोया हुआ था । खिड़की नं0-2 के सामने कोटयार्ड [illegible] के बीच पेड़-पौधे आदि लगे हुये हैं । सामने कोटयार्ड की ऊंचाई लगभग साढ़े 3 फीट पाई गई । इससे आसानी से खिड़की तक पहुंचा जा सकता है । इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह देखने में [illegible]
[illegible]

मकड़ी का जाला आदि साफ पाया गया । जबकि कोटयार्ड की शेष किनारे पर [illegible] के बाद तक जाला लगा हुआ पाया गया । खिड़की के अंदर के कमरे । जहां मृतक सोया था। देखने पर खिड़की के बांई तरफ दीवाल एवं खिड़की के बांई तरफ सटा हुआ लकड़ी का तखत बिछा हुआ था एवं खाकी रंग की मच्छरदानी लगी हुई थी । उक्त मच्छरदानी के खिड़की के बांई तरफ निचले कोने के पास एक स्थान पर लगभग 5x5 इंच के क्षेत्र में स्टारनुमा हिस्सा कटा हुआ एवं जला हुआ पाया गया ।।फोटो क्र0-1।। जिसके किनारे पर लगभग एक इंच की चौड़ाई में कालापन दिखाई दिया । फोटो क्र0-2, 3, 4, 5। मच्छरदानी के जले हुये हिस्से से बिस्तर के अंदर खुन व कारतूस के वेड्स आदि दृष्टिगोचर हो रहे थे । खिड़की के बांये किनारे से मच्छरदानी की दूरी लगभग 6 इंच था दीवार से मृतक के तकिये के मध्य बिंदु की दूरी 1.8 फीट रही होगी । उक्त कमरे का अंदर जाकर निरीक्षण किया गया । मच्छरदानी को हटाकर बिस्तर का निरीक्षण किया गया । बिस्तर [illegible] तकिया के दाहिनी तरफ दीवार से 8 इंच एवं बिस्तर से नीचे की तरफ 1.6 इंच दूरी पर काफी मात्रा में खुन बहा हुआ पाया गया । ।फोटो क्र0-6। इसी स्थान पर 2 वेड्स रक्तरंजित मिले । थोड़ा नीचे की ओर भूरे रंग के कागज के कुछ और वेड्स व कारतूस का पैकिंग मटेरियल मिला + जिनमें एक गोलाकार कागज पर एल0बी0, एल0जी0, एल0जी0 अंकित पाया गया । बिस्तर के पिछले हिस्से में भी एक प्लास्टिक का गोलाकार टुकड़ा व अन्य टुकड़े पाये गये ।।फोटो क्र0-7, 8, 9, 10। मच्छरदानी में अंदर की ओर से निरीक्षण करने पर कई स्थानों पर मच्छरदानी के अधजले टुकड़े चिपके हुये पाये गये । टुकड़े बिस्तर में भी यहां-वहां बिखरे पाये गये । वेड्स व उनके टुकड़े बिस्तर पर दाहिनी तरफ अर्थात मृतक के पीठ की ओर एवं पैरों की लंबाई तक फैले हुये पाये गये । मच्छरदानी से वेड्स या गोली बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं मिला । मच्छरदानी में निर्मित छिद्र की फर्श से ऊंचाई।कमरे के फर्श। लगभग 3.1 फीट पाई गई । खिड़की के दाहिने कोने से छिद्र की तिरछे में लंबाई 2.10 फीट पाई गई । घटनास्थल पर निम्नलिखित प्रारंभिक परीक्षण किये गये ।-

।1। नाइट्राइट परीक्षण:- यह परीक्षण मच्छरदानी के जले हुये भाग के आसपास पश्चिमी दीवार, किताब । तकियाव दीवार के मध्य रखी हुई किताबा पर धनात्मक पाये गये ।

।2। लेड परीक्षण :- मच्छरदानी के। छितरे हुये टुकड़ों पर धनात्मक पाये गये ।

।3। बेंजडीन परीक्षण:- बिस्तर पर बिखरे रक्त के। लिये धनात्मक पाये गये ।

।4। मृतक पर आई चोटों का परीक्षण डॉ तिवारी मच्युरी आकर किया गया ।

मरचुरी में एफ0एस0एल0 की गाड़ी से आये थे और मेरे साथ फोटोग्राफर भी था। घटनास्थल से मरचुरी करीब साढ़े 3 कि0मी0 होना था है। जिला चिकित्सालय से मरचुरी करीब एक-डेढ़ कि0मी0 दूर है। मैं करीब 10.00 बजे मरचुरी पहुंचा। मृतक का शव मरचुरी में सामने कोटयार्ड में रखा था। वहां पर डॉ0 मिश्रा थे तथा बहुत से लोग थे।

5. मेरे द्वारा मृतक के शरीर पर आई चोटों का बाहरी तौर पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करके चोटों का फोटोग्राफ और स्केल के साथ फोटोग्राफ लिवाया गया। मृतक के बांई तरफ कंधे पर पैलेट से आई चोटों का फोटो लिये गये फोटो क्र0-12से16। पैलेट्स का बिखराव त्रिभुजाकार पाया गया। बिखराव का क्षेत्र का डाइमीटर 6 से0मी0 पाया गया। घावों के आसपास टेटूई मार्क पाये गये। विवेचक को सलाह दी गई कि पोस्टमार्टम के दौरान पैलेट्स शरीर से निकाले जाकर सुरक्षित कराये जायें साथ ही पैलेट्स के घावों के चारों ओर की चमड़ी सुरक्षित रखवाई जाये। मृतक का विसरा सुरक्षित करायें। घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्य, घटनास्थल पर संभावित पदचिन्ह, अंगुल चिन्ह व औजार चिन्ह की खोज की गई, किंतु कोई चिन्ह प्राप्त नहीं हो सका। घटनास्थल से निम्नलिखित सामग्री परीक्षण हेतु जप्त किये जाने की सलाह विवेचक को दी गई :-

1। मच्छरदानी। जिसमें फायर से एक स्टारनुमा छेद सा हो गया है, जिसके चारों ओर कालेपन का निशान है।

2। बिस्तर पर पड़े हुये वेड्स व उनके टुकड़े।

3। मच्छरदानी के छोटे टुकड़े, जो फायर के दौरान छितरा गये हैं।

4। खून आलूदा कपड़े रक्त परीक्षण हेतु।

विवेचक को दी गई सलाह:- विवेचक को सलाह दी गई कि घटनास्थल एवं पोस्टमार्टम पश्चात मृतक से जप्त वस्तुयें परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0, सागर भिजवायें एवं घटनास्थल के रिकंस्ट्रक्शन, रेंज ऑफ फायर व लाईन ऑफ फायर ज्ञात किये जाने हेतु एफ0एस0एल0, सागर स्थित बैलेस्टिक एक्सपर्ट बुलवाये जायें, विसरा परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0, सागर भिजवायें, साथ ही प्रकरण की

शि.
डा (स.ए.)

विवेचना के दौरान यदि संदिग्ध अपराधी से हथियार व खाली कारतूस प्राप्त होता है तो वह भी परीक्षण हेतु एफ०एस०एल०, सागर भिजवायें।

6. मैंने जो निरीक्षण व परीक्षण किये उसका उसी समय रफ बनवाया और फिर मैंने बाद में टाईप करवाया। प्रदर्श पी-200 मेरी रिपोर्ट है, जिसके पी-20 अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

7. घटनास्थल का निरीक्षण कराने के बाद मैंने स्वयं घटनास्थल का नक्शा बनाया था। यह प्रदर्श पी-188 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने यह नक्शा 1 फीट = 1/2 इंच के माप के आधार पर बनाया है। प्रदर्श पी-188 घटनास्थल वाले कमरे का है। मैंने इस नक्शे में अलग से खिड़की की स्थिति दर्शाई है। मच्छरदानी में जो छेद था उसको मैंने अलग से स्टार के रूप में दर्शाया है। कमरे की ऊंचाई 9 फीट थी। कमरे की चौड़ाई 10 फीट थी। लंबाई 9.9 फीट थी। कमरे में 2 खिड़कियां थीं। दोनों खिड़कियों की चौड़ाई 2 फीट 7 इंच थी तथा ऊंचाई 3 फीट 6 इंच थी। खिड़की की चौखट और सबसे नीचे वाले सलाख के बीच की दूरी 5 इंच थी। इसी प्रकार सबसे ऊपरी सलाख और चौखट के बीच का स्थान 5 इंच था। नीचे से तीसरी और चौथी सलाख की दूरी साढ़े 4 इंच थी। खिड़की नं-1 खुली हुई थी तथा नं0-2 बंद थी। तखत की लंबाई 6 फीट तथा चौड़ाई 4 फीट थी तथा ऊंचाई ~~छछछछछ~~2फीट थी।

8. कमरे के फर्श से मच्छरदानी में बने छेद की ऊंचाई 3 फीट एक इंच थी। पलंग तखत पर बिछे गद्दे से मच्छरदानी के छेद की ऊंचाई एक फीट थी। कमरे के फर्श से खिड़की की ऊंचाई 3.5 फीट थी। छेद का आकार 5 इंच बाई 5 इंच थी। पश्चिमी दीवार से होल की दूरी 6 इंच थी। खिड़की से। खिड़की नं0-1 से मच्छरदानी में बने हुये छेद की तिरछी में लंबाई 2 फीट 10 इंच थी। कमरे के पूर्वी ओर दरवाजे की चौड़ाई 2 फीट 6 इंच थी तथा ऊंचाई 6 फीट 8 इंच थी। पश्चिमी दीवार से तकिये की दूरी एक फीट 8 इंच थी। तखत के दक्षिणी सिरे से रक्त की दूरी 1.6 इंच थी एक फीट 6 इंच थी। तखत के पश्चिमी किनारे से रक्त स्पॉट की दूरी 8 इंच थी। पश्चिम-पूर्वी दिशा में लंबाई में रक्त का फैलाव 8 इंच था। मैंने नक्शे में जो डार्क स्पाट दिखाये हैं वहां पर वेइस पड़े हुये हैं। लाईट डाट्स अन्य कागज के टुकड़े के हैं। मच्छरदानी के छेद को मैंने दक्षिण-पश्चिमी कोने में दिखाया है। तकिया तखत के दक्षिण दिशा में था। किताब दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर था। यह किताब तखत पर था। सिगरेट का पैकेट पूर्वी-दक्षिणी किनारे पर था। यह तखत पर था।

घटनास्थल के निरीक्षण की व्यस्तता के कारण मुझे रिपोर्ट भेजने में 5 दिनों का विलंब हुआ । मैं दिनांक 28-9-91 को ही रिपोर्ट इसलिये नहीं बना सका कि मोबाईल यूनिट में काम करने वाला मैं अकेला अधिकारी हूं और सभी काम अकेले मुझे ही करना पड़ता है । घटनास्थल से मैं शाम को करीब 4-5.00 बजे वापस अपने ऑफिस आ गया । जब मैं घटनास्थल सुबह पहुंचा था तो वहां पुलिस उप-निरीक्षक दुबे मौजूद थे । वहां पर राजेश तिवारी, उप-निरीक्षक जी०एन० दुबे उपस्थित थे । प्रकरण का अनुसंधान राजेश तिवारी कर रहे थे उनके साथ दुबे भी थे । कमरे में जो सामान पड़े थे और बिस्तर में जो सामान थे उन्हें मैंने उप-निरीक्षक जी०एन० दुबे के साथ देखा था । यह बात सही है कि मैंने दुबे से कहा कि कमरे और बिस्तर में जो सामान पड़े हैं उन्हें जप्त कर लीजिये । मैंने यह बात तिवारी को भी बताया था । मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सामानों की जप्ती कितने बजे की गई । मैं घटनास्थल पर शाम के करीब 5.00 बजे तक था । मुझे इस बात की शाम तक जानकारी नहीं हुई कि सामानों की जप्ती हुई कि नहीं । शाम को 5.00 बजे तक मैं घटनास्थल को बारीकी से देखा । घटना के संबंध में अधिकारियों से चर्चा भी किया ।

10. मरचुरी जाने के पूर्व मैंने घटना के संबंध में नगर-निरीक्षक राजेश तिवारी और उप-निरीक्षक जी०एन० दुबे से चर्चा किया था । मरचुरी में लगभग 10.00 बजे गया था । मरचुरी से लौटकर मैं घटनास्थल वाले कमरे में फिर आया था । मरचरी से मैं लगभग 3-3.30 बजे दोपहर में लौटा था । मुझे जानकारी नहीं है कि मरचुरी जाने के पूर्व घटनास्थल का सामान जप्त हो गया था या नहीं । मैं सुबह करीब 6.00 बजे से सुबह 9.30 बजे तक घटनास्थल वाले कमरे में था । इस दौरान जप्ती की कार्यवाही चल रही थी । मैंने यह बताया था कि क्या सामान जप्त करना है । मैंने यह कहा था कि ये जप्त करो, ये जप्त करो । मैंने जप्ती की सलाह दिया था । उन्होंने मेरे सामने जप्ती नहीं किया है । मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि 9.30 बजे तक सामानों की जप्ती की गई या नहीं । मैं सुबह 6.00 बजे से 9.30 बजे के बीच कई बार कमरे से बाहर भी गया । मैं कमरे के बाहर इस आशय से गया था कि कहीं कोई भौतिक साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है । मैं उस मकान के करीब 1 कि०मी० दूर तक भौतिक साक्ष्य का भी तलाश किया । मैंने 1 कि०मी० दूर तक भौतिक साक्ष्य का तलाश 6.00 बजे से सुबह 9.30 बजे तक के बीच में किया । मुझे यह समय निश्चित रूप से याद नहीं है जब मैं कमरे के बाहर गया था और निरीक्षण किया था ।

उत्तरदीवाल से खत के बीच की दूरी साढ़े ।। इंच थी और दक्षिणी दीवाल से 3 फीट 2 इंच थी । खत पश्चिमी दीवाल से सटा हुआ था । मैंने पी-188 के नक्शे में त्रुटिवश उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर दिखा दिया है, इसी तरह पूर्व को पश्चिम और पश्चिम को पूर्व दिशा दिखा दिया है । फोटो क्र0-1 प्रदर्श पी-201 है, इसका निगेटिव पी-201अ है । पी-201 201अ फोटोक्र0-2 पी-202 है तथा निगेटिव 202 अ है । फोटो क्र0-3 पी-203 पी-202 202अ है, इसका निगेटिव पी-203 अ है । फोटोक्र0-4 पी-204 है, इसका निगेटिव 204अ है । फोटो क्र0-5 पी-205 है, इसका निगेटिव 205अ है । फोटो क्र0-6 पी-206 है, इसका निगेटिव पी-206 अ है, फोटो क्र0-7 पी-207 है, इसका निगेटिव 207 अहै । फोटो क्र0-8 पी-208 है, इसका निगेटिव 208अ है, फोटो क्र0-9 पी-209 है, इसका निगेटिव 209अ है । फोटो क्र0-10 पी-210 है, इसका निगेटिव 210अ है । फोटो क्र0-11 पी-211 है, इसका निगेटिव 211 अहै । फोटो क्र0-12 पी-192 है, इसका निगेटिव पी-192अ है । फोटो क्र0-13 से 16 पी-212 से 215 है, इनके निगेटिव क्रमशः पी-212अ से 215अ हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

मैं जब कमरे में गया तो जो भी चीज देखा उसके संबंध में नोटस बनाया था । वह नोटस मेरे फाईल में लगा है । फाईल मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं । मैंने जिस दिन निरीक्षण किया उसी दिन पुलिस को अपना प्रतिवेदन नहीं भेजा था । मैंने अपनी रिपोर्ट दि0 3-10-91 को डिस्पेच किया है । यह बात सही है कि मैंने प्रदर्श पी-188 का नक्शा दि0 3-10-91 को रिपोर्ट के साथ संलग्न करके भेजा था, किंतु निरीक्षण के दौरान मैंने इसका रफ बना लिया था । मैंने पी-188 का फेयर नक्शा भी निरीक्षण के दौरान बना लिया था । टायपिंग, डिस्पेचिंग आदि कारणों से तथा

यह बात सही है कि मसूरी से लौटकर आने के बाद मैंने कमरे के बाहर का निरीक्षण किया था । मुझे आज याद नहीं है कि खिड़की की जमीन से लेकर बाउंडरी वॉल तक घास थी या नहीं । मैंने मकड़ी का जाला बाउंडरी वॉल के किनारे के नीचे की ओर साफ होना पाया था । मैंने मकड़ी का जाला बाउंडरी वॉल के अंदर के तरफ के उस हिस्से में पाया कि जो खिड़की के तरफ है । बाउंडरी वॉल के उपरी हिस्से के करीब 1 फीट नीचे मकड़ी का जाला साफ होना पाया था । मुझे इसका अनुमान नहीं है कि मकड़ी का जाला कितने दायरे में साफ होना पाया था । मैं आज यह नहीं कह सकता कि मकड़ी का जाला जो साफ हुआ था वह 3 से 4 फीट के दायरे में था । मुझे दीवाल के ऊपर ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे यह आभास हो कि कोई आदमी चढ़ा हो । मैंने निशान देखने का प्रयास किया, किंतु निशान नहीं मिला । मैंने जहां पर मकड़ी का जाला साफ था वहां से खिड़की तक के जमीन तक पैर के निशान का खोज किया किंतु मुझे कोई निशान नहीं मिला । मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे पहुंचने के पहले कोई पुलिसवाला घटनास्थल के दीवार को छूकर देखे थे या नहीं ।

11. यह कहना गलत है कि मैंने तकिये के पास कोई किताब नहीं देखा था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस उप-निरीक्षक दुबे ने कोई किताब जप्त किया या नहीं । मेरे द्वारा इसके संबंध में कोई सलाह नहीं दिया गया था । मैं पुलिस विभाग का कर्मचारी हूं । मेरा फोटोग्राफर भी पुलिस विभाग का कर्मचारी है । मैं किताब की जप्ती का सलाह नहीं दिया था, इस कारण विवेचक ने किताब जप्त नहीं किया, इसके अलावा मैं और कोई कारण नहीं बता सकता कि विवेचक ने किताब क्यों जप्त नहीं किया । मैंने बिस्तर पर रखे चार्म्स सिगरेट के पैकेट को जप्त करने का सलाह नहीं दिया था । जब मैंने पी-188 का नक्शा बनाया उस समय उप-निरीक्षक दुबे भी मौजूद थे नक्शा बनाने में मुझे उप-निरीक्षक दुबे नहीं, बल्कि फोटोग्राफर मदद कर रहा था । मैंने जो नक्शा बनाया उसे पुलिस अधिकारियों को उस समय नहीं दिखाया था ।

प्र0:- प्रदर्श पी-158 का नक्शा जो उप-निरीक्षक जी0एन0दुबे द्वारा दि0 28-9-91 को बनाया गया है उसमें किताब के बारे में उल्लेख नहीं है, इस संबंध में आपका क्या कहना है ?

नोटः- चूंकि यह नक्शा इस साक्षी द्वारा बनाया गया नहीं है और वह इस नक्शे का साक्षी नहीं है । अतः यह प्रश्न अस्वीकार किया जाता है ।

12. मैंने टैटूइंगके जो निशान पाये थे वे काले-भूरे रंग के थे। मैं नहीं बता सकता कि उसमें भूरा रंग कैसे आ गया। मैं नहीं बता सकता कि टैटूइंगत्वचा पर क्यों होता है। मैं इस बात का कारण नहीं बता सकता कि मृतक के शरीर पर टैटूइंगका निशान क्यों था।

13. यह बात सही है कि मृतक जिस पर तखत में सोया था उसके पैर की तरफ जमीन में एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। प्रदर्श पी-205 के फोटो में ब्रीफकेस के हैंडिल में एक टैग लगा हुआ है। ब्रीफकेस बंद था। मैंने ब्रीफकेस खुलवाकर यह नहीं देखा कि उसमें क्या था। प्रदर्श पी-205के फोटो का लाईट फ्लेशगन की लाईट है। यह बात सही है कि पी-205 के फोटो में चप्पल वहीं पड़े हैं, जहां पर ब्रीफकेस रखा हुआ है। पी-210 के फोटो में किताबके पास जो चीज रखी है वह बॉम जैसी शीशी है। उस शीशी पर मुझे कोई रक्त का निशान नहीं मिला था। मैं नहीं बता सकता कि वह किताब कौन सी थी और किसभाषा में थी। किताब का शीर्षक क्या था और उसका लेखक कौन था यह भी मैं नहीं बता सकता। पी-212 के फोटो में टैटूइंग के निशान नहीं दिख रहे हैं। पी-213 में टैटूइंगके निशान दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैंने उस निशान को अभी लाल स्याही से मार्क किया है। पी-213 के फोटो में अभी मैंने लाल तीर से मृतक के सिर को दर्शाया है। पी-213 के फोटो में मृतक के शरीर में 6 छर्रों के निशान हैं, इनसे जो त्रिभुज बना है उसका आधार किसी भी दिशा में हो सकता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि टैटूइंग के निशान के दिशा से भी गोली चलाई जा सकती है। पी-206 का फोटो भी फ्लेशगन से लिया गया है। यह फोटो जमीन पर खड़े होकर मच्छरदानी को ऊपर उठाकर लिया गया है। यह बात सही है कि इस फोटोग्राफ में मच्छरदानी का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। पी-206 के फोटो में फ्लेशगन से फोटो लेने पर जो शेडो बनता है वह किताब के एक किनारे पर पर दिख रहा है, जिसे मैंने अभी लाल स्याही से अंकित किया है। मैंने पी-207 में जो लाल स्याही का निशान दिखाया है वह तकिये से पैर की ओर का दृश्य है। मुझे ठीक से याद नहीं कि किताब के कव्हर का रंग क्या था।

14. पी-201 के फोटो में बाउंड्री वॉल का जो गेट है वहां से घटनास्थल वाली खिड़की कितनी दूर है यह अंदाज से नहीं बता सकता। मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह दूरी 40-50 कदम है, यह 8-10 कदम की दूरी हो सकती है। मकान में जाने के लिये बाउंड्री वॉल में एक ही गेट था और मकान के अंदर जाने के लिये सामने सिर्फ एक दरवाजा है।

गवाह नं0;- 84 अभियोजन की तरफ से पेज क्र0-5

प्रदर्श पी-20। के फोटो में सामने जो अंदर जाने का एक दरवाजा दिख रहा है उसकी मुझे जानकारी है। सामने या पीछे और दरवाजा हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पी-20। के फोटो में मकान का जो सामने दरवाजा दिखाया गया है और खिड़की के पास अंदर जो बारूद मिले थे उसकी दूरी 3-4 फीट रही होगी।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधिवक्ता वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अमित, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

15. पी-204 के फोटो में जो खिड़की दिख रही है उसकी चौड़ाई मैंने 2फीट 7 इंच बताया है। पी-204 के फोटो में दिख रहा है कि जो मच्छरदानी लगी है वह पूरी खिड़की 2 फीट 7 इंच जगह छूटी हुई थी है। यह बात सही है कि इस फोटो में तख्त के सिरहाने से कमरे के अंदर खिड़की तरफ पूरी 2 फीट 7 इंच जगह छूटी हुई है। यह बात सही है कि यह जगह इतना पर्याप्त है कि उस छूटे जगह में कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है। यह बात सही है कि उस जगह पर खड़ा हुआ व्यक्ति खिड़की के दोनों पल्ले आसानी से खोल सकता है और बंद कर सकता है। मैं यह नहीं बता सकता कि कोई व्यक्ति खिड़की में हथियार रख सकता है या नहीं। छूटे हुये स्थान पर खड़ा व्यक्ति मच्छरदानी के छेद वाले स्थान से करीब 6 इंच पहले वाले स्थान पर अपना हाथ आसानी से बढ़ा सकता है। मैं नहीं बता सकता कि वह व्यक्ति हाथ में हथियार रख सकता है या नहीं।

16. मैंने नियोगी जी को मृत अवस्था में तख्त पर नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पहुंचने के पहले उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका था। मैंने जो यह लिखा है कि मृतक तख्त पर सोया था, वह वास्तव में सोया नहीं था, यह मुझे दी गई जानकारी के आधार पर है। मैं जब घटनास्थल का निरीक्षण कर रहा था उस दौरान 6.00 से 9.30 बजे के बीच मुझे सूचना मिली कि नियोगी जी की मृत्यु हो गई है। मैंने रफ डायग्राम में जैसा लिखा था वैसा ही फेयर बनाया है। मैंने कुछ मामूली परिवर्तन जैसे इंच को से0मी0 में परिवर्तन किया है। मैंने रफ में यह नहीं लिखा था कि मृतक तख्त पर सोया था। यह तथ्य मैंने रिपोर्ट बनाते समय बाद में लिखा है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधिवक्ता वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

17. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राकेश दुबे, अधिवक्ता वास्ते अभि० पलटन.

18. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी० के० झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म० प्र०)

(टी० के० झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म० प्र०)

सत्यप्रतिलिपि

प्रतिलिपिकार
कार्या. जिला एवं सत्र
दुर्ग (म.प्र.)

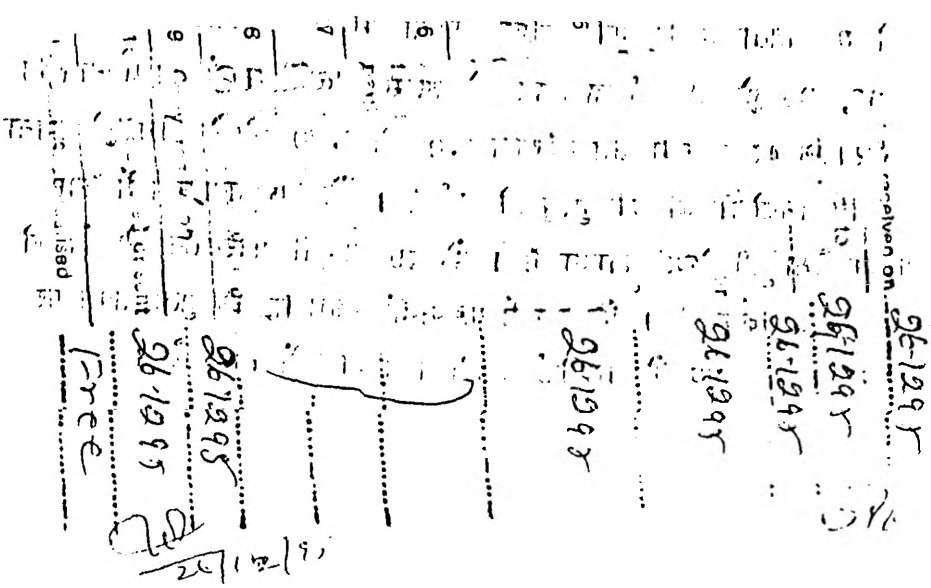

प्रकरण/एम०पी०

5383/9?

मूल अभिलेख प्रकरण ... जो कि श्री के.के. एल. राजपूत, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित हैः-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रान्नू आ० छोटकन,
   साकिन- थाना आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन-क्वार्टर नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोहरई मल्लाह,
   साकिन- सिमरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेंगू आ० रायल सिंह सेंगू,
   साकिन- [illegible]-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

Cr.A. No. 5333/83

85 अभियोजन की ओर से

19-12-95 38 वर्ष

एच0ओ0कुलभास्कर

श्री घरीलाल कुलभास्कर अतिस्टेंट मैनेजर

करेंसी ट्रेस्ट भोपाल.

शपथपूर्वक :-

1. सन् 1991 के अक्टूबर महीने में मैं भिलाई में मौर्या टॉकीज के पास के सिंडीकेट बैंक में पदस्थ था । उस समय मैं सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ था । किसी व्यक्ति को यदि हमारे बैंक में खाता खोलना हो तो वह बैंक से अकाउंट ओपेनिंग फॉर्म और स्पेशीमेन फॉर्म प्राप्त करता है और उक्त दोनों दस्तावेजों कोभरकर वह व्यक्ति बैंक में खाता खोलने के लिये जमा करता है । यदि कोईअपरीचित व्यक्ति बैंक में नया खाता खोलना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति का परिचय देना पड़ता है, जिसका हमारे बैंक में पूर्व से खाता हो । परिचय देने वाले व्यक्ति को यह बताना पड़ता है कि वह खाता खोलने वाले व्यक्ति को कब से जानता है,परिचय देने वाले व्यक्ति को वैसा ही हस्ताक्षर करना पड़ता है, जैसा कि उसके बैंक खाते में होता है । जब फॉर्म भरकर जमा किया जाता है तो यह देखा जाता है कि फॉर्म पूर्ण है या नहीं, यदि उसमें हस्ताक्षर छूटा रहता है तो हस्ताक्षर करवा लिया जाता है । परिचय देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को बैंक के स्पेशीमेन कॉर्ड से मिलान किया जाता है । जो बैंक अधिकारी फॉर्म की जांच करता है वह फॉर्म को सही पाने पर उस पर अपना हस्ताक्षर करता है । आवेदक स्पेशीमेन कॉर्ड के दो स्थानों पर अपना हस्ताक्षर काउंटर पर करता है । इसके बाद फाइनल एप्रूवल के लिये दस्तावेजों को मैनेजर के पास भेजा दिया जाता है । मैनेजर यह मिलाते हैं कि सहायक प्रबंधक ने जो मिलाया है वह ठीक है या नहीं । बैंक में खाता खोलने के लिये एक न्यूनतम रकम जमा करना पड़ता है । पैसा जमा करने के लिये क्रेडिटस्लिप । स्लिप। भरकर केशियर को देना पड़ता है । केशियर के पास में पैसा स्क्रूल अफसर के पास आता है और वहां से संबंधित काउंटर क्लर्क के पास आ जाता है, जो लेजर में उसका इंद्राज करता है । जिस व्यक्ति का खाता खोला जाता है उसे बैंक की ओर से पासबुक दिया जाता है ।

2. अक्टूबर 91 में सिंडीकेट बैंक शाखा भिलाई के मैनेजर पी०एस०कोशा थे । प्रदर्श पी-140 का एकाउंट ओपेनिंग फॉर्म है।यह फॉर्म दिनांक 4-10-91 को मेरे सामने आया था । यह आवेदन ज्ञान गिरा के नाम से है, परिचय दाता हितेश कुमार भतीन है, जिसका खाता नंबर 4128 है । हितेश कुमार ने इस फॉर्म में यह लिखा है कि वह ज्ञान गिरा को 6 वर्षों से जानता है । पी-140 के अ से अ भागों पर के हस्ताक्षर का मिलान कियाथा ।

अपर जिला ... दुर्ग (म.प्र.)

ब से ब भाग पर खाता खोलने वाले ज्ञान मिश्रा ने हस्ताक्षर किये थे । स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं और उसके नीचे/सामने तारीख भी डाला है । मैं तत्कालीन शाखा प्रबंधक पी0 व्यंकटेश के हस्ताक्षर से परीचित हूं, इस फॉर्म के द से द भाग पर पी0व्यंकटेश के हस्ताक्षर हैं । इ से इ भाग पर लाल स्याही से मेरे हस्ताक्षर हैं और खाता क्रमांक 5405 मेरे द्वारा लिखा गया है । प्रदर्श पी-216 स्पेसीमेन कॉर्ड है । इस कॉर्ड में हस्ताक्षर अ से अ भाग पर ज्ञान पी-216 मिश्रा के हैं । मैं प्रबंधक पी0व्यंकटेश के हस्ताक्षर से अच्छी तरह से परीचित हूं । इस कॉर्ड के ब से ब भाग पर पी0व्यंकटेश के हस्ताक्षर हैं । खाता क्रमांक- 5405 एवं उसके उपर इंडयूज्बल काले स्याही से पी0व्यंकटेश के द्वारा लिखे गये हैं । मैं पी0व्यंकटेश के हस्ताक्षर से अच्छी तरह से वाकिफ हूं । उस समय काउंटर क्लर्क नरेन्द्र शुक्ला थे । इस कॉर्ड में ज्ञान मिश्रा और खाता क्रमांक- 5405 नरेन्द्र शुक्ला द्वारा उपर में लिखा गया है, जिसे स से स के रूप में अंकित किया गया । स्पेसीमेन कॉर्ड संबंधित अधिकारी के पास विशेष कस्टडी में रहता है ।

3. प्रदर्श पी-217 क्रेडिट स्लिप है, जो दिनांक 7-10-91 का है । पी-2 दिनांक 7-10-91 को 1,500/- रूपये ज्ञान मिश्रा के नाम पर जमा किया गया है । परीक्षक के रूप में इस पर मेरे अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं । इसमें केशियर का इस बात का स्टाम्प लगा है कि 1,500/- रूपये प्राप्त हुये हैं । दिनांक 10-10-91 को 1,500/- रूपये ज्ञान मिश्रा के नाम पर नगद जमा किया गया है । यह क्रेडिट स्लिप प्रदर्श पी-218 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर अ से अ भाग पी-218 पर हैं । इसमें केशियर का इस बात का स्टाम्प लगा है कि 1,500/- रूपये नगद प्राप्त हुये । 12-10-91 को प्रदर्श पी-219 के क्रेडिट स्लिप में ज्ञान मिश्रा के पी-21 नाम पर 1,100/- रूपये नगद जमा किया गया है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । केशियर ने उक्त क्रेडिट स्लिप पर 1,100/- रूपये नगद प्राप्त होने का सील लगाया है । दिनांक 15-10-91 को प्रदर्श पी-220 के क्रेडिट स्लिप में ज्ञान मिश्रा के नाम पर 2,700/- रूपये जमा किया गया है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, केशियर ने इस बात का स्टाम्प लगाया है कि उक्त रूपये नगद प्राप्त हुये । पी-221 खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि है । इसे मैनेजर पी0 पी-22 व्यंकटेश ने दो स्थानों पर सत्यापित किया है । यह प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23-11-91 को बनाया गया है ।

4. दिनांक 22-11-91 को ज्ञान मिश्रा का एकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसीमेन कॉर्ड जप्त किया गया था जिसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-222 है । पी-222

इस पर अ से अ भाग पर पी0वेंकटेश के हस्ताक्षर हैं । पी-223 जप्ती-पत्र पी-223 है, जिसमें 5 क्रेडिट स्लिप, सेल की प्रमाणित प्रतिलिपि जप्त किया गया है । इसके अ से अ भाग पर पी0वेंकटेश के हस्ताक्षर हैं।

5. ज्ञान सिंह को व्यक्तिगत रूप से पहचानना मुश्किल है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

6. यह बात सही है कि पी0वेंकटेश एवं नरेन्द्र शुक्ला दोनों बैंक की सेवा में हैं । मैं परिचय देने वाले को उसके हस्ताक्षर से जानता था, मैं परिचय देने वाले को और खाता खोलने वाले को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था ।

प्र0 :- प्रदर्श पी-221 बैंकर्स बुक एवीडेंस के मुताबिक सत्यापित नहीं किया गया है ?

उत्तर :- यह खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि है ।

7. श्री संघी, अधि0 ने यह आपत्ति किया कि पी-221 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । यह आपत्ति निरस्त की जाती है । पी-221 का साक्ष्य में क्या महत्व है, इसका निर्णय के समय विचार किया जायेगा ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

8. यह बात सही है कि भिलाई में सिंडीकेट बैंक मौर्या टॉकीज के परिसर में ही है । सिंडीकेट बैंक मौर्या टॉकीज के बाउंड्री से अलग है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मौर्या टॉकीज का और सिंडीकेट बैंक के बिल्डिंग का मालिक एक ही आदमी है । मुझे नहीं मालूम कि वह बिल्डिंग किराये पर थी । मुझे नहीं मालूम कि मौर्या पिक्चर्स सुनील अग्रवाल, कैलाशपति केडिया और अजय गुप्ता, ।बी0के0 इंडस्ट्रीज वाले। की है या नहीं । मुझे नहीं मालूम कि उक्त तीनों व्यक्ति मौर्या पिक्चर्स के भागीदार हैं या नहीं । मुझे नहीं मालूम कि भिलाई में सिंडीकेट बैंक जिस बिल्डिंग में है उसका किराया मौर्या टॉकीज वालों को पटाया जाता है या नहीं । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे बैंक के सामने कैम्पस एरिया था या नहीं ।

9. यह बात सही है कि जिस आदमी का पहले से खाता हो उसमें कोई भी आदमी पैसा जमा कर सकता है। क्रेडिट स्लिप में जमा करने वाले का कई बार हस्ताक्षर छूट भी जाता है और कई बार नहीं भी रहता है। ज्ञान मिश्रा नाम के कई आदमी हो सकते हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

10. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

11. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

। टी० के० झा। । टी० के० झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग। म० प्र०। दुर्ग। म० प्र०।

सत्यप्रतिलिपि
6/12/95
प्रभारी प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

S343/92

जे.के. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरु नगर, भिलाई
2. शारदा [illegible] मिश्रा उर्फ शारदा आ० छोटकन,
   साकिन- थाना [illegible] कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० शिवकुमार सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- शिल्पलोक कालोनी, आदर्श नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- शिल्पलोक कालोनी, आदर्श नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० भोलाई मल्लाह,
   साकिन- निम्सी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. धर्मेन्द्र सिंह [illegible] आ० राजेन्द्र सिंह [illegible],
   साकिन- आर-37, एम०पी०ह०बो० [illegible] कालोनी,
   इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

~~ 3333/75

86 अभियोजन की ओर से

19-12-95 29 साल

शत्रुघ्न पटेल

श्री दुखुराम पटेल मजदूरी

छावनी बस्ती, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सरस्वती इंजीनियरिंग, भिलाई में मजदूरी करता हूं । दिनांक 13-10-91 को मैं और एस०एल०यादव दुर्गा पूजा देखने के लिये से-6 थाने के सामने से जा रहे थे । यह बात रात के करीब 11.00 बजे की है । हम लोग कोतवाली थाने के सामने पानठेले में पान खाने के लिये रूके थे । उसी समय कोतवाली से एक सिपाही आया । पुलिस वाले ने कहा कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश बयान देना चाहता है उसने हम लोगों से कहा कि हम लोग चलकर देखें कि वह सही ढंग से बयान दे रहा है या नहीं । पुलिस वाले ने मुझे, एस०एल०यादव और उस पानठेले वाले को भी बुलाकर ले गया था । उस पानठेले वाले का नाम विभूतिनारायण है । हम लोग कोतवाली थाने में गये ।

2. थाने में पुलिस अधिकारी अग्रवाल साहब बैठे थे । अग्रवाल साहब ने बताया कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश बैठा है, वहां पर कुछ और पुलिस वाले थे । थाने में ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने बताया कि - वह, चंद्रकांत शाह, अवधेश, अभयसिंह और रवि ड्रायव्हर के साथ टेम्पो ट्रेव्हलर से नेपाल गये थे और वहां पप्पू के द्वारा सौदा करके .22 बोर का रायफल एवं 250 कारतूस खरीदे । बेतिया बिहार से 25 बोर का पिस्तौल और 7 राउंड मेक्जिन विदेशी कंपनी, पिस्तौल और साथ में 32 बोर का एक रिवाल्वर मय मेक्जिन का खरीदे । इसमें से 25 बोर की पिस्तौल और मेक्जिन दुर्ग टीमूर पारा में देवेन्द्र पाटनी नामक युवक को दिया हूं, जिसे चलकर मैं जप्ती करा दूंगा । साथ में .22 बोर का रायफल और कारतूस जो है वह चंद्रकांत शाह के पास में है ।

नोट :- अभियुक्तगणों की ओर से यह आपत्ति की गई कि इस साक्षी का उपर्युक्त साक्ष्य संस्वीकृति की कोटि में आता है और चूंकि यह पुलिस अधिकारी को दिया गया है, इसलिये यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ।।

3. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने जो बताया उसको पुलिस वाले ने वहां पर लिखा । दस्तावेज पर पहले विभूतिनारायण ने फिर एन०एल०यादव ने फिर मैंने तथा बाद में पुलिस अधिकारियों ने भी उस पर हस्ताक्षर किये । प्रदर्श पी-224 के ए०-1 के विभूतिनारायण पी-224 के 2 पर एन०एल०यादव के और ए०-3 पर अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख भी डाला है ।

4. जिस ज्ञानप्रकाश ने पुलिस को बयान दिया था उसे मैं आज पहचान सकता हूं । न्यायालय में उपस्थित अभि० ज्ञानप्रकाश मिश्रा ही वह व्यक्ति है, जिसने पुलिस को बयान दिया था । फिर सामानों की जप्ती के लिये अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, पुलिस अधिकारी अग्रवाल, कई अन्य पुलिस वाले, मैं, विभूतिनारायण एवं एन०एल० यादव जीप से टीमरपारा, दुर्ग आये । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा द्वारा बताये गये रास्ते से चलकर हम लोग टीमर पारा आये । एक चौक पर जीप रोका गया और फिर सब कोई चलकर एक गली में गये । ज्ञानप्रकाश ने एक घर का दरवाजा खटखटाया । वहां से एक व्यक्ति निकला । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने उस व्यक्ति से कहा कि देवेन्द्र जो हथियार मैंने तुम्हें दिया था वह पुलिस को सौंप दो । हम लोग उस व्यक्ति के मकान के अंदर गये, उसके बाद देवेन्द्र कुमार ने हथियार पिस्तौल और 6 गोलियां पुलिस को सौंप दिया । इसका जप्तीनामा वहां पर बनाया गया । उस जप्तीनामे पर मैं, विभूतिनारायण और एन०एल० यादव ने हस्ताक्षर किये । पुलिस वालों ने भी उस पर हस्ताक्षर किये । प्रदर्श पी-225 के ए०-1 एवं 2 पर विभूतिनारायण एवं एन०एल० यादव के हस्ताक्षर पी-2 हैं तथा ए०-3 पर मेरे हस्ताक्षर हैं । ब से ब भाग पर पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और स से स भाग पर देवेन्द्र पाटनी के हस्ताक्षर हैं ।

5. पुलिस अधिकारी ने उस हथियार और गोली दोनों को वहीं पर सीलबंद किया । हथियार लेने के पश्चात पुलिस वापस चली आई । हम लोग करीब 12.30 बजे रात में वापस आ गये ।

नोट :- इस साक्षी का बयान आपत्ति का निराकरण करने के लिये स्थगित रखा गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

। पक्षकारों ने निवेदन किये कि इस साक्षी ने बयान में जो साक्ष्य दिया है। उसकी ग्राह्यता के संबंध में निर्णय के समय विचार किया जाये।

निवेदन स्वीकृत।

नोट :- साक्षी को आज दिनांक 20-12-95 को पुन: शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया।

शपथपूर्वक :-

6. प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मिलापचंद शाह, नवीन शाह.

मैं छ0मु0मोर्चा का सदस्य नहीं हूं। मैंने छ0मु0मोर्चा का नाम सुना है। उस समय मैं शहीद अस्पताल, भिलाई में काम करता था, जिस समय ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने ये बयान दिया था। यह बात सही है कि शहीद अस्पताल छ0मु0मोर्चा वाले चलाते थे। यह बात सही है कि मैं जहां रहता था वहां से पुलिसथाना छावनी करीब 10 कि0मी0दूर था। पिस्तौल में अंग्रेजी अक्षर में कुछ लिखा था। किंतु क्या लिखा था यह मैं नहीं बता सकता। पिस्तौल जप्त कर हम लोग वापस थाने आये। यह कहना गलत है कि थाने में थानेदार ने मेरा बयान लिखा था। उस दिन जो कार्यवाही हुई उसके बारे में पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिखा था।

7. दिनांक 14-10-91 को पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। यह बात सही है कि पुलिस ने जब देवेन्द्र पाटनी से पूछताछ किये तो उसने बताया कि उसके पास एक विदेशी पिस्तौल और 6 कारतूस है, जिसे अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने दिया है। यहबात सही है कि उसके बाद पुलिस ने देवेन्द्र पाटनी से कहा कि पिस्तौल और कारतूस लाकर दीजिये। देवेन्द्र पाटनी फिर अंदर गये और पुलिस तथा ज्ञानप्रकाश भी अंदर गये। हम लोगभी अंदर गये। देवेन्द्र पाटनी पिस्तौल आलमारी में रखा था। मैं यह नहीं देख सका कि आलमारी में ताला लगा था या नहीं, क्योंकि मैं पीछे साइड खड़ा था। मैं यह पक्का नहीं बता सकता कि पिस्तौल आलमारी में ही थी। मैं कमरे के पास खड़ा था देवेन्द्र पाटनी कमरे से हथियार लेकर आया था। फिर देवेन्द्र पाटनी ने दूसरे कमरे में आकर वह हथियार पुलिसवालों को सौंपा था। पुलिस अधिकारी अग्रवाल देवेन्द्र पाटनी के साथ उस कमरे में गये थे, जहां से देवेन्द्र पाटनी हथियार लाये थे। मैं 11वीं कक्षा तक पढ़ा हूं और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करता हूं। प्रदर्श पी-225 का जप्ती-पत्र पाटनी के घर में ही लिखा गया था।

8. मुझे नहीं मालूम कि देवेन्द्र पाटनी क्या करता है । यह बात गही है, कि देवेन्द्र पाटनी के जिस मकान में हम गये थे वह मकान बड़ा है । यह बात सही है, कि उस मकान के आसपास भी कई मकान हैं । आसपास के मकानें भी बड़े मकान हैं । पुलिस वालों ने आसपास के मकान वालों को नहीं बुलाया था । जप्ती-पत्र मुझे पढ़कर सुनाया गया था । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-225 के जप्ती-पत्र में यह नहीं लिखा है कि देवेन्द्र पाटनी ने अपने घर के अंदर से पिस्तौल निकालकर दिया । जब हम लोग देवेन्द्र पाटनी के घर गये तो दरवाजा बंद था और अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने आवाज लगाया था । अभि० ज्ञानप्रकाश ने मामूली आवाज लगाया था और दरवाजा खटखटाया था । देवेन्द्र पाटनी का मकान गली के अंदर है । उस समय गली में आने-जाने वाला कोई नहीं था । हम लोग देवेन्द्र पाटनी के घर में करीब आधे घंटे तक रहे । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जब देवेन्द्र पाटनी के यहां जप्ती की कार्यवाही की जा रही थी उस दौरान पुलिस अधिकारी अग्रवाल ने किसी पुलिस कर्मचारी को भेजकर पड़ोस के लोगों को बुलाया या नहीं । पाटनी का मकान दो मंजिला है । मुझे नहीं मालूम कि पाटनी का नीचे का मकान गोदाम है या नहीं । देवेन्द्र पाटनी ने ऊपर के मंजिल से पिस्तौल लाया था । मुझे नहीं मालूम कि नीचे के मंजिल में बोरे या सामान वगैरह रखे थे या नहीं । मुझे नहीं मालूम कि पाटनी के मकान में नीचे 3-4 कमरे हैं । मैं नहीं बता सकता कि नीचे के मंजिल में कितने कमरे हैं । ऊपर मंजिल में जाने के लिये सीढ़ी है । ऊपर मंजिल में जाने के लिये दरवाजे के पास से ही सीढ़ी है । सीढ़ी में जाने के लिये नीचे के कमरे में जाने की जरूरत नहीं है । हम लोग जब गये तो सीढ़ी के पास कोई लाईट नहीं जल रही थी ।

9. यह कहना गलत है कि अभि० ज्ञानप्रकाश ने कोई बयान नहीं दिया था और जप्ती के बारे में मैं झूठा बयान दे रहा हूं । मुझे याद नहीं आ रहा है कि पुलिस ने मेरा बयान लिया था या नहीं । साक्षी को प्रदर्श डी-35 का बयान दिखाया गया । यह बात सही है कि इस बयान में यह नहीं लिखा है कि मैं उस दिन दुर्गा देखने जा रहा था और पानठेले में खड़ा था, जहां से पुलिस वाले मुझे बुलाकर ले गये थे । यह बात सही है कि डी-35 में यह भी नहीं लिखा है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने देवेन्द्र पाटनी से यह कहा कि उसमें जो पिस्तौल उसे रखा था है उसे वह पुलिस को सौंप दे । यह बात सही है कि जप्ती-पत्र में यह नहीं लिखा है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने देवेन्द्र पाटनी से कहा कि उसने जो पिस्तौल रखाया है उसे वह पुलिस को सौंप दे ।

10. एन०एल० यादव मेरे घर के पास नहीं रहता, वह मुझे रास्ते में मिला था। उन दिनों वह बलौदाबाजार में रहता था। बलौदाबाजार दुर्ग से कम-से-कम 100 कि०मी० दूर होगा। मुझे नहीं मालूम कि यादव उन दिनों क्या काम करता था। वह मोदी सीमेंट बलौदाबाजार में काम करता था। मुझे नहीं मालूम कि बलौदाबाजार या मोदी सीमेंट फैक्टरी में छ०मु० मोर्चा की कोई शाखा है या नहीं। मैं अपने घर से अकेला दुर्गा देखने के लिये निकला था। जब एन०एल० यादव मुझे मिले तो उनके साथ 2-4 और आदमी थे। 2-4 आदमी वहां से चले गये थे। यादव जी साइकल में थे एन०एल० यादव और 2-4 आदमी को रास्ते में खड़े देखकर मैं भी वहां रुक गया था। एन०एल० यादव से मेरी थोड़ी-बहुत जान-पहचान है। मैं जहां रहता था उसके आसपास, यादव के रिश्तेदार रहते थे, जिनके यहां वह आना-जाना किया करता था।

11. मुझे याद नहीं आ रहा है, कि 2 दिन पहले दशहरा खत्म हुआ था या नहीं। यह बात सही है कि दशहरा त्योहार समाप्त हो जाने के बाद दुर्गा पूजा नहीं होती है। उस समय कहीं कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था, मैं वहां जा रहा था। हम लोग यह सोचकर निकल गये थे कि कहीं-न-कहीं कोई-न-कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा होगा, इसलिये निकल गये। मूड खराब हो गया था इसलिये सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिये नहीं गये। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिये नहीं गया। मुझे नहीं मालूम कि उस दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम कहां हो रहा था। हम यह सोचकर निकले थे कि पावर हाउस में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा।

12. मैं अग्रवाल थानेदार को पहले से नहीं जानता था। पावरहाउस से मुख्य (कोतवाली) पुलिस थाना छावनी करीब 5-6 कि०मी० दूर होगा। यह बात सही है कि यदि छावनी बस्ती से पावरहाउस जाया जाये तो रास्ते में कोतवाली थाना नहीं पड़ता। यह बात सही है कि हमारे बस्ती से आने पर पहले पावरहाउस पड़ेगा और दूसरी दिशा में 6-7 कि०मी० दूर कोतवाली थाना है।

कार्या. ... हु (...)

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभयकुमार सिंह, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

13. संभवतः विभूतिनारायण ने पुलिस को अपना पता सै०-6 बताया था। मुझे यह नहीं मालूम कि विभूतिनारायण ने अपने पिता का नाम क्या बताया था। यह बात सही है कि जप्ती-पत्र या मेमोरेंडम में विभूतिनारायण ने अपना पता सै०-6 नहीं बताया है। पुलिस थाना कोतवाली के सामने नहीं, बल्कि बाजू में मैदान है। सामने में सेन्ट्रल एवेन्यू रोड है। यह कहना गलत है कि उस समय कोतवाली थाने के सामने कोई पानठेला नहीं था। यह कहना गलत है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि हम लोग वहां पान खा रहे थे। यह कहना गलत है कि मैं यह झूठा बयान दे रहा हूं कि अभि० ज्ञानप्रकाश ने पुलिस को बयान दिया था। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे सामने कोई हथियार जप्त नहीं किया था।

14. मुझे नहीं मालूम कि एन०एल० यादव छ०मु० मोर्चा का कार्यकर्ता या सदस्य है या नहीं। मुझे यादव ने यह नहीं बताया था कि जिस दिन नियोगी जी की मृत्यु हुई उस दिन वह भिलाई के हुडको ऑफिस में था। रात को जब लौटकर थाने आये तो थाने से मैं अपने घर चला गया था। उस दिन के बाद पुलिस ने न तो मेरा बयान लिया और न ही मुझसे किसी तरह का लिखा-पढ़ी कराया है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

15. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

16. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया। | मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी०के० झा)	(टी०के० झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

पुनः परीक्षण :-

17. साक्षी को आर्टिकल -"बी" का पिस्तौल एवं "डबल्यू" के 6 कारतूस दिखाई गई। साक्षी ने कहा कि यही वस्तुयें देवेन्द्र पाण्डे से जप्त की गई थी। आर्टि०-डबल्यू

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 फूलचंद शाह, प्रवीण शाह.

18. मैं इस आधार पर कहता हूं कि यही पिस्तौल जप्त हुई थी, क्योंकि मुझे याद है कि जो पिस्तौल जप्त की गई थी उसमें बेबी सी0एल0 लिखा था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अभयकुमार सिंह, अवधेश राय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

19. मुझे दुर्ग के मोहल्लों और पारा के बारे में बहुतअधिक जानकारी नहीं है । मुझे बनियापारा कहां है यह मालूम है । मुझे यह भी मालूम है कि दीमर पारा कहां है । बनियापाराऔर दीमर पारा अलग-अलग मोहल्ले हैं । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-224 में दीमरपारा नहीं लिखा है । मैं जप्तशुदा पिस्तौल में यह विशेष पहचान बता सकता हूं कि उसमें बेबी सी0एल0 लिखा है । ऐसी बात नहीं है कि जिस भी हथियार में बेबी सी0एल0 लिखा रहे उसे मैं जप्तशुदा हथियार ही बोलूंगा । मेरे सामने अग्रवाल साहब ने ज्ञानप्रकाश से यह नहीं पूछा कि 32 बोर का रिवाल्वर कहां रखा है । मुझको इसकी जानकारी नहीं है कि अग्रवाल साहब ने ज्ञानप्रकाश से यह पूछा था या नहीं कि रायफल कहां रखा है और निकाल कर दो । रायफल बरामद कराने के बारे में पुलिस ने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश से नहीं पूछा था ।

20. यह मुझे नहीं मालूम कि पुलिसवाले जब मुझे हथियार जप्ती के बारे में बुलाये तो हथियार कहां रखा है यह पुलिस वाले जानते थे या नहीं ।

21. यह कहना गलत है कि मुझे न्यायालय में आज सिर्फ एक पिस्तौल दिखाई गई है, इसी लिये मैं यह कहरहा हूं कि यह पिस्तौल जप्त की गई थी । यह बात सही है कि मुझे आज न्यायालय में सिर्फ एक पिस्तौल दिखाई गई है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

22. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

23. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया-समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। टी०के०झा ।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म०प्र० ।

। टी०के०झा ।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म०प्र० ।

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्याया.
दुर्ग (म.प्र.)

26.12.95

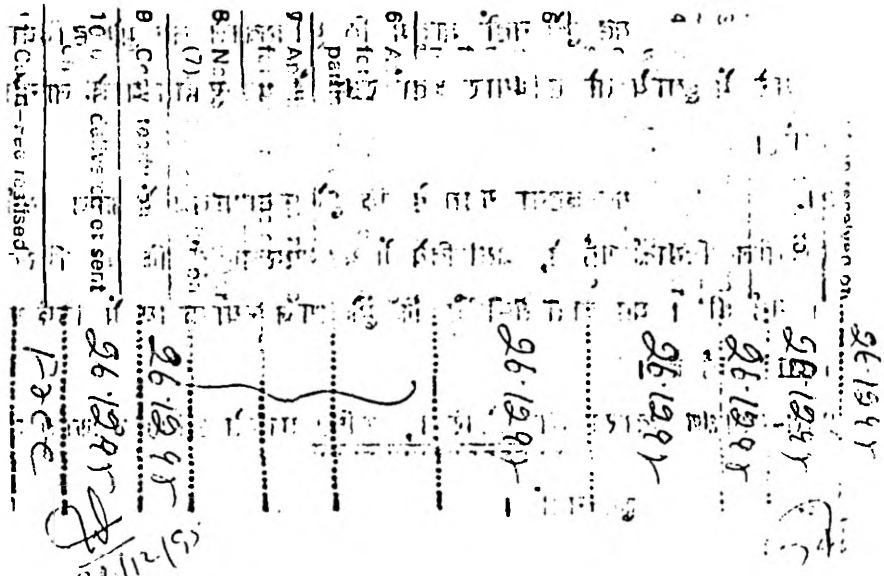

एस0टी0पी0एस0नं0 [illegible] | [illegible]

[illegible] ...... श्री के.के. [illegible] विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्रक0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. श्यामकान्त मिश्रा उर्फ भानू आ0 छोटेलाल,
   साकिन- [illegible] [illegible] बस्ती, कैम्प-1. रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7[illegible], रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 [illegible] कुमार सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- [illegible] कालोनी, [illegible] नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- [illegible] कालोनी, [illegible] नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 [illegible] मल्लाह,
   साकिन- [illegible] थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह [illegible] आ0 राघवेन्द्र सिंह [illegible]
   साकिन- आर-37, एम0पी0ई0बी0 [illegible] कालोनी,
   [illegible] एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

CA-533/95

87 अभियोजन की ओर से

20-12-95

38 साल

दीपक कुमार गुराना

श्री हेमचंद गुराना

सीमेंट की दुकान

हाउसिंग बोर्ड, पद्मनाभपुर, दुर्ग.

शपथपूर्वक :-

1. मेरे पास सीमेंट की एजेंसी है । मेरी दुकान संजय मार्केट, गंजपारा, दुर्ग में है । मेरे पास सन् 91 में एक कायनेटिक होंडा और बजाज सुपर स्कूटर थी । बजाज स्कूटर का नंबर- 1707 था और कायनेटिक होंडा का नंबर एम0के0टी0-3031 था । बजाज स्कूटर का सीरीज मुझे याद नहीं है । मेरे पास कभी भी टी0वी0एस0सुजुकी मोटरसायकिल नहीं थी और आजभी नहीं है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अयेश, ओमकुमार सिंह, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तचंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

5. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। टी0के0झा ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

। टी0के0झा ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

एस०सी०/ए०सी०/सी० S 33 3/92

[illegible] प्रतिलिपि [illegible] जो कि श्री के.के. दास, [illegible] द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शत्रुघ्न मिश्रा उर्फ शत्रु आ० छोटकन,
   साकिन- चार .र आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अजय कुमार सिंह उर्फ अजय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोखई मल्लाह,
   साकिन- निम्ही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह पप्पू आ० राजेन्द्र सिंह [illegible]
   साकिन- एम-37, एम०पी०ई०बी० [illegible] कालोनी,
   इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

Cr.M.- 5333/95

88 अभियोजन की तरफ से

20-12-95 31 वर्ष

टीकमदास साहू

श्री मनीलाल साहू ड्रायव्हर

सेक्टर-7, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं टक्सी (कार) चलाता हूं । अक्टूबर, 91 में मैं कौशल देशमुख की मारुति वेन क्र0- एम0पी0 24 एस-8256 चलाता था । बंटू मिस्त्री का गैरेज है । बंटू मिस्त्री के गैरेज का नाम तरुण ऑटो गैरेज है । 4-10-91 को बंटू मिस्त्री रात में करीब 12.00 बजे मेरे घर आये । उसने मुझे कहा कि 4-5 दिन के लिये पचमढ़ी जाना है । मैंने कहा कि 9 तारीख को भिलाई इस्पात संयंत्र में मेरा इंटरव्यू होने वाला है, इस लिये मैं नहीं जा सकता । इसके बाद बंटू मिस्त्री वापस चला गया । रात में ही आधे घंटे बाद बंटू मिस्त्री पुनः मेरे घर आया, उसके साथ देव पाटनी भी था । बंटू मिस्त्री ने कहा कि पचमढ़ी चले जाऊं और अगर नहीं रुकना है तो मैं दूसरे दिन छोड़कर चला आऊं । मैं पचमढ़ी जाने के लिये तैयार हो गया । मैं जिस मारुति वेन को चलाता था उसे लेकर तरुण ऑटो गैरेज आया । बंटू मिस्त्री और देवेन्द्र पाटनी उसी मारुति वेन को लेकर रात में मेरे घर आये थे । तरुण ऑटो गैरेज के बगल में ढोड़ी पेट्रोल पंप है वहां मैंने पेट्रोल फुल कराया । बंटू मिस्त्री गैरेज में रुक गया । मैं देवेन्द्र पाटनी और एक अन्य व्यक्ति के साथ राईस मिल नयापारा देवेन्द्र पाटनी के मिल में आये । देवेन्द्र पाटनी के राईस मिल से एक और आदमी वाहन में बैठा । देवेन्द्र पाटनी रुक गया और मैं उन दो व्यक्तियों को लेकर सिवनी होते हुये छिंदवाड़ा एवं पचमढ़ी गया ।

2. मैं दोपहर में करीब 1.30 बजे पचमढ़ी पहुंच गया । उस दिन 5-10-91 था । हम लोग पचमढ़ी में नीलाम्बर कॉटेज गये । हम तीनों वहां रुके । मेरे लिये उन लोगों ने अलग कमरा ले लिया था और वे दोनों व्यक्ति एक कमरे में रुके । वहां नहाने-धोने एवं खाना खाने के बाद हम लोग गुप्त महादेव और पांडव गुफा गये और वहां से पुनः नीलाम्बर कॉटेज आ गये । रात भर हम लोग नीलाम्बर कॉटेज में रुके । सुबह अर्थात 6-10-91 को मैं नहा-धोकर पेट्रोल फुल कराकर वापस आने के लिये निकला । पेट्रोल का पैसा उन्हीं लोगों ने दिया था । चूंकि कौशल देशमुख चंदखुरी में रहते थे, इस लिये मैं गाड़ी डॉ0 प्रवीण अग्रवाल के यहां मोरसी कॉलोनी में खड़ी करता था । पचमढ़ी से लौटने के बाद मैंने वाहन को डॉ0 प्रवीण अग्रवाल के घर खड़ी कर दिया । मैं रात को करीब 8.00 बजे दुर्ग वापस पहुंचा था । दूसरे दिन मैंने बंटू को बता दिया कि मैं वापस आ गया हूं ।

3. बाद में मुझे पता चला कि जिन दो व्यक्तियों को पचमढ़ी ले गया था उनका नाम ज्ञानचंद और अभयसिंह था । इन दोनों व्यक्तियों को आज मैं देखकर पहचान लूंगा । वे दो व्यक्ति आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं । साक्षी ने पुनः देखकर बताया कि न्यायालय में वे व्यक्ति उपस्थित नहीं हैं ।

। अभियोजन ने निवेदन किया कि वे चाहते हैं कि संबंधित अभियुक्तों को खड़ा होने का निर्देश दिया जाये, ताकि साक्षी को उन अभियुक्तों को दिखाकर पहचान कराई जा सके ।

सभी अभियुक्तगण खड़े हुये, जिसमें साक्षी ने कहा कि बहुत दिन होने के कारण वह उन व्यक्तियों को नहीं पहचान पाया ।

4. अभियोजन के निवेदन पर अभियुक्त ज्ञानप्रकाश और अभयसिंह को खड़ा किया गया । साक्षी ने कहा कि इन व्यक्तियों को देखे जैसा लगता है । विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी की उपस्थिति में इन अभियुक्तों को नाम लेकर पुकारा था । साक्षी ने कहा कि बहुत दिन हो जाने के कारण वह नहीं बता सकता कि इन अभियुक्तों को ले गया था या नहीं । साक्षी ने बाद में कहा कि इन दोनों अभियुक्तों को वह पचमढ़ी ले गया था ऐसा लगता है कि ले गया होऊंगा ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0</u> वास्ते अभि0 मगचंद शाह, नवीन शाह.

5. दिनांक 4-10-91 से अभी तक पुलिस ने इन अभियुक्तों की शिनाख्ती परेड मेरे सामने नहीं कराई थी । उस समय मैं पचमढ़ी पहली बार ही गया था । यह बात सही है कि पचमढ़ी म0प्र0 का पहाड़ी एवं दर्शनीय स्थल है और सामान्यतः लोग वहां घूमने के लिये आया करते हैं । यह बात सही है कि पचमढ़ी में उस समय बाहर से बहुत से लोग घूमने के लिये आये थे और होटल भी भरा हुआ था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री प्रादप, अधि0</u> वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अभय, अखिलेश, चंद्रशेखर एवं सहदेव.

6. पुलिस ने मेरा बयान लिया था । मैंने उन व्यक्तियों का हुलिया बताया था, जिन्हें मैं पचमढ़ी लेकर गया था । पचमढ़ी से जब मैं लौटकर आया तो करीब एक सप्ताह बाद पुलिस ने मेरा बयान लिया था । मैंने पुलिस को उन व्यक्तियों का हुलिया नहीं बताया था नाम बताया था ।

7. मैं 1.15 बजे गाड़ी का काम कराने के बाद अपने गैरेज से सीधे न्यायालय आ रहा हूं । मैं आज 11.00 बजे से न्यायालय नहीं आया था ।

मैं आज अभी गैरेज से गाड़ी बनवाकर सीधे अदालत आ रहा हूं. इसके पूर्व मैं 11.00 बजे न्यायालय आया था और न्यायालय परिसर में खड़ा था । मैं खाना खाने नहीं गया था । यह कहना गलत है कि सी0बी0आई0 वाले मुझे आज गाड़ी में बिठाकर न्यायालय के आने के पहले मेरा बयान पढ़ा रहे थे और यह कहना भी गलत है कि मैं आज सी0बी0आई0 के सिखाये अनुसार बयान दे रहा हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त फाटन.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। टी0के0झा।	। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।	दुर्ग ।म0प्र0।

कार्या. जिला ... दुर्ग (म.प्र.)

एस0डी0जे0/एफ0पी0/ [illegible]
5333/92 [illegible]

[illegible] प्रतिलिपि [illegible] श्री
के0के0 राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय
में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शारदा प्रसाद मिश्रा उर्फ शारदू आ0 छोटेलाल,
   साकिन- क्वार्टर [illegible] बस्ती, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अजय कुमार सिंह उर्फ अजय सिंह आ0 शिवकुमार सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 भोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. प्रदीप सिंह पप्पू आ0 राजेन्द्र सिंह
   साकिन- आर-37, एम0पी0ई0बी0 [illegible] रोड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .... अभियुक्तगण

सी.आर.नं. 5332/91

89 अभियोजन की तरफ से

21-12-95

30 वर्ष

संतोष गुप्ता

प्रति: भोलानाथ गुप्ता

ठेकेदारी, बी0के0इं0.

एम0पी0हाउसिंग बोर्ड, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. हम लोग 4 भाई और एक बहन हैं । मेरे पिताजी केडिया डि0 में कार्य करते हैं । मैं 10-12 सालों से ठेकेदारी का कार्य कर रहा हूं । अभी मैं बी0के0इं0 में ठेकेदारी का काम कर रहा हूं. इससे पहले मैं केडिया डि0 में ठेकेदारी का काम करता था ।

2. सन् 90 में मैं केडिया डि0 में ठेकेदारी का काम करता था । मैं अभि0 ज्ञानप्रकाश मिश्रा को जानता हूं, जो मेरे साथ ही पढ़ता था । मैं भिलाई के कैम्प-1 स्कूल में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ 2 साल तक पढ़ा हूं । मेरा भाई सुभाष गुप्ता बी0एस0पी0 में काम करते हैं । मैं छ0मु0मोर्चा का नाम सुना हूं । छ0मु0मोर्चा ने केडिया डि0 में आंदोलन नहीं किया था । मैं सन् 91 में जामुल थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया था । अशोक गुप्ता मेरा भाई है, जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है । सन् 91 में मेरे भाई अशोक गुप्ता के साथ किसी ने मारपीट नहीं किया था ।

3. मैं अभियुक्त अवधसिंह, छोटू, बलदेव, को नहीं जानता हूं । ये अभियुक्तगण सन् 91 में मोहर्रम के दिन मेरे घर नहीं आये थे ।

4. मुझे नहीं मालूम कि 17 सितम्बर 90 को नियोगी जी के नेतृत्व में कोई जुलूस निकला था या नहीं । मेरे सामने यूनियन वालों ने कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं किया था । मुझे अभि0 ज्ञानप्रकाश ने मोहर्रम के दिन सन् 91 में मेरी सुरक्षा के लिये कोई रिवाल्वर नहीं दिया था । मुझे नहीं मालूम कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश शंकर गुहा नियोगी को ढूंढ रहे थे या नहीं । प्रदर्श पी-226 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जो जप्ती-पत्र है । पुलिस वाले मेरे पास कोरे पन्ने लाये थे, जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था । पी-226 ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर से एक देशी रिवाल्वर और कारतूस बरामद किये गये थे । मैंने दिनांक 25-11-91 को उप-निरीक्षक श्री यादव के सामने एवं गवाहों मुक्ति खान एवं मसीह की उपस्थिति में कोई बयान नहीं दिया था । मैंने पुलिस को प्रदर्श पी-226 का यह बयान नहीं दिया था कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ने मुझे .32 बोर का रिवा0 और कारतूस दिया था, जिसे मैं अपने घर से बरामद करा दूंगा । मुझे नहीं मालूम कि मेरे खिलाफ मामला दर्ज है या नहीं । अब साक्षी कहता है कि यह बात सही है कि उसके खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है ।

कार्या. जि.ग.पु. दुर्ग (म.प्र.)

नोट :- विशेष लोक अभियोजक श्री त्रिवेदी ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन.

5. यह बात सही है कि दिनांक 13-10-91 को पुलिस ने मुझसे पूछताछ किया था, लेकिन मेरा बयान नहीं लिया था । पुलिस ने मुझसे सिर्फ मेरे भाई-बहनों के बारे में पूछताछ किया था । सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे कभी कोई पूछताछ नहीं किया । सी0बी0आई0 वाले मुझे मेरे घर से लेकर गये थे । मुझे सी0बी0आई0 वालों ने 4 दिन तक रखा था । सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे पूछताछ किया था, किंतु मैंने कोई बयान नहीं दिया था । सी0बी0आई0 वालों ने यह कहा था कि यदि मैं बयान नहीं दूंगा तो वे लोग मुझे किसी मामले में फंसा देंगे । अभी 18 तारीख से पुलिस वाले बार-बार मेरे घर आ रहे थे, + साक्षी स्वतः कहता है कि ।

6. मैंने पुलिस को प्रदर्श पी-227 का अ से अ का बयान । के डिया लिखाई थी । नहीं दिया था । मैंने पुलिस को प्रदर्श पी-227 पी-का ब से ब का बयान । इस वर्ष - - - - कहां मिलेगा । नहीं दिया था ।

7. मैंने सी0बी0आई वालों को प्रदर्श पी-228 का अ से अ का बयान । दिनांक 17-9-90 - - - - घटना नहीं हुई । नहीं दिया था । पी-228 मैंने पी-228 का ब से ब का बयान सी0बी0आई0 वालों को । 5-6 महीने पहले - - - - बरामद करवा दिया । नहीं दिया था । पी-228 का स से स का बयान- । इस साल - - - नहीं मालूम । नहीं दिया था ।

8. यह कहना गलत है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा मेरा दोस्त है, इसलिये मैं गलत बयान दे रहा हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शा

9. यह बात सही है कि सी0बी0आई 0 वाले मुझे धमकी देते थे कि रिवाल्वर रखने के झूठे मामले में एवं नियोगी हत्याकांड में फंसा देंगे, नहीं तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही बयान दो । पिछले 4 दिनों से सी0बी0आई0 वाले रोज सुबह-शाम मेरे घर आते हैं । सी0बी0आई0 वाले मुझे और मेरी पत्नी को धमकाते हैं और मेरे परिवार को डिस्टर्ब करते हैं । सी0बी0आई0 वाले मुझे भिलाई होटल के कमरा नं0-8 में आने के लिये कहते हैं । सी0बी0आई0 वाले यह कहते हैं कि सब गवाहों को वहां बुला रहे हैं तुम भी आओ । मैं 8 नंबर के कमरे में नहीं गया ।

मैं ठेकेदारी का काम केडिया डि० और ट० डि० दोनों स्थानों पर करता था। यह बात सही है कि ट० डि० पावरहाउस से रायपुर मार्ग पर जी०ई०रोड पर। कुम्हारी से 2-3 कि०मी० अंदर है। ठेकेदारी के काम से केडिया डि० और ट० डि० दोनों स्थानों पर लगभग रोज आना-जाना होता था। मैंने कुम्हारी से आगे और रायपुर आने के पहले जो पिकाडली होटल है उसे देखा है। ट० डि० से पिकाडली होटल की दूरी करीब 12-14 कि०मी० होनी चाहिये। कार से इस दूरी को तय करने में 15-20 मिनट का समय लगता है।

15. डॉ० जितेन्द्र श्रीवास्तव ट० डि० के डॉयरेक्टर हैं। यह बात सही है कि कैलाशपति केडिया ट० डि० के मैनेजिंग डॉयरेक्टर हैं तथा नवीन केडिया डॉयरेक्टर हैं। नवीन केडिया कैलाशपति केडिया के पुत्र हैं। 28-9-91 को मुझे ट० डि० जाने का अवसर नहीं मिला था। नियोगी जी की हत्या का समाचार समाचार-पत्रों में पढ़ने के बाद मुझे बहुत दिनों तक ट० डि० जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस घटना के 3-4 दिन बाद ही पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। ट० डि० तीनों शिफ्टों में 24 घंटे चलती है। ट० डि० में सामान्यतः शाम को और रात को डॉयरेक्टर और मैनेजिंग डॉयरेक्टर नहीं रहते हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि 27 एवं 28-9-91 की दरम्यानी रात में पूरी रात कैलाशपति केडिया, नवीन केडिया, और डॉ० जितेन्द्र श्रीवास्तव ट० डि० में थे या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी की हत्या के पहले केडिया डि० में मजदूरों का आंदोलन चलाया था या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि 28-9-91 को सुबह ट० डि० में मिठाई बंटी थी या नहीं। यदि मिठाई बंटी हो तो इसका कोई कारण मैं नहीं बता सकता।

पुनः-परीक्षण द्वारा श्री- त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभि० संदर्भित वाद.

16. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
[signature]
... ...
कार्या. जिला एवं ...
दुर्ग (...)

गवाह नं0:- 69 अभियोजन की तरफ से पेज नं0-2

10 मुझे नहीं मालूम कि सी0बी0आई0 वाले भिलाई होटल के 8 नंबर कमरे में ठहरे हैं या नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री यादव, अधि0</u> वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश मिश्र, अभयेश, अभय कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

11. यह बात सही है कि अ से अ भाग पर प्रदर्श पी-226 में मैंने जो हस्ताक्षर किया है उसके ऊपर की पंक्तियाँ एकदम सटाकर लिखी गई हैं ऐसा लगता है कि ये पंक्तियाँ बाद में लिखी गई हैं। इसी तरह प्रदर्श डी-36 के अंतिम 3 पंक्तियाँ एकदम सटाकर लिखी गई हैं, डी-36 ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाद में लिखी गई हैं। पुलिस ने मुझसे 3 या 4 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराया था।

12. यह बात सही है कि मैं जहाँ रहता हूँ उस एरिया में कांग्रेस आई का नेता अनिल सिंह रहता है। यह बात सही है कि सन् 91 में अनिल सिंह के पास एक लाल रंग की मारुति वैन थी, जो टैक्सी के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में चलती थी। मैंने नियोगी जी की हत्या के 4-5 दिन बाद पेपर में यह पढ़ा कि वह लाल मारुति वैन पुलिस ने जप्त किया है, उसमें 4-5 आदमी थे और 4-5 पिस्तौलें भी जप्त हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग जो पकड़ाये थे वे केडिया डि0 में काम करते थे या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि ये व्यक्ति इंटक यूनियन से संबंधित व्यक्ति थे या नहीं। मैं नहीं जानता कि लाल मारुति वैन केडिया डि0 में चलती थी या नहीं। मैं नहीं जानता कि जो हथियार जप्त हुये थे वे देशी कट्टे थे।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री तिवारी, अधि0</u> वास्ते अभि0 पलटन.

13. यह बात सही है कि अगर हाउसिंग बोर्ड, जहाँ मैं रहता हूँ, पावर हाउस से आना हो तो पहले [illegible] औद्योगिक क्षेत्र पड़ेगा, फिर हाउसिंग बोर्ड पड़ेगा और काफी आगे जाने के बाद नंदिनी पड़ेगा। यदि मेरे घर से पावरहाउस आना हो तो एक नंदिनी रोड है और दूसरा अन्य रास्ता शार्टकट है। मैं दोनों रास्तों से आना-जाना करता हूँ। यह बात सही है कि नंदिनी रोड के ऊपर रिसा में ही केडिया डि0 है।

प्रतिलिपि ... जो कि श्री के.के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. हरिराम मिश्रा उर्फ शत्रु आ0 छोटकन,
   साकिन- वार्ड आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामाशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अजय कुमार सिंह उर्फ अजय सिंह आ0 विजय कुमार सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पप्पन मल्लाह उर्फ रवि आ0 सोनाई मल्लाह,
   साकिन- सिमरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भरत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सन्धु आ0 रावेल सिंह सन्धु
   साकिन- एच-37, एम0पी0ई0बी0 कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

सी/ 5733/90

90 अभियोजन की तरफ से

21-12-95 48 वर्ष

रामकुमार हरमुख उर्फ बट्टू

श्री बालमुकुंद हरमुख मोटर मैकेनिक

कसारीडीह, दुर्ग.

शपथपूर्वक :-

1. जी०ई०रोड, दुर्ग में मेरा तरुण ऑटो-सर्विस के नाम से मोटर गैरेज है। यह काम मैं करीब 25 सालों से कर रहा हूं। मैं लगभग सभी कार, जीप, मेटाडोर आदि की मरम्मत करता हूं। मैं देवेन्द्र पाटनी को जानता हूं। देवेन्द्र पाटनी के पास पुरानी कार थी, जिसका मरम्मत कराने के लिये वे मेरे गैरेज में आते थे।

2. अक्टूबर 91 की तारीख मुझे याद नहीं है। कौशल देशमुख मेरा काका है। वह चंदखुरी गांव में रहता है। उस समय उनके पास मारूति वेन थी। उस मारूति कार का नंबर- 8256 था। आगे वाला सीरीज एम०पी० कुछ था। उस समय कौशल देशमुख की गाड़ी का चालक टीकम साहू था। मेरे पास ज्ञानू आया था और बोला था कि पचमढ़ी जाना है। उसके साथ यदि कोई और रहा होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ज्ञानू मेरे पास रात के करीब 9-10.00 बजे आया था। वह मेरे गैरेज में आया था। ज्ञानू देवेन्द्र पाटनी के साथ आया-जाया करता था, इसलिये मैं उसे पहचानता था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ही ज्ञानू है। मैं टीकम साहू के घर शंकरनगर गया और उसे बुलाकर लाया। कौशल देशमुख की मारूति वेन मेरे गैरेज में ही खड़ी थी। मेरे गैरेज से ड्रायवहर ने ज्ञानू को अकेले लेकर गया था। मेरे गैरेज के बगल से डोंगी पेट्रोल पंप में ज्ञानू ने पेट्रोल भराया था। पेट्रोल का पैसा ज्ञानू ने ही दिया था। मेरे गैरेज से एकाध घंटे बाद ज्ञानू गाड़ी में निकल गया। गाड़ी में ड्रायव्हर भी था, जो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी अक्टूबर की 6 तारीख को वापस आया। उस दिन शाम को वापस गाड़ी आई थी। मारूति वेन मेरे गैरेज से 4 तारीख को निकली थी।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. यह बात सही है कि अक्टूबर के महीने में सी०बी०आई० वालों ने मुझे बोरिया गेट हॉस्टल में ले गये थे, जहां वे ठहरे थे। यह बात सही है कि सी०बी० आई० वालों ने वहां मेरे साथ मारपीट किये थे। मारपीट इसलिये किये थे कि मैं कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम कि गाड़ी में कौन गया था। मारपीट करने के बाद सी० बी०आई० वालों ने मेरा बयान लिखा था। मैं नहीं बता सकता कि मेरे गैरेज से गाड़ी निकलने के बाद मेरी गाड़ी में कौन गया। मुझे नहीं मालूम कि गाड़ी कहां गई थी, मुझे यह बताया गया था कि गाड़ी पचमढ़ी जा रही है।

4.   सी0बी0आई0 वालों ने मुझे 4 दिनों से नहीं, बल्कि सिर्फ परसों ही भिलाई होटल के कमरा नं0-8 में बुलाये थे। मुझे बयान पढ़कर सुनाये थे। फिर भी मुझे वह बयान याद नहीं आया था। मुझसे यह नहीं कहा गया कि मैं यदि अपना बयान ऐसा ही नहीं दूंगा तो मुझे बंद कर दिया जायेगा। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठा बयान दे रहा हूं कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मेरे वैन मंगवाया था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश अग्रेश, अभय, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

5.   कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

6.   कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

7.   कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

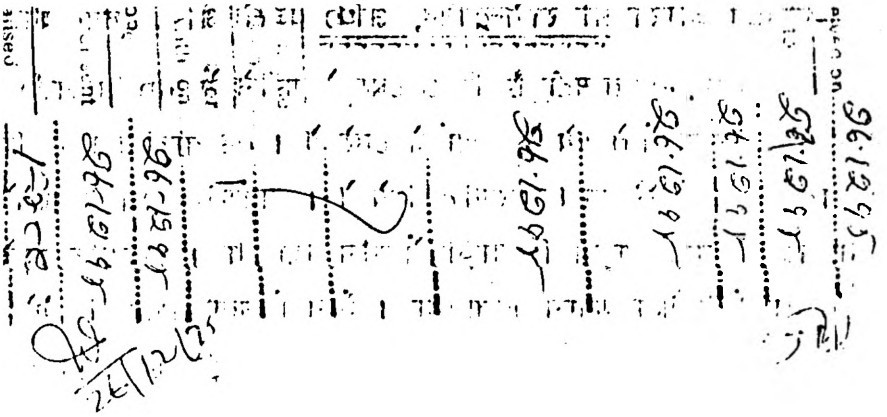

एस0टी0प्रकरण
5/383/93

अभिलिखित ... जो कि श्री जे.के. ... विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शारदाराम मिश्रा उर्फ शास्त्री आ0 छोटेलाल,
साकिन- वार्ड आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामअवधेश राय,
साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 शिवकुमार सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 गोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्हरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह सेठू आ0 राजेन्द्र सिंह सेठू,
साकिन- एच-37, एम0पी0ई0बी0 ... कालोनी,
गुरुद्वारा ... भिलाई .... अभियुक्तगण

CA 5332/95

सत्र प्र050- 233/92

91 अभियोजन की ओर से

दिनांक 22-12-95

30 वर्ष

रविन्द्रकुमार मेन्डे उर्फ रवि

ड्रायव्हर

श्री रामा मेन्डे

मरोदा सेक्टर, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं मूलतः ग्राम हिंगनघाट, जिला वर्धा (महाराष्ट्र) का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्य करते थे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं । मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूं। सन् 90 में मैं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) में ड्रायव्हर के पद पर कार्य करता था । साडा से पहले मैं सूरज ऑटो ट्रेडर्स में भी ड्रायव्हरी का काम किया करता था । वहां मैंने करीब 6-7 साल तक काम किया था । सूरज ऑटो ट्रेडर्स का मालिक सूरजमल कांकरिया था ।

2. मैं अभियुक्त चंद्रकांत शाह को जानता हूं । अभियुक्त चंद्रकांत शाह सूरज ऑटो ट्रेडर्स में आया-जाया करते थे, इसलिये मैं उन्हें जानता हूं ।

3. मैं सन् 91 में होली के बाद मार्च महीने में नेपाल गया था । मुझे सूरजमल कांकेरिया ने कहा था कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह के साथ नेपाल जाना है । हमलोग टेम्पो ट्रेव्हलर से नेपाल गये थे । टेम्पो ट्रेव्हलर अभियुक्त चंद्रकांत शाह का था, जिसका नंबर एम0पी0-24डी-6622 था । टेम्पो ट्रेव्हलर में मैं, अभियुक्त चंद्रकांत शाह और अभयसिंह एवं अवधेश राय नेपाल के लिये निकले थे । गाड़ी मैं चला रहा था । हमलोग रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर होते हुये बनारस गये । बनारस से हमलोग अभियुक्त अभयसिंह के घर गाजीपुर गये । गाजीपुर में फिर हम लोग रात में ही रुके । हम लोग वहां से भी रात में ही निकले थे ।

4. गाजीपुर से हम लोग उसी रात में सुबह करीब 4.00 बजे निकले थे । हम लोग सिवान पहुंचे, जहां चाय-नाश्ता करके निकलने के बाद वीरगंज पहुंचे । वीरगंज हम लोग दोपहर में पहुंचे । वीरगंज में हम लोग होटल कैलाश में रुके, वहां अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा मिला । हम लोग कैलाश होटल में 2 दिन तक रुके । वहां से हम लोग काठमांडू (नेपाल) के लिये रवाना हुये । 5-6 घंटा सफर करके हम लोग काठमांडू सुबह करीब 10-11 बजे पहुंचे । हम लोग काठमांडू में होटल जनक में रुके, जहां 2 कमरा लिया गया । एक कमरे में मैं, अभियुक्त अभयसिंह और अवधेश राय रुके, दूसरे कमरे में अभियुक्त चंद्रकांत शाह और ज्ञानप्रकाश मिश्रा रुके । काठमांडू में हम लोग 2-3 दिन रुके । काठमांडू में

पशुपतिनाथ मंदिर गये और वहां अभियुक्त चंद्रकांत शाह के परीचित मंत्री, सांसद व गणमान्य लोगों से भी मिले । वापसी में अभियुक्तगणों ने कपड़े और बच्चों के लिये खिलौने लिये । सभी अभियुक्तगण टेम्पो ट्रेव्हलर से लौटे । वापस हम लोग वीरगंज आये और होटल कैलाश में रुके । वहां हम लोग एक दिन रुके । वहां से वापस भिलाई के लिये रवाना हो गये । वीरगंज से हम लोग रक्सौल आये थे । हम लोग रक्सौल से सिवान और सिवान से बनारस आये थे । वीरगंज में अभियुक्तों ने कोई खरीददारी नहीं किये । हम लोग बेतिया नहीं गये थे । रक्सौल से सिवान हम लोग सीधे चले आये, रास्ते में कहीं नहीं रुके । रक्सौल में हमारे टेम्पो ट्रेव्हलर में बंदूक, कारतूस, टेपरिकॉर्डर और टायर नहीं रखवाया गया था । रक्सौल में कोई अंजान आदमी गाड़ी में नहीं बैठा था ।

5. ऐसी बात नहीं है कि उस आदमी ने बेतिया में अभियुक्त चंद्रकांत शाह को 2 पिस्तौल दिया था । बनारस के बाद हाइवे पर हम लोग एक स्थान पर ढाबे में रुके थे और वहां चाय-नाश्ता किये थे । ऐसी बात नहीं है कि रास्ते में अभियुक्त चंद्रकांत शाह और ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने शराब पिये और कुछ बातें किये । हम लोग रींवा, मैहर, जबलपुर होते हुये भिलाई आ गये । दूसरे दिन दोपहर के 2-3.00 बजे, भिलाई पहुंचे । मैंने अभियुक्त चंद्रकांत शाह को उसके घर में उतार दिया, उसने मुझे कहा कि टेम्पो ट्रेव्हलर को सर्विसिंग के लिये प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल में छोड़ दो तो मैंने गाड़ी ले जाकर वहां छोड़ दिया । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने मुझे रास्ते में हजार-डेढ़ हजार रुपये दिया था । दूसरे दिन मेरी मुलाकात सूरजमल से हुई । यात्रा का ब्यौरा मैंने सूरजमल को दिया था ।

6. यह बात सही है कि पुलिस अधिकारी अग्रवाल ने मेरा बयान लिया था । सी0बी0आई0 वालों ने भी मेरा बयान लिया था । यह बात सही है कि मेरा बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी हुआ था ।

7. साक्षी के दं0प्र0सं0 की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित बयान को अभी खोला गया । प्रदर्श पी-229 के आदेश-पत्र के मार्जिन में अ से अ भाग पर पी-229 मेरे हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी- 230 के सामने व पीछे दोनों भागों पर अ से अ । पी-230 भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने प्रदर्श पी- 230 के ब से ब में सांठा - - - - वापिस आये। का बयान दिया था, किंतु मैंने स से स का बयान यानी खरीददारी किये नहीं दिया था । साक्षी स्वतः कहता है कि उसे 25 दिन तक पुलिसवाले बंद रखे थे और धमकी दिये थे कि अगर मैं उनके बताये अनुसार बयान नहीं दूंगा

तो वे मुझे इस केस में फंसा देंगे। पुलिस ने मेरे साथ मारपीट भी किया था । मैंने प्रदर्श पी-230 का ट से ट ।वीरगंज - - - - रूके। दिया था । मैंने इ से इ का बयान ।चंद्रकांत शाह - - - - - वीरगंज आये। नहीं दिया था । कोर्ट में आने के पहले पुलिस ने मुझे टाईप करके बयान दिया था और उसे मुझे रटवाया था और जब मुझे न्यायालय लाया गया था तो मैंने उस रटे-रटाये बयान के आधार पर 164 दंड प्र0सं0 का बयान दिया था ।

8. मैंने पी-230 का स से स का बयान ।और वहां खरीद-दारी किये। पुलिस ने रटाया था, इसलिये मजिस्ट्रेट के सामने दिया था । यह बात सही है कि मैंने इ से इ का बयान ।चंद्रकांत शाह - - - - वीरगंज आये। पुलिस ने रटाया था, इसलिये मजिस्ट्रेट के सामने दिया था । मैंने फ से फ का बयान ।उसके बाद - - - - गाड़ी में रखवाये। पुलिस ने रटवाया था, इसलिये मजिस्ट्रेट के सामने दिया था । मैंने पी-230 का भ से भ ।वहां से - - - - गाड़ी रूकवाई। पुलिस के सिखाने के कारण मजिस्ट्रेट के सामने दिया था । मैंने पी-230 का त से त का बयान ।एक विदेशी शराब - - - - - - अकेला काम कर दूंगा । पुलिस के कहने से ही मजिस्ट्रेट के सामने दिया था । मैंने पी-230 का थ से थ का बयान ।ज्ञानप्रकाश - - - हो जाता था दिये। पुलिस के रटवाने के कारण ही मजिस्ट्रेट के सामने दिया था । पी-230 का मैंने ध से ध का बयान ।दूसरे दिन - - - - नियोगी को खत्म करेंगे। पुलिस के रटवाने के कारण ही मजिस्ट्रेट के सामने दिया था । मैंने पी-230 का य से य का बयान । उसके बाद - - - 4-5-00 सौ रूपये दिये हैं । पुलिस के रटाने के कारण ही मजिस्ट्रेट के सामने दिया था ।

प्रोव0 :- अभियोजन ने निवेदन किया कि वे इस साक्षी को प्रतिकूल घोषित किये बिना ही दंड प्र0सं0 की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित बयानों का उपयोग खंडन के लिये करना चाहते हैं। अभियुक्तों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

अनुमति दी जाती है ।

9. नियोगी जी की मृत्यु के करीब 4-5 दिन बाद पुलिस अधिकारी अग्रवाल ने मेरा बयान लिया था । पुलिस ने मुझे जैसा सिखाया था और मैं बहुत अधिक मानसिक तनाव में था, इसलिये पुलिस अधिकारी अग्रवाल के सामने प्रदर्श पी-231 का अ से अ का बयान चंद्रकांत शाह वीरगंज पहुंचे दे दिया था । P-231

10. मैंने पुलिसवालों के दबाव के कारण प्रदर्श पी-23। का ब से ब का बयान। जहां चंद्रकांत शाह - - - - - - रवाना हो गये। अग्रवाल साहब के सामने दिया था। मैंने पुलिसवालों के रटाने के कारण ही प्रदर्श पी-23। को सर्से स का बयान। ज्ञानप्रकाश - - - - - कर देंगे। अग्रवाल साहब के सामने दिया था।

11. पुलिसवाले जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने मुझे लाये तो मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि पुलिस के रटाये अनुसार मैं बयान दे रहा हूं, क्योंकि उस समय मैं पुलिस वालों से चारों तरफ से घिरा हुआ था और मुझ पर दबाव डाला गया था और मैं मानसिक तौर पर पूरी तरह से ग्रसित था। जब मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने गाड़ी से लाया गया तो एक गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने और एक गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे थी।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह

12. यह बात सही है कि नियोगी जी की हत्या के 4-5 दिन बाद पुलिस अधिकारी अग्रवाल ने मुझे बुलाया था और मुझसे पूछताछ किया था। मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, किंतु उन्होंने मेरा बयान लिख लिया था।

नोट :- श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 ने निवेदन किया कि नियोगी जी की हत्या के 4-5 दिन बाद इस साक्षी का पुलिस अधिकारी अग्रवाल ने जो बयान लिया था उसे उन्हें उपलब्ध कराया जाये।

विशेष लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने बताया कि 13-10-91 के पहले का इस साक्षी का कोई अभिलिखित बयान नहीं है।

13. उसके बाद मेरी रोज पिटाई शुरू हो गई। 10-11 दिन तक पिटाई खाकर मैं थक गया और बोला कि आप लोग जैसा बोलोगे वैसा बयान दूंगा। तब पुलिस अधिकारी अग्रवाल ने वह बयान लिखा, जो आज मुझे अभियोजन की ओर से दिखाया गया है। यह बात सही है कि उस बयान में नेपाल जाने का और वहां से लौटने की बात ठीक लिखी है। उस बयान में हथियार प्राप्त किया गया, शराब पिया गया और अभियुक्तों द्वारा बात किया गया यह बात झूठे रूप से जोड़ा गया है।

14. बयान देने के बाद भी पुलिस अधिकारी अग्रवाल ने मुझे छोड़ा नहीं और बंद ही रखा। मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाने तक मुझे बंद रखा गया और रोज मेरे साथ मारपीट किया जाता था। मेरे घरवालों से मुझे मिलने नहीं दिया जाता था, जो मुझसे मिलने के लिये आते थे। मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ता है, उनकी जान खतरे में रहती थी, मैंने कहा कि मुझे छोड़ दिया जाये, उन्होंने कहा कि जब तक मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं हो जाता

तब तक नहीं छोड़ेंगे, यह बात सही है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान होने के बाद जब मुझे छोड़ा गया तो पुलिस के द्वारा यह धमकी दी गई कि यदि मैं किसी से यह कहूंगा कि मुझे धमकी दी गई है या मैंने पुलिस के कहने से झूठा बयान दिया है तो ये लोग मुझे पुनः बंद कर देंगे।

15. म0 साहब के सामने बयान देने के बाद कुछ दिनों बाद मुझे न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय से एक समंस मिला, जिसमें मुझे आर्म्स एक्ट के मामले में गवाही देना था। मैं अदालत में हाजिर हुआ था। सहायक लोक अभियोजक ने मुझसे पूछा कि मैं क्या बयान देने वाला हूं तो मैंने कहा कि मैं सच बात बताने वाला हूं तो उस दिन उन्होंने पेशी बढ़वा दी। जब दूसरी तारीख लगी तो पेशी के पहले पुलिस वाले मुझे मेरे घर से उठाकर नेवई थाना ले गये, जो मेरे घर के नजदीक है। मेरे नाम से आवेदन भिजवा दिया गया कि मैं बीमार हूं और नहीं आ सकता। आवेदन अदालत में नहीं पहुंचा और मेरे नाम से वारंट निकल गया। तीसरी पेशी में जब मैं पहुंचा तो सहायक लोक अभियोजक के पूछने पर मैंने बताया कि मैं सही बयान दूंगा तो उन्होंने मुझे कहा कि सही बयान दोगे तो भाग जाओ, मैंने कहा कि मेरा वारंट निकला है और मैं वापस नहीं गया और दिन भर न्यायालय में ही बैठा रहा, किंतु मेरी पुकार नहीं हुई। न्यायालय का समय समाप्त होने लगा तब मैं लिपिक के पास गया तो उसने कहा कि न्यायालय का समय समाप्त हो गया है, आज चले जाओ, अगले समंस मिलने पर फिर आना।

16. यह बात सही है कि इसके बाद मैंने न्यायालय में यह आवेदन लगाया कि मेरा बार-बार बयान नहीं होता है, पुलिस बार-बार मेरे घर का चक्कर लगाती है, मेरे पिताजी बीमार व्यक्ति हैं और उनकी तबियत खराब हो जाती है। आवेदन के साथ मैंने शपथ-पत्र भी पेश किया था। यह बात सही है कि उस दिन के बाद से मुझे आज तक उस मामले में गवाही के लिये समंस नहीं मिला है। मैंने जो आवेदन और शपथ-पत्र दिया है वह आज तक उस मामले में लगा होना चाहिये। यह बात सही है कि नेपाल से कोई हथियार नहीं लाया गया था और सीमावार के चौकियों में जगह-जगह पर चेकिंग भी हुई थी।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अधेश,
अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

17. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

18. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभि० पलटन.

19. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी०के०झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

।टी०के०झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

पुनः-परीक्षण :-

20. आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक दंडा. प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में मैंने जो आवेदन और शपथ-पत्र दिया था उसमें यह नहीं लिखा था कि पुलिस के दबाव एवं रटाने के कारण मैंने पुलिस अधिकारी अग्रवाल व न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी को 164 दंड प्र०सं० का बयान दिया था । मैंने उसमें यह लिखा था कि पुलिस वाले मुझे फर्जी गवाह देने के लिये मुझ पर दबाव डालते थे ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह.

21. यह बात सही है कि सी०बी०आई० वालों के डर के कारण मैंने स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा कि पुलिस वाले मारपीट कर मेरा बयान लिखवाया था । मैंने आवेदन में यह लिख दिया था कि हथियारों के बारे में झूठा झूठा बयान लेना चाहते हैं और मैं झूठा बयान नहीं देना चाहता हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अधेश,
अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

22. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

23. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

24. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0झा) (टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0) दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान [illegible]
प्रतिलिपि [illegible],
कार्या. जिला एवं [illegible]
दुर्ग (म.प्र.)

एस0सी0नं0
533/3/93

प्रतिलिपि ... श्री
के. के. ... संयुक्त विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ब्रजभान मिश्रा उर्फ बाबू आ0 छोटकन,
साकिन- चार नं. आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 48, भिलाई.
3. आलोक राय आ0 रामजानकी राय,
साकिन- क्वा0नं0- 79, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 शिवकुमार सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, भारतीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, भारतीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. चन्दन मल्लाह उर्फ रवि आ0 गोलाई मल्लाह,
साकिन- ग्राम मही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र प्रकाश सिंह आ0 भरत सिंह,
साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह पप्पू आ0 रावेल सिंह ...
साकिन- आर-37, एम0पी0ई0बी0 ... रोड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

D-Arc-5333

92 अभियोजन की तरफ से सत्र प्र०प्र० - 233/92

22-12-95 41 वर्ष

सूरजमल जैन

श्री मिश्रीलाल जैन कंस्ट्रक्शन का कार्य

मोतीपारा, दुर्ग.

शपथपूर्वक

1. मैं मूलतः राजस्थान के जोधपुर जिले का रहने वाला हूं । मेरी पढ़ाई दुर्ग में हुई है । मैंने बी०काम० तक पढ़ा है । मैं अभियुक्त चंद्रकांत शाह को कालेज के दिनों से जानता हूं । मैं कॉमर्स कालेज में पढ़ता था और अभियुक्त चंद्रकांत शाह साइंस कालेज में पढ़ता था । छात्र राजनीति के कारण अभियुक्त चंद्रकांत शाह से मेरी दोस्ती थी । छात्र राजनीति मैं करता था अभियुक्त चंद्रकांत शाह नहीं करता था । सन् 1973-74 में मैंने अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली ।

2. सन् 78 में मैंने सूरज ~~ऑटोमोबाईल्स~~ ट्रेडर्स के नाम से अपना व्यवसाय आरंभ किया । सूरज ऑटो ट्रेडर्स का कार्य मैंने पिछले दो वर्षों से छोड़ दिया है । सूरज ऑटो ट्रेडर्स की दुकान से0-10, ए मार्केट, भिलाई में है । मेरी से0-10ए मार्केट में सूरज ऑटो ट्रेडर्स था और अभियुक्त चंद्रकांत शाह का भिलाई के सिविक सेंटर में दुकान थी, इसलिये मिलना-जुलना होते रहता था । मैं अक्टूबर 90 से जून 91 तक नेहरूनगर, भिलाई में किराये का मकान लेकर रहता था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह का मकान नेहरूनगर में मेरे पड़ोस में है । मैंने सन् 86 में ऑटोमोबाईल्स का एक ब्रांच आकाशगंगा, सुपेला में भी खोला था । सन् 86 से सन् 93 तक आकाश गंगा में सूरज ऑटो ट्रेडर्स के नाम से मेरी दुकान थी । जुलाई 90 में जैन-शाह एंड कंपनी के नाम से प्रापर्टी डीलिंग का काम आरंभ किया था । यह कार्य शुरू में मैंने अकेले आरंभ किया था, किंतु अकेले मुझसे यह कारोबार नहीं संभला तो मैंने अपने मित्र चंद्रकांत शाह का सहयोग लिया था, चूंकि मैं इस कार्य में पूरा समय नहीं दे पाता था, इसलिये अभियुक्त चंद्रकांत शाह अर्बन सीलिंग, टाऊन प्लानिंग का कार्य अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने अपने ऊपर ले लिया ।

3. मैं शांतिलाल रायपुर के कपड़े दुकान वाले को जानता हूं । मेघराज जी शांतिलाल बरलोटा के फूफा हैं । मेघराज जी दुर्ग में रहते हैं । मेघराज के पास एक फियेट कार थी, जिसे वे बेचना चाहते थे, किंतु उस कार का मालिकाना हक शांतिलाल बरलोटा का था । उस फियेट कार का नंबर एम०पी०23-7736 था । मैंने उस गाड़ी को शांतिलाल से 1,40,000/- रुपये में खरीद लिया । मैं 7,000/- रुपये मासिक किस्तों की दर से उक्त रकम का भुगतान करने वाला था । उस गाड़ी को मैंने 7-8 महीने तक रखा था । उस गाड़ी को मैं और अभियुक्त चंद्रकांत शाह चलाया करते थे ।

4. अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने यह कहा था कि यदि इस कार को मैं नहीं रखूंगा तो वह उसे अपने व अपनी पत्नी रेणु शाह के लिये रख लेगा । इस तरह से यह गाड़ी चलती रही । अभियुक्त चंद्रकांत शाह की स्वयं की गाड़ी मरम्मत के लिये गई थी, इसलिये इस कार का उपयोग अभियुक्त चंद्रकांत शाह किया करता था । चूंकि यह गाड़ी शांतिलाल बरलोटा ने फाइनेंस से लिया था, जब तक फाइनेंस का रकम पट नहीं जाता, यह गाड़ी मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती थी । नियोगी जी की हत्या के बाद उक्त फियेट कार को मेरे फार्म हाउस से दिनांक संभवतः 22-11-91 को जप्त की गई थी । अदालत से मैंने सुपुर्दनामे पर वह गाड़ी लिया था । उस समय उस फियेट कार का रंग सफेद था ।

5. रवि उर्फ रविन्द्रकुमार मेरे यहां ड्रायव्हर था । आज से करीब 7-8 साल तक उसने मेरे यहां काम किया । मार्च 91 में अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने नेपाल जाने का कार्यक्रम बनाया था, वह बोला था कि दर्शन करने और घूमने के लिये वह नेपाल जाना चाहता है । अभियुक्त चंद्रकांत शाह का टेम्पो ट्रेव्हलर था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने मुझसे भी नेपाल जाने के लिये पूछा था, किंतु मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकता । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने मुझसे एक ड्रायव्हर की मांग किया तो मैंने कहा कि मेरे पास रवि ड्रायव्हर 7-8 साल तक काम कर चुका है, किंतु वर्तमान समय में वह साडा में काम कर रहा है, इसलिये मैं उससे पूछकर बता दूंगा । मेरे पूछने पर रवि अभियुक्त चंद्रकांत शाह के साथ नेपाल जाने के लिये तैयार हो गया । अभियुक्त चंद्रकांत शाह को लेकर रवि ड्रायव्हर निकल गया । उस समय मैं ध्यान नहीं दिया कि उस टेम्पो-ट्रेव्हलर में और कौन-कौन गये थे । करीब 12-13 दिन बाद रवि ड्रायव्हर गाड़ी सहित वापस लौटकर आ गया । गाड़ी लेकर आने के दूसरे दिन बाद रवि ड्रायव्हर मुझसे मिला था ।

6. रवि ने बताया कि उसे पैसा नहीं मिला और खाने-पीने की तकलीफ हुई । रवि ड्रायव्हर ने बताया था कि नेपाल यात्रा के दौरान 2-3 लोग मिले थे, उसने यह बताया था कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिला था और बाकी जो मिले थे उनका नाम वह नहीं जानता ।

7. अभियुक्त अभयसिंह को मैं नहीं जानता । देवेन्द्र पाटनी को मैं अच्छी तरह जानता हूं । मैं मोहन जैन और उत्तम बरड़िया को भी जानता हूं । 27-9-91 को हम लोग दुर्गा उत्सव के लिये कवि सम्मेलन कराना चाहते थे और चंदा एकत्र करना चाहते थे । चंदा लेने में, देवेन्द्र पाटनी, मोहन जैन और उत्तम बरड़िया चंदा लेने के लिये निकले ।

10. 30-9-91 को मेरी पुत्री का जन्मदिन था । मैंने अपने घर में अपनी लड़की के जन्मदिन का पार्टी रखा था । मैं अपने मित्रों को बुलाया था, मैंने अभियुक्त चंद्रकांत शाह को भी निमंत्रण दिया था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर में उस समय अभियुक्त की पत्नी और अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा बैठा हुआ था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह रात में मेरी बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में आया था । पार्टी करीब 10-30-11.00 बजे तक चली थी । मैं अभियुक्त चंद्रकांत शाह को छोड़ने के लिये अपने घर के बाहर तक आया था । मैंने उससे पूछा कि कोई समस्या है क्या तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है । नियोगी हत्याकांड के बारे में अभियुक्त चंद्रकांत शाह से मेरी कोई बात ही नहीं हुई । अपनी बच्ची के जन्मदिन के बाद मैं 5 अक्टूबर के आसपास अस्पताल में भर्ती था । मुझे मेरे नौकर ने बताया कि अभियुक्तचंद्रकांत शाह फिएट कार को फार्म हाउस में छोड़कर गये हैं ।

नोट :- सायंकाल का समय होने के कारण साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया । गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

ह टी0के0झा। ह टी0के0झा।

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग म0प्र0। दुर्ग म0प्र0।

नोट :- सायंकाल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

शपथपूर्वक :-

11. प्रदर्श पी-232, 233 एवं 234 पर चंद्रकांत शाह अभियुक्त के लिखावट नहीं दिख रहे हैं । प्रदर्श पी-235 के पासपोर्ट पर अभियुक्त चंद्रकांत शाह के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी-236 के अ से अ भाग पर अभियुक्त चंद्रकांत शाह पी-232 से 235, 2 की लिखावट लगती है, किंतु मैं यह बात निश्चित रूप से नहीं कह सकता । मैं अभियुक्त चंद्रकांत शाह की लिखावट पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिये उसकी लिखावट पहचानना मुश्किल है । मैं उसके हस्ताक्षर एवं जो लिखावट साफ हो उसे पहचान सकता हूं । प्रदर्श पी-237, 238 एवं 239 की लिखावट पी-237 अभियुक्त चंद्रकांत शाह की नहीं है । प्रदर्श पी-240 के अ से अ भाग पर 239, अभियुक्त चंद्रकांत शाह के हस्ताक्षर नहीं है । पी-241 के अ से अ भाग पर पी-241 भी अभियुक्त चंद्रकांत शाह के हस्ताक्षर नहीं है । पी-242 के अ से अ भाग पर पी-242 भी अभियुक्त चंद्रकांत शाह के हस्ताक्षर नहीं है । प्रदर्श पी-243 के अ से अ भागों पर अभियुक्त चंद्रकांत शाह के लिखावट और हस्ताक्षर नहीं है । पी-243

8. हम लोग रात में करीब 8.15 या 8.30 बजे चंदा लेने के लिये निकले थे। हम लोग सीधे कैम्प-1 में अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर गये। हम लोग अभियुक्त ज्ञानप्रकाश को लेकर केडिया जी और नेहरू नगर के कुछ व्यक्तियों के घर जाना चाहते थे। हम लोग करीब 9.15 बजे अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के घर पहुंचे थे। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश घर में नहीं था, हमें यह बताया गया कि वह 5 मिनट पहले ही निकला है। हम लोग अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के घर के सामने रोड पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। देवेन्द्र पाटनी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश को ढूंढने के लिये आसपास गया और थोड़ी देर बाद आकर बताया कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश नहीं मिल रहा है। हम लोग वहां से करीब 9.30-9.45 बजे यह सोचकर वापस आ गये कि अब काफी रात हो गई है और चंदा के लिये कल सुबह संपर्क कर लेंगे।

9. मैं दूसरे दिन सुबह घर से निकलकर अपनी दुकान में आया। मैं आकाशगंगा मार्केट का अध्यक्ष था। वहां पर व्यापारियों की भीड़भाड़ थी। वहां उपस्थित व्यापारियों ने बताया कि नियोगी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मजदूर लोग हंगामा एवं चक्का जाम कर रहे हैं, व्यापारियों ने मुझसे पूछा कि दुकान खोलना है या नहीं खोलना है। मैंने व्यापारियों से कहा कि दुकान के शटर खोल लो, किंतु दुकान के अंदर से निकालकर बरामदे में सामान मत रखो। उसी समय करीब 9.15 बजे वहां मेरी अभियुक्त चंद्रकांत शाह से मुलाकात हुई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि नियोगी जी को किसी ने गोली मार दी है। मैंने कहा कि यहां काफी हल्ला है और मुझे भी मालूम हुआ है कि नियोगी जी की हत्या कर दी गई है। अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने कहा कि उसके लिये यह एक लफड़ा हो गया है, क्योंकि उसने ले-देकर अपनी गाड़ी को लाइन पर लाया था। उसने यह भी कहा कि उसके लिये एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। मैंने कहा, क्यों ? उसने कहा कि कुछ दिनों पहले से समाचार-पत्रों में और नियोगी के भाषणों में उसका नाम लिया जा रहा था, इसलिये लोग अब उस पर शक करेंगे। मैंने कहा कि यदि तुम्हारा हाथ इसमें नहीं है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त हूं, इसलिये संभलकर रहूं और अगर बाजार बंद करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो बाजार बंद कर देना।

प्रदर्श पी-244, 245 के अ से अ भागों पर अभियुक्त चंद्रकांत शाह के लिखावट और हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श पी-246 के अ से अ भाग पर अभियुक्त चंद्रकांत शाह के लिखावट हैं। पी-247 के अ से अ भाग पर अभियुक्त चंद्रकांत शाह के हस्ताक्षर नहीं हैं।

पी-244, 245 पी-246 पी-247

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 फ्राचंद शाह, नवीन शाह.

12. यह बात सही है कि काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि वह स्वयंभू मंदिर है। यह बात भी सही है कि देश के लाखों हिंदू वहां दर्शनार्थ जाते हैं। यह बात सही है कि मुझे सी0बी0आई0 वाले बुलाये थे और वह बोले थे कि मैंने पहले जैसा बयान दिया है वैसा ही इस बयान में भी कायम रहूं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

13. मुझे इस बात की जानकारी है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के घर में फोन है। यह बात सही है कि रात को जब अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के घर से हम लोग वापस अपने घर आ गये तो मैंने अपने घर से अभियुक्त ज्ञानप्रकाश को फोन किया था, फोन पर वह मिला। मैंने उसे बताया कि सुबह-में तुम्हारे घर गये थे, तुम नहीं मिले थे, अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने कहा कि सुबह आ जाओ, फिर चले चलेंगे। मैंने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को रात में करीब-10.30 से 11.00 बजे के बीच फोन किया था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

14. यह बात सही है कि वर्तमान समय में फिएट कार क्र0-एम0पी023-7736 मेरे नाम पर है और मेरे पास है। यह बात सही है कि शांतिलाल बरलोटा से उक्त कार खरीदने के बाद उसका मालिक मैं ही था। यह बात सही है कि उक्त कार दो अलग-अलग मामलों में जप्त एवं ~~xxxxxx~~ कुर्क हुई थी और मैंने उसे माननीय उच्च-न्यायालय के आदेश से सुपुर्दनामे पर प्राप्त किया है।

15. सी0बी0आई0 वालों ने मेरे नाम से जो बयान लिखा था उसमें कुछ बातें मेरे द्वारा बताई गई थी और कुछ बातें उन्होंने अपने मन से जोड़ दिया था। यह बात सही है कि टाईपशुदा बयान की एक कापी उन्होंने मुझे दिया था।

16. यह बात सही है कि सी०बी०आई० वालों ने कहा था कि यही बयान मुझे न्यायालय में देना है ।

17. यह बात सही है कि सिम्पलेक्स ग्रुप के जितने भी उद्योग हैं, उसमें किसी भी उद्योग में चंद्रकांत शाह का किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं है । चंद्रकांत शाह सिम्पलेक्स ग्रुप के व्यवसाय से अलग अपना व्यवसाय करता है । यह बात सही है कि सन् 85 में अभियुक्त चंद्रकांत शाह ओसवाल इं० स्टील के नाम से भागीदारी में व्यवसाय आरंभ किया । यह बात भी सही है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह ओसवाल ट्रांसपोर्ट के नाम से अपना अलग से व्यवसाय करता था । यह बात भी सही है कि सन् 88 में अभियुक्त चंद्रकांत शाह आयरन एंड स्टील प्रा० लि० के नाम से भिलाई में उद्योग आरंभ किया थी । इस कंपनी का प्रोडक्शन जनवरी 90 से आरंभ हो गया था । यह बात भी सही है कि म०प्र०शासन ने इस उद्योग को विक्रयकर से उन्मुक्त रखा था और यह छूट नया उद्योग होने के कारण 5 साल के लिये था । इस उद्योग का मुख्य कार्य भिलाई इस्पात संयंत्र से माल खरीदकर उसका निर्माण कर विक्रय करना था । यह बात भी सही है कि कि इस उद्योग का वार्षिक टर्न ओव्हर करोड़ों रूपये का था और अभियुक्त चंद्रकांत शाह को बहुत अधिक लाभ होता था । ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा० लि० में कभी भी कोई तोड़फोड़ या हड़ताल नहीं हुई ।

18. यह बात सही है कि अभियुक्त मूलचंद शाह, नवीन शाह और चंद्रकांत शाह अलग-अलग मकानों में रहते हैं और अपना अलग-अलग व्यवसाय करते हैं । यह बात सही है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह अभियुक्त मूलचंद शाह और नवीन शाह के सौतेले भाई हैं । यह बात सही है कि सन् 91 में अभियुक्त चंद्रकांत शाह को ओसवाल स्टील इं०, ओसवाल ट्रांसपोर्ट, ओसवाल आयरन एंड स्टील इं० प्रा० लि० एवं मेरे साथ के व्यवसाय से लाभ होता था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

19. यह बात सही है कि सी०बी०आई० ने इस मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान कराया था । साक्षी का दंड प्र०सं० की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित बयान खोला गया । मैं उस समय दबाव में था, मुझे टाईप बयान पढ़ाया गया था । मैं दबाव के अंतर्गत ही 164 दंड प्र०सं० के अंतर्गत बयान दिया था ।

20. टाईप होने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने मेरा बयान पढ़कर नहीं सुनाया था। मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा था, मैंने उनके सामने हस्ताक्षर नहीं किया था। मुझे बाहर लाकर मेरा हस्ताक्षर कराये थे। सी0बी0आई0 के अधिकारी ने मेरा बयान पढ़ा और बोले कि ठीक है हस्ताक्षर कर दो तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैं बयान पढ़ना चाहता था, किंतु मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। मैंने मजि0 साहब से कहा था कि मुझे बयान पढ़ने दिया जाये तो उन्होंने कहा कि मैं परेशानी में पड़ा हूं, मुझे भी परेशानी होगी और तुम्हें भी परेशानी होगी, इसलिये हस्ताक्षर कर जाइये। मैंने ऐसी शिकायत नहीं किया कि बयान में यह लिखा है कि पढ़कर सुनाया गया, जबकि वास्तव में मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया है तो इस वाक्य को काट दिया जाये। मैंने इस संबंध में किसी भी अधिकारी को यह शिकायत नहीं किया कि बयान मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया है, जबकि बयान में यह लिखा है कि पढ़कर सुनाया गया।

21. मैं यह जानता हूं कि कैलाशपति केडिया का बंगला भी नेहरू नगर में है। कैलाशपति केडिया ००डि0 और केडिया डि0 दोनों के मालिक हैं मैं यह जानता हूं।

22. हम लोग दुर्गा उत्सव के लिये 40-50,000/- रुपये खर्च करने की योजना बनाये थे। अब साक्षी कहता है कि मैं उस समिति का सदस्य नहीं था, इसलिये यह नहीं बता सकता कि कितना खर्च करने की योजना बनाई गई थी। जब मैं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के घर पहुंचा तो मुझे इस बात का अंदाज नहीं था कि उस समय तक कितना चंदा एकत्र किया जा चुका था। यह बात सही है कि उस समय कैलाशपति केडिया चंदा देने की आर्थिक स्थिति में थी। उस रात में सिर्फ केडिया के यहां जाने का ही चंदा के संबंध में विचार था, अन्य लोगों से चंदा दूसरे दिन इकट्ठा करने की सोचे थे। हमें केडिया जी से 5 से 10,000/- रूपये की चंदा मिलने की उम्मीद थी। मैंने उस रात देवेन्द्र पाटनी, सोहन जैन और उत्तम बरड़िया से यह नहीं पूछा कि केडिया जी हैं या नहीं। मैंने रात में फोन पर अभियुक्त ज्ञानप्रकाश से यह नहीं पूछा कि केडिया जी हैं या नहीं हैं। दूसरे दिन हम लोग केडिया जी से चंदा लेने नहीं गये थे। दूसरे दिन सुबह अर्थात 28-9-91 को करीब दस-साढ़े दस बजे अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मुझसे मिला था और बोला था कि केडिया जी के पास जाना ठीक नहीं है।

23\.   भानुप्रकाश ने कहा था कि ऐसे माहौल में जाना ठीक नहीं है। उस समय मार्केट बंद था और तनावपूर्ण स्थिति थी, इसलिये केडिया जी के पास नहीं गये और हमारे संस्था ने भी मना कर दिया था कि चंदा मांगने नहीं जायेंगे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि 28-9-91 को कैलाशपति केडिया दुर्ग या भिलाई में थे या नहीं। मुझे ध्यान नहीं है कि उस साल कवि सम्मेलन हो पाया था या नहीं। प्रदर्श डी-37 के आदेश-पत्र के अ से अ भाग डी-37 पर मेरे हस्ताक्षर हैं, इसी तरह दंड प्र0सं0 की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित बयान प्रदर्श डी-38 के अ से अ भागों पर कुल 8 स्थानों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। डी-38
गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

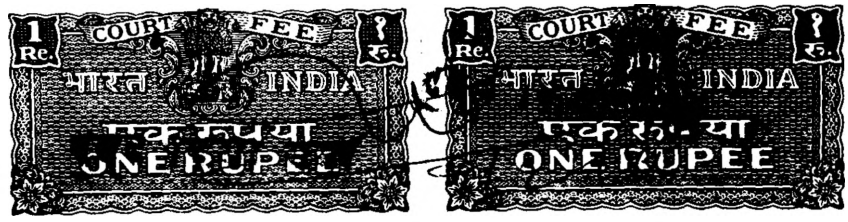

2—

प्रकरण क्रमांक

गवाह नं. 93 से 108 तक का बयान

प्रतिलिपि ---------------- की जो कि श्री

~~के. के. सिंह राजपूत~~ श्री के. भा. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,

द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. शशिकान्त मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 शिवकुमार सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नौलाई मल्लाह,
   साकिन- निमड़ी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ0 रावेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

RC 722/96 S.T. 233/92

COURT FEE 4 Rs. भारत INDIA चार रुपये FOUR RUPEES

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.J.

Witness No. 93 for अभियोजन description taken the .... day of 29-1-96 ..... Witness's apparent age 55 वर्ष .....

States on affirmation my name is भोलाराव son of श्री के0 व्यंकटराव .... occupation ए0डी0सी0 address आर0टी0ओ0 ऑफिस, रायपुर।

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 86 से आर0टी0ओ0 कार्यालय में (रायपुर) में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत हूं। नई गाड़ी का डीलर के यहां से सेल लेटर प्राप्त होने पर और निर्धारित शुल्क अदा किये जाने पर आर0टी0ओ0 कार्यालय में वाहन का रजि0 किया जाता है। रजि0 कराते समय वाहन के बीमा का दस्तावेज आर0टी0ओ0 ऑफिस में दिखाना पड़ता है। मैं आज अपने साथ मोटर व्हीकल रजि0 रजिस्टर अपने साथ लाया हूं। यह रजिस्टर पेज क्र0- 1 से चालू होकर पेज क्र0- 100 तक है। इस रजिस्टर का पेज क्र0-1 एक सितम्बर 87 से आरंभ हुआ है और अंतिम रजि0 दिनांक 21-10-87 का किया गया है। वाहन प्रीमियर पद्मिनी क्र0- एम0आई0आर0-227 का रजि0 दिनांक 28-9-87 को श्रीमती मीनाबाई लख्वानी पति चौथमल लख्वानी, साकिन धमतरी के नाम पर किया गया है। इस वाहन को दिनांक 6-6-90 को डॉ0 गुन को (शहीद अस्पताल) ट्रांसफर किया गया है। यह रजिस्टर विभाग के नियमों के अनुसार उचित रूप से संधारित किया जाता है।

2. प्रदर्श पी-248 का पत्र मेरे द्वारा रजिस्टर के इंद्राज के आधार पर पी-248 तैयार किया गया है। यह मेरी लिखावट में है, नीचे किसी परिवहन निरीक्षक ने हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर मैंने ही कराया था, किंतु आज मैं नहीं बता सकता कि उस निरीक्षक का नाम क्या है।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री शर्मा, अधि0</u> वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री पटेरिया, अधि0</u> वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश मिश्रा,

अग्रेषित, अन्य, चंद्रकला एवं कलदेव.

29-1-96

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

29.1.96

। टी0के0झा।

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग ।म0प्र0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

29.1.96

। टी0के0झा।

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि

9/2/96

दुर्ग (म.प्र.)

received on 7.2.96

to

12.2.96

9.2.96

7.2.96

9.2.96

9.2.96

9.2.96

9/2/96

EXCA·722/96 ST·233/96 ·Cw

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.J.

Witness No.....94.....for.....अभियोजन
description taken the..........day of 29-1-96..........Witness's
apparent age..35........

States on affirmation my name is रविन्द्र कुमार पांडे
son of..श्री. हौसलाप्रसाद पांडे
address ग्रामीण बैंक, गोरखपुर ,उ0प्र0। शाखा-मिर्जापुर. occupation ब्रांच मैनेजर

शपथपूर्वक :-

1. मैं पिछले 6 वर्षों से शाखा प्रबंधक के रूप में गोरखपुर में पदस्थ हूं । किसी भी व्यक्ति को यदि हमारे बैंक में नया खाता खोलना हो तो उसे ओपेनिंग फॉर्म भरना पड़ता है और बैंक के किसी पहचान वाले व्यक्ति से पहचान कराना पड़ता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति अशिक्षित हो तो वह फॉर्म अन्य व्यक्ति से भरवा सकता है । खाता खोलने वाला व्यक्ति ओपेनिंग फॉर्म लेकर शाखा प्रबंधक के पास आता है । यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति अशिक्षित हो तो उसका फोटो लिया जाता है और स्पेसीमेन हस्ताक्षर लेकर बैंक के रजिस्टर में चिपकाते हैं ।

2. दिनांक 9-10-91 को जब समारीदेवी जौजे शीतल मल्लाह, साकिन साहूकुल उर्फ मिर्जापुर का फॉर्म भरा गया था उस समय मैं बैंक में शाखा प्रबंधक था । समारीदेवी का पहचान मिर्जापुर के डाकिये सुखदेव पांडे ने किया था । यह फॉर्म हमारे बैंक के मैसेंजर रामसेवक ने भरा था । मैं रामसेवक के लिखावट से अच्छी तरह परीचित हूं । समारीदेवी के फॉर्म पर 3 स्थानों पर मेरे सामने ही अंगूठा लगवाये गये थे । अंगूठा निशान के सामने हमारे मैसेंजर रामसेवक ने उसका नाम लिखा था । ओपेनिंग फॉर्म प्रदर्श पी-249 है, जिसके अ से अ एवं ब से ब भागों पर मेरे शाखा प्रबंधक के रूप में हस्ताक्षर हैं । पी-2

3. सन् 91 में बैंक में नया खाता खोलने के लिये किसी व्यक्ति को कम-से-कम 20/- रूपये जमा करना पड़ता था । समारीदेवी ने यह खाता 3,500/- रूपये जमा करके खोला था । इसे सेविंग बैंक के खाता क्रमांक- 1561 में जमा किया गया था । प्रदर्श पी-250 का स्लिप समारीदेवी के अशिक्षित होने के कारण बैंक के मैसेंजर रामसेवक ने भरा था । अ से अ भाग पर केशियर के और ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । आज मैं नहीं बता सकूंगा कि केशियर के रूप में बैंक के किस कर्मचारी ने हस्ताक्षर किया था । रकम प्राप्त करने के रूप में बैंक का सील भी इस स्लिप पर लगा है और उसमें भी केशियर ने हस्ताक्षर किया है ॥ पी-25

29-1-96

4. पैसा निकालने के लिये व्यक्ति को विड्राल फार्म भरकर देना पड़ता है । यदि अशिक्षित हो तो उसका फार्म अन्य व्यक्ति से भरवा सकता है । ऐसा फॉर्म प्राप्त होने पर अशिक्षित होने की दशा में उसका फोटो और बैंक के रिकार्ड से उसका स्पेसीमेन सिग्नेचर मिलाया जाता है है और उसे रकम का भुगतान कर दिया जाता है ।दिनांक 8-11-91 को समारीदेवी ने 1,0000/- ।एक हजार रूपये। निकाला है । विड्राल फार्म हमारे बैंक के मैसेंजर रामसेवक व्दारा भरा गया है । विड्राल फार्म प्रदर्श पी-251 है । पी-251 इसके अ से अ भाग पर मेरे और ब से ब भाग पर तात्कालीन केशियर जे0 पी0श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं । बैंक व्दारा विड्राल फार्म के पृष्ठ भाग पर भी ग्राहक के हस्ताक्षर या अंगूठा लिये जाते हैं । विड्रायल फार्म के पृष्ठ भाग पर अंगूठे के निशान के नीचे और उपर समारीदेवी का नाम बैंक के मैसेंजर रामसेवक व्दारा लिखा गया है ।

5. दिनांक 22-11-91 को समारीदेवी के खाते से1,000/- रूपये का रकम निकाला गया है । यह फार्म संभवतः समारीदेवी ने बाहर के किसी व्यक्ति से भरवाया होगा । विड्राल फार्म प्रदर्श पी-252 के अ से अ भाग पर केशियर जे0पी0श्रीवास्तव के और ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।पी-252 इस फार्म के पीछे भाग पर भी समारीदेवी के अंगूठा निशान हैं । समारीदेवी ने इस फार्म के पृष्ठ भाग पर अपने अंगूठे के उपर और नीचे किसी अन्य व्यक्ति से नाम लिखवाई होगी । उस दिन समारीदेवी व्दारा 1,000/- रूपये निकालागया है ।

6. दिनांक 2-12-91 को समारीदेवी व्दारा 500/- रूपये निकाला गया है । इस हेतु प्रदर्श पी-253 का फार्म भरा गयाथा । इसके अ से अ भाग पी-253 पर केशियर जे0पी0श्रीवास्तव के और ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । यहफार्म किसी अन्य व्यक्ति से भरा कर लाया गयाथा । इस फार्म के पीछे भी दो अंगूठा लिये गये हैं, जिसके पीछे समारीदेवी का नाम लिखा है ।

7, मैंने प्रदर्श पी-254 के पत्र के साथ मैंने प्रदर्श पी-249 से 253 पी-254 तक के दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दियाथा । प्रदर्श पी-254 के अ से अभाग पर क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ओ0पी0लाल श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं, जिनसे मैं अच्छी तरह परीचित हूं । समारीदेवी का खाता अभी चालू है ।

सही/- 29/1/96

गवाह नं0:- 94 तरफ से अभियोजन गवाह पद नम्बर 2

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री एम0जी0शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

9. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रभूषण एवं बलदेव.

10. यह बात सही है कि मुझे आज जितने भी अभिलेख दिखाये गये उनमें कोई भी ऐसा अभिलेख नहीं था, जिसमें खाताधारी समारीदेवी के फोटो हों । अशिक्षित व्यक्ति के खाता खोलने के लिये फोटो लगाना आवश्यक होता है । यह बात सही है कि हमारे बैंक में लेजर बुक होता है, जिसमें पैसा निकालने और जमा करने का अलग-अलग इंद्राज होता है । मुझे आज न्यायालय में लेजर बुक नहीं दिखाया गया है । मुझे विड्रायल का रजिस्टर भी नहीं दिखाया गया है । हमारे बैंक में कुछ खाताधारियों के खाते एक-डेढ़ लाख रूपये तक के हैं । समान्यत: बहुत सारे लोगों के 20-25 हजार रूपये के खाते भी हैं । उस दृष्टि से 3,500/- रूपये का अमाउंट बहुत कम होता है । यह आवश्यक नहीं है कि खाता 20/- रूपये से ही खोला जाये । खाताधारी जो भी रकम 20/- रूपये से अधिक जमा कर सकता है ।

11. समारीदेवी से मैं व्यक्तिगत रूप से परीचित नहीं हूं । मुझे नहीं मालूम कि उसकी कितनी खेती है या उसका क्या व्यवसाय है और उसकी आमदनी कितनी है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

12. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । 29/1/96
। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

मेरे निर्देशन परटंकित । 29/1/96
। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

पत्र क्रमांक

शहीदों की मज़ारों पर, लगेंगे हर बरस मेले
वतन पर मिटने वालों का, यही बाकी निशां होगा.

साथी,

गढ़ के लाखों मेहनतकश २८ सितंबर १९९७ को में नियोगीजी का शहीद दिवस मनायेंगे एवं नए भारत ए नए छत्तीसगढ़ का अपना संकल्प मजबूत करेंगे।

स संकल्प में आपकी शिरकत एवं हमदर्दी महत्वपूर्ण हैं। २८ बर १९९७ को भिलाई में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम के ए आप सादर आमंत्रित हैं।

क्रांतिकारी अभिनंदन सहित,

आपका साथी

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
विधायक

Dear Friend,

Lakhs of Chhattisgarh celebrate Martyr's Day Sept. 1997 in Bhilai anc for A New Chhattisgarh

Your participation ai and you are cordially Martyr's Day programm Sept. 1997.

With revolutionary gre

Yo

for

Jan
I
Chhattis

शहीद भगत सिंह, वीर नारायण सिंह, अशफाक उल्ला, नियोगी भाई ये
इनके संघर्ष आज भी जारी हैं, आज के संघर्ष हमारी बारी है.

EXCA 722/96 S.T 233/92

GRPI-153-7Lakhs-8-92.

II-157
C.J.

Witness No....95.......for...अभियोजन...................................
description taken the..........day of.29-1-96......Witnesse's apparent age 53...वर्ष.....

States on affirmation my name is...डी०के०दुबे........
son of..श्री जे०के०दुबे..........................occupation..डिप्टी मैनेजर
address..स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जय स्तंभ चौक, रायपुर...............

शपथपूर्वक :-

1. सन् 91 में मैं भिलाई इं० स्टेट ब्रांच में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। उस समय उस शाखा में एस०एस० जोशी शाखा प्रबंधक थे। यदि किसी फर्म के नाम पर बैंक में नया खाता खोलना हो तो ओपेनिंग फॉर्म के साथ-साथ पार्टनरशिप लेटर पेश करना पड़ता है। फर्म के नाम से खाता खोलने के लिये भी किसी पहचान वाले व्यक्ति से पहचान कराना पड़ता है। दिनांक 3-5-88 को ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा० लि० के नाम से बैंक में खाता खोला गया है। यह खाता करेंट अकाउंट के रूप में खोला गया था। फर्म के डायरेक्टर चंद्रकांत शाह और मिसेस प्रफुल्ला राजेश शाह बताये गये हैं। इनका पता (कंपनी का पता) 17एफ इं० स्टेट, भिलाई बताये गये हैं। अभियुक्त चंद्रकांत शाह का पता- 19/5 वेस्ट नेहरूनगर, भिलाई तथा मिसेस प्रफुल्ला राजेश शाह का पता एम०आई०जी०-73 वैशालीनगर भिलाई दिया गया है। इनका पहचान के०एम० जैन द्वारा- के०एम०जे० एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, स्टेशनरोड, दुर्ग ने किया था। ओपेनिंग फॉर्म पर दोनों डायरेक्टरों ने सील लगाकर अपने हस्ताक्षर किये हैं। बैंक के अधिकृत अधिकारी एम०के० मिश्रा ने इनके हस्ताक्षरों को सत्यापित किया है। एम०के० मिश्रा के हस्ताक्षर से मैं परीचित हूं। इस फॉर्म पर ब्रांच मैनेजर का छोटे रूप में हस्ताक्षर हैं। यह हस्ताक्षर किसने किये होंगे मैं नहीं बता सकता। बैंक के अधिकारी ने लेजर पर भी संक्षेप में हस्ताक्षर किये हैं, किंतु ये किसके हैं यह मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श पी-255 का ओपेनिंग फार्म केन्द्रीय जांच पी-255 ब्यूरो ने मुझसे जप्त किया था। इसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। 2-5-85 को ओसवाल स्टील इं० के नाम से खाता खोला गया था। इसमें अभियुक्त चंद्रकांत शाह, मनीष कुमार शुक्ला और श्रीमती प्रफुल्ला आर० शाह का भागीदारी बताया गया है। चंद्रकांत शाह का पता-52 पदमनाभपुर दिया गया है। मनीष शुक्ला का 25 नेहरूनगर है तथा श्रीमती प्रफुल्ला आर० शाह का पता 71 वैशालीनगर दिया गया है।

29-1-96

2. इसमें पहचानकर्ता के रूप में आर0 मिश्रा ने हस्ताक्षर किये हैं। यह ओपेनिंग फॉर्म प्रदर्श पी-256 है। इसमें यह निर्देश है कि यह खाता पी-256 सिर्फ अभियुक्त चंद्रकांत शाह ही ऑपरेट करेंगे। खाता का चेक बुक प्राप्त करने के लिये अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने अ से अ भाग पर हस्ताक्षर किये हैं। इस फार्म के पीछे तीनों खातेदारों के नमूने के हस्ताक्षर दिये गये हैं। हस्ताक्षर बैंक के अधिकारी ने सत्यापित किया था, किंतु किस अधिकारी ने सत्यापित किया था यह मैं नहीं बता सकता।

3. प्रदर्श पी-257 में अकेले खाता ऑपरेट करने वाले अभियुक्त चंद्रकांत शाह के नमूने के हस्ताक्षर लिये गये हैं। इसे बैंक के अधिकारी पी-257 ने सत्यापित किया था। प्रदर्श पी-256 पर अ से अ भाग पर पीछे में मेरे हस्ताक्षर हैं। पी-257 के अ से अ भाग पर पीछे में मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त दस्तावेज मुझसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 11-12-91 को जप्त किया था। उक्त जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-258 है, जिसके अ से अ भाग पी-258 पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जप्ती-पत्र की कापी मुझे दी गई थी और इसकी पावती के रूप में मैंने ब से ब भाग पर हस्ताक्षर किया था। सी0बी0 आई0 के उप-पुलिस अधीक्षक श्री एम0डी0 पांडे ने जप्ती-पत्र मेरे सामने बनाया था।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री शर्मा, अधि0</u> वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

4. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री पटेरिया, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

5. यह बात सही है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह के बैंक अभिलेखों में जो हस्ताक्षर हैं वे मेरे सामने नहीं किये गये थे। मैंने इन हस्ताक्षरों को सत्यापित भी नहीं किया था। बैंक के अधिकारी ने मेरे सामने हस्ताक्षरों को सत्यापित नहीं किया है। मैं यह बात सिर्फ बैंक रिकार्ड के अनुसार बता रहा हूं।

6. यह बात सही है कि किसी प्रायवेट लि0कंपनी को बैंक में नया खाता खोलने के लिये आर्टिकल ऑफ मेमो0 और आर्टि0 ऑफ एसो0 देना पड़ता है। यह बात सही है कि ओसवाल आयरन एंड स्टील कं0 एक प्रायवेट लि0कंपनी थी। मेरी जानकारी में उक्त फर्म के मेमो0 आफ एसो0 और आर्टिकल ऑफ एसो0 नहीं हैं, हो सकता है कि यह बैंक रिकार्ड में हो।

गवाह न0:- 95 अभियोजन की तरफ से पेज क्र0-2

चूंकि ये खाते मेरे सामने नहीं खोले गये थे, इसलिये मैं नहीं बता सकता उक्त दस्तावेज बैंक में हैं या नहीं । बैंक के नियमों के अनुसार इन दस्तावेजों का बैंक में होना आवश्यक है । इसी तरह ओसवालस्टील इं0 का खाता भी मेरे सामने नहीं खोला गया था । मेरे सामने इसके खाता खोलने के संबंध में मेरे सामने हस्ताक्षर नहीं किये गये थे । मैं आज जो भी बयान दे रहा हूं वह पेश किये गये दस्तावेज को देखकर ही दे रहा हूं । मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की जानकारी नहीं है कि ओसवाल स्टील इं0 भागीदारी फर्म है या नहीं है । यह बात सही है कि भागीदारी फर्म जब बैंक में अपना नया खाता खोलती है तो वह भागीदारी विलेख बैंक में पेश करती है । ओसवाल स्टील इं0 का जो खाता खोला गया है उसका भागीदारी विलेख बैंक में होना चाहिये ।

7. मैंने जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-258 में जो यह लिखा है कि - सभी दस्तावेज चंद्रकांत शाह व्दारा हस्ताक्षरित हैं और उसके नीचे मैंने जो हस्ताक्षर किया है उसके संबंध में मैं यह कहसकता हूं कि यह बात बैंक के रिकार्ड के आधार पर मैंने कही है । मुझे अभियुक्त चंद्रकांत शाह व्दारा हस्ताक्षर करने की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है ।

8. ओसवाल आयरन एंड स्टील इं0 का खाता बैंक में सन् 89 में खोला गया था । मैं यह नहीं बता सकता कि सन् 89, 90 एवं आगामी वर्षों में ओसवाल आयरन एंड स्टील इं0 में कितने करोड़ का व्यवसाय हुआ । यह आवश्यक नहीं है कि जिस फर्म का बैंक में खाता हो वह हर संव्यवहार उसी बैंक के माध्यम से करे । यह बात सही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का देनदार हो तो वह उस व्यक्ति को सीधे उसके नाम से ड्राफ्ट दे सकता है, किंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ड्राफ्ट लेनदार के कहने पर देनदार किसी तीसरे नाम के व्यक्ति को जारी कर दे ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश अवधेश, अजय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

9. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 फलटन.

10. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
29.1.96	29.1.96
।टी0के0झा।	।टी0के0झा।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.	व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

सत्य-प्रतिलिपि 1/2/96

4—

EXCH. 22/96 ST. No 233/92

GRPI-153-7 Lakhs-8-92

II-157
C.J.

Witness No..96........for....अभियोजन

description taken the .... day of 29-1-96 .... Witness's apparent age 45 वर्ष .....

States on affirmation my name is भरतलाल देवांगन son of श्री पुसऊराम देवांगन (स्वर्गीय) .... occupation नौकरी address ग्राम छावनी, भिलाई. एच0एस0सी0एल0, भिलाई।

शपथपूर्वक :-

1. दिसम्बर 91 में पी0आर0देवांगन मेरे सहकर्मी थे। दिनांक 16-12-91 को मैं और पी0आर0देवांगन पुलिस थाना नेवई गये थे। वहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कोई अधिकारी आये हुये थे। हम लोग पुलिस थाना नेवई शाम को करीब 7.00 बजे पहुंचे केन्द्रीय जांच ब्यूरो वाले ने कहा था कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह से हम लिखावट ले रहे हैं और उस पर आप लोग भी अपना हस्ताक्षर कर देना। हम लोग जब 7.00 बजे थाने में पहुंचे थे तो वहां अभियुक्त चंद्रकांत शाह था। हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो वाले ने बताया कि यह अभियुक्त चंद्रकांत शाह है और ये जो लिखेगा उस पर हम लोग अपना हस्ताक्षर कर दें। अभियुक्त चंद्रकांत शाह थाने के अंदर कुर्सी में बैठा था और उसके सामने टेबल लगा था। हम लोग अभियुक्त चंद्रकांत शाह के बगल में बैठे थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी भी पास में ही बैठे थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने अभियुक्त चंद्रकांत शाह को डिक्टेशन देते गये वह लिखता गया और अपना हस्ताक्षर भी किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो वाले ने हिन्दी में बोले थे। के0जांच ब्यूरो के डि0 पर अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने 12 पन्नों पर लिखा था।

2. प्रदर्श पी-259 (जो एस-13 से एस-24 तक है) मेरे सामने अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने लिखा था। इसके प्रत्येक पृष्ठ के अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पी-259 मेरे सामने ही अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने हस्ताक्षर किये थे। अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने सभी पृष्ठों के ब से ब भागों पर मेरे सामने हस्ताक्षर किया था। पी0आर0 देवांगन ने मेरे सामने ही इस पर स से स भागोंमें हस्ताक्षर किये थे। एस-17 से 22 और 24 अंग्रेजी में हैं तथा शेष हस्ताक्षर हिन्दी में हैं।

3. सी0बी0आई0 वाले बोलते गये और अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने टेबल पर कागज रखकर लिखा था। बाद में नमूने के हस्ताक्षर वाले पूरे कागजात सी0बी0 आई0के अधिकारियों ने रख लिये।

(sd) 29.1.96

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री शर्मा, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

5. मैं ग्राम छावनी भिलाई का रहने वाला हूं । ग्राम छावनी थाना जामुल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है । नेवई थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है । हमें सी० बी० आई० वालों ने बुलवाया था, इसलिये नेवई थाने गयेथे । सी० बी० आई० वालों ने हमारे कार्यालय में जाकर हमारे अधिकारियों को कहाथा कि हमें 2 आदमियों की जरूरत है । हमें अधिकारियों ने कहा कि सी० बी० आई० वालों के साथ जाओ और जो काम कहें वो करो । हमें नेवई थाने जाने का आदेश हमारे अधिकारी बी० ममतानी ने दिया था । उस समय बी० ममतानी साहब मुख्य प्रबंधक ।सतर्कता। थे । मैं और पी० आर० देवांगन दोनों उस समय सतर्कता विभाग में वॉचर के पद पर कार्यरत थे । वॉचर का कार्य सतर्कता के संबंध में पता लगाते रहना होता है । हम लोग हमारी कंपनी के अंतर्गत जो अपराध होते हैं उसका पता लगाते हैं । यह बात सही है कि हम अधिकारियों के कहने से बिना छुट्टी लिये सी० बी० आई० को मदद करने के लिये नेवई थाने चले गयेथे । हमें उस दिन का वेतन मिला था । उस दिन मुझे और पी० आर० देवांगन दोनों को ही नेवई थाने में कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं था ।

6. नेवई थाने में सी० बी० आई० का सिर्फ एक अधिकारी था । नेवई थाने के आसपास बस्ती है । उस क्षेत्र के लोगों से मैं परीचित नहीं हूं । नेवई बस्ती में भी सभ्य और सामाजिक लोग रहते हैं । मैं यह नहीं बता सकता कि नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बी० एस० पी० के कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं या नहीं ।

7. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उस अधिकारी का नाम कंवरथा । केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अधिकारी डि० धीरे-धीरे देते थे । मुझे आज ध्यान नहीं है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने अपना पेन निकाला था या नहीं । मैं यह नहीं बता सकता कि वह पेन किस प्रकार था । मैं नहीं बता सकता कि वह पेन डाटपेन था, इंकपेन था या पेंसिल थी ।

29.1.96

2

गवाह नं0:- 96 अभियोजन से गवाह पन नम्बर 2

8. मुझे आज याद नहीं है कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने जिस पेन से लिखा था वह उसका खुद का था या उसे पुलिस अधिकारी ने दिया था ।

9. मेरे सामने कुल 12 पन्ने लिखाये गये थे । ये 12 पन्ने सी0बी0आई0 ने डिक्टेशन करके लिखाये थे । मैं आज अंदाज से नहीं बता सकूंगा कि एक पन्ना का डि0 देने और लिखने में कितने समय लगे होंगे । 12 पन्ने लिखने में करीब एक घंटे के आसपास का समय लगा होगा ।

10. मैं सी0बी0आई0 अधिकारी के साथ 7.00 बजे शाम थाने पहुंचा था । मेरे पहुंचने के पहले अभियुक्त चंद्रकांत शाह वहां बैठा था । वह कब से बैठा था मुझे नहीं मालूम । उसे हथकड़ी नहीं लगी थी । मैं यह नहीं बता सकता कि उसे कौन लाया था और कब से लाया था । मैं यह नहीं बता सकता कि मेरे पहुंचने के पहले अभियुक्त चंद्रकांत शाह के साथ क्या सलूक किया गया था । मैं नहीं बता सकता कि मेरे पहुंचने से पहले अभियुक्त चंद्रकांत शाह से और कितने कागज लिखाये गये थे । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने दाहिने हाथ से ही लिखा था । अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने पेन पर दबाव करके लिख रहा था । उसने कलाई से नहीं, बल्कि उंगली से पकड़कर लिखा था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रभूषण एवं बलदेव.

11. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

12. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
29.1.96	29.1.96
। टी0के0झा ।	। टी0के0झा ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0 ।	दुर्ग । म0प्र0 ।

सत्यप्रतिलिपि

EXCA 722/96 ST. 233/92

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.J.

Witness No. 97 for अभियोजन
description taken the .... day of 30-1-96 ..... Witness's apparent age 25 वर्ष

States on affirmation my name is सुरेश विश्वकर्मा son of स्वर्गीय श्री रामअवध विश्वकर्मा occupation रेडियो मरम्मत address नई बाजार, गोरखपुर (उ0प्र0)।

<u>शपथपूर्वक :-</u>

1. मैं ग्राम निबही, जिला-देवरिया का रहने वाला हूं और नई बाजार, गोरखपुर में मेरी रेडियो मरम्मत की दुकान है। मैं सन् 85 से रेडियो मरम्मत का काम नई बाजार, गोरखपुर में कर रहा हूं। हम लोग 6 भाई हैं। मैं नोखई मल्लाह के पुत्र अभियुक्त पलटन मल्लाह को बचपन से ही जानता हूं। पहले अभियुक्त पलटन ग्राम निबही में रहता था। बाद में वह भिलाई (जिला-दुर्ग) जाने लगा। अक्टूबर 91 में अभियुक्त पलटन मुझसे ग्राम खोरमा, जिला-देवरिया के चौराहे पर मिला था। उस समय कौन सा सप्ताह या कौन सा दिन था यह मैं नहीं बता सकता। अभियुक्त पलटन ने मुझसे कहा कि रामप्रवेशमल के ईंटा भट्ठा में चलना है। उसने मुझसे कई बार ईंटा भट्ठा में चलने के लिये कहा तो मैं उसके साथ ईंटाभट्ठा में गया। अभियुक्त पलटन के पास एक लाल रंग की मोटरसायकिल थी। उसे अभियुक्त पलटन चला रहा था और मैं पीछे बैठा था। उसके साथ मैं रामप्रवेशमल के ईंट भट्ठे में गया। ईंटा भट्ठा के मुंशी से अभियुक्त पलटन मल्लाह ने ही बात किया और मैं 15-20 फीट की दूरी पर खड़ा था। अभियुक्त पलटन ने मुंशी से बात करने के बाद मेरे पास आया और फिर मुझे मोटरसायकिल से मेरे घर छोड़ दिया। उसने ईंट का सौदा किया, किंतु इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके बाद मैं अपनी दुकान पर चला गया। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पलटन मल्लाह को साक्षी ने देखकर सही पहचाना। मैं मोटरसायकिल को नहीं पहचान सकता, क्योंकि लाल रंग की बहुत सारी मोटरसायकिल रहती है।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0</u> वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री शर्मा, अधि0</u> वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

30-1-96

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रभूषण एवं बलदेव.

4. यह बात सही है कि ग्राम निबही में मिर्जा आलम बेग नामक व्यक्ति रहते हैं, जो पहले हमारे ग्राम के प्रधान थे । उनके भाई मिर्जा फारुख बेग हैं । यह बात सही है कि हमारे ग्राम में बड़की बारी ।बड़ा बगीचा। है । यह बात सही है कि बड़की बारी के संबंध में अभियुक्त पलटन के पिता नोखई मल्लाह और मिर्जा आलम बेग के पिता सिद्दिकी के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी । मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि यह मुकदमा नोखई मल्लाह जीत गये थे या नहीं । यह बात सही है कि उस मुकदमेबाजी के कारण नोखई मल्लाह और सिद्दिकी परिवार के बीच मनमुटाव था ।

5. मेरे रेडियो मरम्मत की दुकान से ईंट का भट्ठा करीब 25-30 कि0मी0 दूर होना चाहिये । 4,000 ईंटों में एक कोठा नहीं बन पायेगा । ईंट वाला मेरी जान-पहचान का नहीं है । अभियुक्त पलटन मुझे ईंट वाले के यहां क्यों ले गया, इसका कोई कारण नहीं है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

6. अक्टूबर 91 के पहले अभियुक्त पलटन के साथ मुझे कहीं जाने का मौका नहीं लगा था । यह बात सही है कि अक्टूबर 91 के पहले अभियुक्त पलटन साल में एक-दो बार ग्राम निबही आते रहता था । मैं यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त पलटन जिस मोटरसायकिल में था वह किस कंपनी का था और कौन से मॉडल की थी । मुझे यह याद है कि वह गाड़ी सिर्फ लाल रंग की थी । मैंने इस गाड़ी के बारे में अभियुक्त पलटन से कोई बातचीत नहीं किया । अभियुक्त पलटन ने यह नहीं बताया कि गाड़ी किसकी है और उसके कब्जे में कैसे है । ईंट भट्ठे में हम लोग मकान बनवाने के संबंध में ही गये थे । बाद में नोखई मल्लाह का मकान नहीं बना । मैं यह नहीं बता सकता कि उसका मकान बाद में क्यों नहीं बना ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

30.1.96

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

30.1.96

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि
9/2/96
प्रभार प्रतिलिपिकार
... विभाग,
कार्या... एवं ... न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

8X CA 722/96 ST 233/92 ५-०

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.J.

Witness No...98.......for...अभियोजन...
description taken the.........day of...30-1-96...........Witnesse's
apparent age...30 साल..

States on affirmation my name is...केतन मूलचंद शाह...
son of..श्री मूलचंद शाह.................occupation एक्ज़ीक्यूटर डॉयरेक्टर
address..नंदिनी रोड, भिलाई..................सिम्पलेक्स कॉस्टिंग

शपथपूर्वक :-

1. मैंने बी0ई0 करने के बाद एम0बी0ए0 किया हूं। अभियुक्त मूलचंद शाह मेरे पिताजी हैं। दिसम्बर 91 में मेरे पिताजी बांबे गये हुये थे। तारीख मुझे याद नहीं है। बंबई में हमारे किसी रिश्तेदार के यहां शादी थी, जिसमें उपस्थित होने के लिये मेरे पिताजी गये थे। उस समय मैं भिलाई में ही था। उस समय मेरे पिताजी अल्सर से पीड़ित थे। उस समय अल्सर का दर्द आरंभ हुआ था। बंबई में मेरे पिताजी ने हिंदूजा अस्पताल में अपना चेकअप कराया था। उसके बाद मैं बंबई गया था। मैं अपने निजी काम से औरअपने पिताजी से मिलने के लिये भी बंबई गया था।

2. बंबई जाने के पहले जब मैं भिलाई में था तो सी0बी0आई0 से मेरे पिताजी के नाम का एक समंस मिला था। मैं जब बंबई गया, तो इस समंस के बारे में अपने पिताजी को बताया था। उस समय मेरे पिताजी हिंदूजा अस्पताल में थे। मेरे पिताजी ने सी0बी0आई0 अधिकारी के नाम से एक पत्र बनाकर मुझे दिया था। बंबई से भिलाई आने के बाद उस पत्र को मैंने सी0बी0आई0 के अधिकारी को दे दिया था। प्रदर्श पी-260 का पत्र वही पत्र है, जिसे मेरे पिताजी ने लिखकर दिया था। पी-260
मैंने इस पत्र को ही सी0बी0आई0 के अधिकारी को दिया था। प्रदर्श पी-116 मेरे पिताजी की हस्तलिपि में है। अभियुक्त नवीन शाह और चंद्रकांत शाह मेरे चाचाजी हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

3. सन् 87 से मेरे पिताजी को पेट में बहुत दर्द की शिकायत रहती थी। यह बात भी सही है कि भिलाई के छ0अस्पताल के डॉ0 शर्मा उनका ईलाज किया करते थे। यह बात सही है कि सन् 87 से 91 के बीच मेरे पिताजी के वजन में करीब 14 किलो की कमी हो गई थी। यह बात सही है कि मेरे पिताजी जब शादी में शरीक होने के लिये बंबई गये थे तो मेरी बड़ी बहन

30.1.96

FOUR RUPEES INDIA

जयश्री हरिया ने उन्हें जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया था । यह बात सही है कि हिंदूजा हॉस्पिटल में यह बताया गया कि मेरे पिताजी को ड्यूडनल पेप्टिक अल्सर का सीर्यस केस है । यह बात सही है कि हॉस्पिटल में यह कहा गया था कि उन्हें 2-3 महीने तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा ।

4. सन् 87 में मैंने बी०ई० की डिग्री माधव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी, ग्वालियर से प्राप्त की थी । इसके बाद 2 साल तक मैं सिम्पलेक्स डिवीजन लि० इं०एंड फाउंडरी वर्क्स में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य करता रहा । उसके पश्चात् मैं एम०बी०ए० करने के लिये सन् 89 में अमेरिका चला गया । फ्लोरिडा से मैं एम०बी०ए० की डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं सन् 91 में वापस भिलाई आ गया । अगस्त 91 में मैं सिम्पलेक्स कॉस्टिंग में मैनेजर नियुक्त हो गया । यह बात सही है कि भिलाई में मेरे पिताजी के निवास में नीचे और ऊपर दो भाग हैं । नीचे के भाग में मेरे पिताजी और मेरी माताजी रहते हैं । ऊपर वाले भाग में मैं एक खंड में और एक खंड में मेरे दीपक चाचा रहते हैं । जिस खंड में मैं रहता हूं वह हिस्सा अनन्य रूप से मेरे ही कब्जे में है ।

5. यह बात सही है कि 18-11-91 को मेरे बेडरूम से कुछ कागजात जप्त किये गयेथे । यह बात सही है कि जो कागजात जप्त किये गयेथे उनमें से एक कागजात मृतक शंकर गुहा नियोगी से संबंधित एक गोपनीय नोट था । साक्षी को मृतक शंकर गुहा नियोगी से संबंधित गोपनीय नोट दिखाया गया, इसे प्रदर्श पी-261 अंकित किया गया । प्रदर्श पी-261 पी-26 का नोट अन्य दस्तावेजों के साथ मेरे बेडरूम से जप्त किया गया था । यहदस्तावेज मेरे निर्देश पर मेरे कार्यालय में तैयार किया गया था । इसका मेरे पिताजी से कोई सरोकार नहीं था । इस नोट के पैरा 6 मे जो एक्शन प्लान तैयार किया गया था वह मेरे निर्देश पर तैयार किया गया था । यह बात सही है कि जब मैं फ्लोरिडा में एम०बी०ए० का कोर्स कर रहा था वहां यह बताया जाता है कि भविष्य में जो आकस्मिक समस्यायें आ सकती है उनका समाधान करने के लिये पूर्व से क्या तैयारी की जाये ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री यादव, अधि०</u> वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

30-1-96

6. कुछ नहीं ।

V-182
Cr.J. (H)

गवाह नं0:- 98 अभियोजनकी तरह से गवाह पद नम्बर 2

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

7. कुछ नहीं ।.

पुन: परीक्षण :-

8. - सन् 91 में जब मैं सिम्पलेक्स कॉस्टिंग ज्वाइन किया तब मैं मैनेजर था । वर्तमान समय में मैं एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर हूं । उस समय सि0 कॉस्टिंग के डॉयरेक्टर अभियुक्त नवीन शाह थे । मेरे पिताजी सिम्पलेक्स इं0 में डॉयरेक्टर थे । मैंने सिम्पलेक्स कॉस्टिंग के हर विभाग से रिपोर्ट मंगाया था और उसके बाद मेरे निर्देश पर टाईम ऑफिस ने प्रदर्शपी-261 का नोट तैयार कियाथा । यह बात सही है कि सन् 91 में जब मैं अमेरिका से वापस आया तो यहां श्रमिकों काआंदोलन चल रहा था । यह बात सही है कि छ0मु0मोर्चा का जो आंदोलन चल रहाथा उसका नेतृत्व मृतक शंकर गुहा नियोगी कर रहे थे । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-261 के नोट के साथ मैंने प्रदर्श पी-262 का नोट भी बनवायाथा । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-262 का दस्तावेज भी मेरे कमरे से जप्त किया गयाथा । जिस समय 18-11-91 को सी0बी0आई0 वालों ने हमारे घर की तलाशी ली थी उस समय मैं मौजूद था । उस समय मेरे पिताजी भी घर में नीचे मौजूद थे । हमारे जिस मकान की तलाशी ली गई थी वह सिम्पलेक्स कॉलोनी, मालवीय नगर में है । जिस समय मेरे बेडरूम की तलाशी ली गई उस समय मैं मौजूदथा । तलाशी के 3-4 दिनों पहले श्रमिक समस्याओं से संबंधित फाईल मैंने फैक्टरी से अपने घर लेकर आयाथा । सी0बी0आई0 वालों ने उसमें से कुछ दस्तावेज जप्त किये और कुछ को जप्त नहीं किये । तलाशी में कुछ समाचार-पत्रों की कटिंग, पॉम्पलेट, धीरेश कुमार मृतक शंकर गुहा नियोगी से संबंधित आर्टिकल की फोटोकापी ले गये थे । यह बात सही है कि सी0बी0आई0 वालों ने मेरे बेडरूम से ~~यह बात सही है कि~~ प्रदर्श पी-263 से प्रदर्श पी-280 तक के दस्तावेज जप्त किये थे । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-281 के अ से अभाग पर पावती के रूप में मेरे पिताजी के हस्ताक्षर हैं तथा ब से ब भाग पर मेरी माताजी के हस्ताक्षर हैं । इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं लिये गये थे । मैंने प्रदर्श पी-261 का जो नोट बनवाया था उसे अपने पिताजी को या नवीन शाह को नहीं दिखाया था ना ही बताया था ।

पी-262

पी-263 से पी-280

पी-281

20-1-96

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह,
नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

9. यह बात सही है कि मैंने प्रदर्श पी-26। का नोट व्यक्तिगत तौर पर बनवाया था और उसे अभियुक्त मूलचंद शाह या नवीन शाह को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-28। के सबसे ऊपर भाग पर यह लिखा गया है -"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के अंतर्गत जो रिकार्ड बनाये गये हैं उन्हें मूलचंद शाह और श्रीमती प्रभाबेन शाह को दिखाये गये हैं और उन्होंने उक्त दस्तावेज देखने के स्वरूप अपना हस्ताक्षर किये हैं।" सी0 बी0 आई0 वालों ने मुझसे हस्ताक्षर करने के लिये नहीं कहा था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभियुक्त ज्ञानप्रकाश,
अवधेश, अभय, चंदबख्श एवं बलदेव.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

11. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । — मेरे निर्देशन पर टंकित ।

30.1.96 — 30.1.96

। टी० के० झा । — । टी० के० झा ।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, — द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म० प्र० । — दुर्ग । म० प्र० ।

सत्यप्रतिलिपि
9/2/96
दुर्ग (म.प्र.)

EX CA 222/96 ST. 233/92 2

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.J.

Witness No. 99 for अभियोजन

description taken the .... day of 30-1-96 ...... Witnesse's apparent age 41 ....

States on affirmation my name is योगेश मुकुन्दप्रसाद दवे
son of स्वर्गीय श्री मुकुन्दप्रसाद दवे occupation नौकरी
address शांतिनगर, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सिम्पलेक्स इं0 एंड फाउंडरी वर्क्स, भिलाई में मैनेजर (कार्मिक) के पद पर कार्यरत हूं। मैं इससे पहले सिम्पलेक्स ग्रुप ऑफ इं0 के कार्मिक विभाग के इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा था। सिम्पलेक्स इं0 एंड फा0 वर्क्स लि0 के डॉयरेक्टरों में से एक डायरेक्टर अभियुक्त मूलचंद शाह थे। मिस्टर भट्टाचार्य अभियुक्त मूलचंद शाह के निजी सहायक थे। प्रदर्श पी-282 मेरी लिखावट में है। यह दस्तावेज उमाशंकर राय एवं भारतभूषण पांडे के बारे में है। ये दोनों सिम्पलेक्स इं0 एंड फा0 वर्क्स लि0 के ठेकेदार के श्रमिक थे। यह दस्तावेज मैंने भट्टाचार्य के कहने पर बनाया था। भट्टाचार्य ने मुझे टेलीफोन पर यह कहा था कि पुलिस वाले ये जानकारी मांग रहे हैं, इसलिये मैंने यह दस्तावेज बनाया और भट्टाचार्य को दिया था। प्रदर्श पी-116 के दस्तावेज अभियुक्त मूलचंद शाह की लिखावट में है। प्रदर्श पी-260 अभियुक्त मूलचंद शाह की लिखावट में है और उसके नीचे अ से अ भाग पर अभियुक्त मूलचंद शाह के ही हस्ताक्षर हैं। पी-282

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

2. यह बात सही है कि भट्टाचार्य ने यह कहा था कि इन दोनों श्रमिकों के विरुद्ध पुलिस की जांच चल रही है, इसलिये इन लोगों के पते चाहिये।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

4. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया। 30-1-96

(टी0के0 झा)

मेरे निर्देशन पर टंकित। 30-1-96

(टी0के0 झा)
वि0 अति0 सत्र न्यायाधीश दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि 9/2/96 प्रमा.

एक्स० 722/96 ST 233/92

GRPI-153-7 Lakhs-8-92 II-157 C.J.

Witness No. 100 for अभियोजन
description taken the day of 30-1-96 Witness's apparent age 40 वर्ष

States on affirmation my name is राधेश्याम
son of श्री पूजन यादव occupation भट्ठे का काम
address लुहठही बाजार, जिला-देवरिया ।उ0प्र0।

शपथपूर्वक :-

1. रामप्रकाश का ईंटा भट्ठा रामनगर जिला-देवरिया ।उ0प्र0। में है । मैं उस ईंटा भट्ठा में मुंशी का काम करता हूं । रामप्रकाश का मकान रामनगर में है और उसके ईंट का भट्ठा ग्राम सभा शिवपुर, टोला गणेशपुर, जिला-देवरिया ।उ0प्र0। में है । मेरे अलावा उस ईंटा भट्ठा में एक रामजीत यादव नाम का भी मुंशी काम करता था । मुंशी की हैसियत से मेरा काम ईंटा बेचना तथा अन्य बहुत सारे कार्य थे । जो लोग यह कहते थे कि ईंटा उनके कार्यस्थल पर पहुंचा दिया जाये उनसे हम लोग ईंट का मूल्य और वाहन के परिवहन का खर्चा लेते थे । जो लोग अपने साधन से ईंटा ले जाना चाहते हैं उनसे सिर्फ ईंट का मूल्य लिया करते थे । हमारे मालिक के पास ईंटा को ढुलाने के लिये ट्रैक्टर-ट्राली था । जो लोग हमसे ईंटा ले जाना चाहते थे उनसे हमलोग उसका मूल्य ले लेते थे और जो लोग उधारी में ईंटा ले जाना चाहते थे वे मालिक से बात करते थे । जिसको हम लोग पैसा लेकर ईंटा बेचते थे उसका हिसाब रखते थे और उसका रजिस्टर रखते थे । हम लोग हिसाब प्रतिदिन लिखते थे । मैं आज हिसाब का रजिस्टर आज अपने साथ लेकर आया हूं ।

2. दिनांक 4-10-91 को ग्राम निबही के रहने वाले नोखई को 4,000 ईंट बेचे गये थे । नोखई का सरनेम मैं नहीं बता सकता । मैं जो रजिस्टर लाया हूं उसमें भी नोखई का सरनेम नहीं लिखा है । निबही गांव हमारे भट्ठे से करीब 4 कि0मी0 दूर है । 4,000 ईंट का दाम 2,920/- रूपये जमा किया गया था । पैसा नगद दिया गया था ।

3. जो ईंटा बेचा गया था उसे हमारे ट्रैक्टर-ट्राली से भेजा गया था । ईंटा लेने के लिये मेरे सरीक दो दुबले-पतले लड़के आये थे । साक्षी ने करीब डेढ़-दो मिनट सोचकर यह कहा कि पलटन या ऐसा कुछ नाम बताया था । पैसा पलटन ने ही दिया था । चूंकि काफी समय हो चुका है और ईंटा लेने वाले क्षण भर के लिये आते हैं, इसलिये उन्हें पहचान पाना बड़ा मुश्किल है । 30-1-96

4. साक्षी ने अभियुक्त पलटन को देखकर यह बताया कि जो ईंटा लेने आया था उसका शक्ल थोड़ा-थोड़ा इसके जैसे है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

5. यह बात सही है कि जिस दिन से मैंने ईंटा बेचा था उस दिन से लेकर आज तक दो-चार अन्य व्यक्तियों के साथ मिलाकर अभियुक्त की पहचान मुझसे नहीं कराई गई है । यह बात सही है कि आज जिस व्यक्ति की शक्लथोड़ी-थोड़ी ईंटा लेने वाले व्यक्ति से मिलती है उसके दोनों ओर पुलिस वाले बैठे हुये हैं । यह बात सही है कि मैं आज जिस रजिस्टर को देखकर बयान दे रहा हूं उस रजिस्टर को पुलिस वालों ने मुझसे जप्त नहीं किया था । देवरिया से मैं अकेले आया हूं । मुझे कोई पुलिस वाला लेकर नहीं आया है । मैं देवरिया से बनारस, वहां से जबलपुर, जबलपुर से इटारसी और नागपुर होते हुये ट्रेन से दुर्ग आया हूं । यह कोई जरूरी नहीं है कि रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम लिखें, जो पैसा देता है । कोई व्यक्ति स्वयं अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से या अपने पिता के नाम से भी लिखा देता है । हमने पूछा कि ईंटा किसके नाम से दिया जायेगा तो खरीदने वाले ने कहा कि नोखई के नाम से ईंटा दिया जायेगा ।

6. खरीदने वाले का नाम पलटन है यह बात मुझे पुलिस वाले ने नहीं बताया था । जब हम लोग रजिस्टर में खरीदने वाले का नाम पूछे तो उसने संभवतः जहां तक मुझे याद है उसने अपना नाम पलटन बताया, फिर कहा कि नोखई के नाम से ईंटा देना । बाद में सी0बी0आई0 वाले मेरे पास आयेथे, मुझसे पूछताछ कियेथे और मेरा रजिस्टरभी देखे थे । मैंने सी0बी0आई0 वालों को यह बताया था कि खरीदने वाले ने पहले अपना नाम पलटन बताया, फिर बाद में नोखई के नाम से लिखवाया । यह बात यदि प्रदर्श डी-39 में न लिखा हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता । डी-39 वह व्यक्ति उससे पहले कभी हमारे भट्ठे में ईंटा खरीदने नहीं आया था । उस दिन के पहले मैंने उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा है । जबपुलिस पूछताछ करने के लिये आई थी तो मुझे सिर्फ एक फोटो दिखाया था ।

7. जो दूसरा आदमी आया था उसका हुलिया मैं नहीं बता सकता । उसे मैं नहीं पहचानता । हमने ईंट को मालिक के ट्रेक्टर से भिजवाया था । ट्रेक्टर को ड्रायव्हर चलाता है । ड्रायव्हर का नाम मुनीन्द्र है । वह शर्मा ।नाई। जाति का था । वह स्थायी रूप से ईंटभट्ठे में काम नहीं करता था, 30/1/96

गवाह नं0:- 100 अभियोजन की तरफ से

यह बात सही है कि जबसी0बी0आई0 वाले हमारे ईंट भट्ठे में आये थे तो उस समय ड्राइवर मुनीन्द्र शर्मा ईंट भट्ठे का काम नहीं करता था, किंतु वह ग्राम रामनगर में मौजूद था । रामनगर वही गांव है, जहां हमारे मालिक भी रहते हैं । हमारे ईंट भट्ठे से मालिक का गांव करीब दो-ढाई कि0मी0 दूर है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अ0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

8. सन् 91 से लगातार भट्ठा चालू है । यह बात सही है कि अक्टूबर 91 के बाद नवम्बर, दिसम्बर और बाद में भी बिक्री का काम जारी रहा । पूरे सीजन के बिक्री का हिसाब रजिस्टर में किया जाता है । ईंट का मौसम सामान्यतः अक्टूबर से चालू होता है और बरसात आने के पहले तक अर्थात् जून महीने तक चलता है । यह बात सही है कि प्रदर्श डी-40 के रजिस्टर में नोखई मल्लाह को ईंटा बेचा जाना बताया गया है उसके बाद डी-40 एक पन्ने में बिक्रीका इंद्राज है उसके बाद के सभी पन्ने खाली हैं । जिस-जिस तारीख को जिस-जिस प्रकार बिक्री होता जाता था वैसा मैं रजिस्टर में इंद्राज करते जाता था । प्रदर्श डी-40 का रजिस्टर खाता है । रोज-रोज बिक्री का रजिस्टर अलग है, जिसे मैं लेकर आया हूं । यह बात सही है कि प्रदर्श डी-40 के रजिस्टर में दिनांक 4-10-91 के पूर्व में 10-10-91, 14-10-91 को श्री मंगरूविश्वकर्मा, साकिन रामनगर को ईंटा बेचने का इंद्राज है । यह इंद्राज नोखई मल्लाह को दिनांक 4-10-91 के पहले वाले पन्नों में है । एक ट्राली में करीब 2,000 ईंटा आता है । एक तारीख में एक व्यक्ति को ट्राली में जो ईंटा भेजा जाता है उसको सामान्यतः ट्रिपवाईस नोट नहीं किया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा ट्रिप ईंट भेजने हों इस बीच में यदि ट्रिप उस व्यक्ति को न भेजकर किसी अन्य व्यक्ति कोभेज दिया जाये तो पूर्व में भेजे गये ट्रिप को अलग से नोट कर लिया जाता है ।

9. चूंकि निबही गांव हमारे भट्ठे से करीब 4 कि0मी0 दूर है इसलिये मैंने उसगांव को देखा है । निबही गांव से लगा हुआ कोई ~~नहीं है~~ नदी नहीं है । जब नदी नहीं है तो घाट नहीं~~है~~है~~कहना~~ यह कहना गलत है कि जब पुलिस वाले या सी0बी0आई0 वाले ~~हमारे पास पूछताछ के लिये आयेथे तो रजिस्टर~~ नहीं था । यह कहना गलत है कि हमने पुलिस वालों के कहने पर रजिस्टर बनाया है ।

30-1-96

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

10. मुझे यह तारीख याद नहीं है जब सी०बी०आई० वाले मेरा बयान लेने आये थे । सी०बी०आई० ने मुझसे पूछताछ 2-3 बार किया है । सी०बी०आई० वालों ने जब पहली बार पूछताछ कियेथे तब मुझे फोटो दिखाये थे । जब सी०बी०आई० वालों ने फोटो दिखाया और पूछताछ कियाथा तो मेरा बयान लिखे थे । मुझे आज ध्यान में नहीं है कि बाद में 2-3 बार पूछताछ की गई उसका बयान सी०बी०आई० वालों ने लिखे या नहीं । यह बात सही है कि सी०बी०आई० वालों ने मुझे जो फोटो दिखायाथा वह मुझे आज न्यायालय में नहीं दिखाया गया है । दोनों लड़के जो ईंटा लेने के लिये आये थे मुश्किल से 5-7 मिनट भट्ठे में रुके थे और उसके बाद तुरंत चले गये । उस भट्ठे में मैं करीब 12 वर्षों से काम कर रहा हूं । दिनांक 4-10-91 को जो दो लड़के ईंटा लेने के लिये आयेथे मेरी याददाश्त के अनुसार वे लड़के न तो पहले और न ही बाद में कभी आयेथे। मुझे जो समंस मिलाथा उसमें रजिस्टर लाने के लिये लिखा गया है ।

11. यह बात सही है कि समंस मेंयह लिखा था कि दिनांक 4-10-91 को पलटन ने जो ईंटा खरीदा है उससे संबंधित रजिस्टर न्यायालय में लाना है । यह बात सही है कि दिनांक 4-10-91 को प्रदर्श डी-40 के रजिस्टर में पलटन के नाम से ईंटा खरीदने का कोई इंद्राज नहीं है ।

पुन: परीक्षण :-

12. प्रदर्श डी-40 में मंगतू विश्वकर्मा के नाम की इंद्राज पहले 29-9-91, फिर 2-10-91, फिर 10-10-91 की है, फिर 14-10-91 की है । मैंने फोटो देखकर नहीं पहचानाथा ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

13. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबली एवं बलदेव.

14. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

15. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

sd/- 30.1.96 (टी०के०झा) द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

sd/- 30.1.96 (टी०के०झा) द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

EXCA 722/96 SP·233/92 200

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.J.

Witness No. 101 for अभियोजन description taken the ... day of 30-1-96 Witness's apparent age 26 साल

States on affirmation my name is यशवंत धोटे son of स्वर्गीय श्री एस0आर0धोटे occupation प्रत्रकार अमर-किरण address 26/2-सी/8, भिलाईनगर.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 89 से दैनिक समाचार-पत्र "अमर-किरण" में सिटी रिपोर्टर के रूप में कार्य कर रहा हूं। कोई संस्था या व्यक्ति का अगर कोई प्रेस नोट आता है तो उसे छापा जाता है और अन्य समाचार रिपोर्टर व्दारा दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। प्रदर्श पी-283 का समाचार हमारे समाचार-पत्र में ही छपा था। यह समाचार मुक्ति मोर्चा के प्रेस नोट के आधार पर छापा गया है। पी-283

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

2. यह बात सही है कि प्रदर्श पी-283 का समाचार छ0मु0मोर्चा के प्रेस नोट के आधार पर छापा गया था और यह प्रेस नोट के साथ में प्रदर्श पी-21 का पॉम्पलेट भी अटैच था। यह बात सही है कि प्रेस नोट और पॉम्पलेट मुझे छ0मु0मोर्चा वाले देते थे और उसके आधार पर मैं समाचार प्रकाशित करता था। प्रदर्श पी-21 के पॉम्पलेट में यह लिखा था कि -"कैलाशपति केडिया के ठेकेदार एवं उनके गुंडों ने उमाशंकर राय को चाकू एवं रॉड से मारकर अधमरा कर दिये हैं।" मैंने जो समाचार प्रकाशित किया है वह प्रेस नोट एवं पॉम्पलेट में यह लिखे जाने के आधार पर छापा था कि घटना के समय थाना जामुल के नगर-निरीक्षक मौके पर उपस्थित थे।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

4. कुछ नहीं।

सत्यप्रतिलिपि

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

20.1.96

(टी0के0झा) व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

(टी0के0झा) व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.

EXCB 722/96

ST 233/92

GRPI-153-7 Lakhs-8-92

II-157
C.J.

Witness No. 102 for अभियोजन
description taken the day of 30-1-96 Witness's apparent age 30 साल

States on affirmation my name is कमालुद्दीन
son of श्री अलाउद्दीन occupation टैम्पो हेल्परी
address कैम्प-1, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 1988-89 से 4 वर्षों तक चंद्रा-मौर्या टॉकीज, भिलाई के सायकिल स्टैंड में काम करता था । उस समय ठेकेदार राजप्पन था । सन् 91 में अक्टूबर महीने में अभियुक्त अवधेश रॉय के नाम से सायकल स्टैंड का ठेका लिया गया । जब अभियुक्त अवधेश रॉय के नाम से ठेका लिया गया तो उसके बाद 2-3 महीने तक मैंने उस सायकल स्टैंड में काम किया था । मुझे ठेकेदार राजप्पन के कार्यकाल में 300/- रूपये मासिक वेतन मिलता था और अभियुक्त अवधेश रॉय के कार्यकाल में 500/- रूपये मासिक वेतन मिलता था ।

2. सायकल स्टैंड से जो आमदनी होती थी उसे बैंक में सिंडीकेट बैंक में जमा किया जाता था । सिंडीकेट बैंक चंद्रा-मौर्या टॉकीज, भिलाई से लगा हुआ है 10 अक्टूबर 91 के पहले अभियुक्त बलदेव पैसे को बैंक में जमा किया करता था, उसके बाद 12 एवं 15 अक्टूबर 91 को सायकल स्टैंड के पैसे को मैंने बैंक में जमा किया था । पैसे को मैंने अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के खाते में जमा किया था । मुझे सायकल स्टैंड के पेटी से यह पर्ची मिली थी कि पैसे को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के खाते में जमा कर दिया जाये । उसी पर्ची के आधार पर मैंने अकाउंट नंबर के आधार पर जो पर्ची में लिखा था बैंक में पैसा जमा कर दिया था । जिस समय मैंने बैंक में पैसा जमा किया उस समय अभियुक्त बलदेव नहीं था । प्रदर्श पी-219 के पर्ची में नाम, खाता नंबर और रकम मेरे ही लिखावट में भरा गया है । इसमें मैंने 1,100/- रूपये जमा किये थे । इस पर्ची के पीछे जमा की जाने वाली रकम का विवरण मैंने लिखा है ।

3. प्रदर्श पी-220 की पर्ची भी मेरे लिखावट में है, जिसके अनुसार मैंने दिनांक 15-10-91 को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश के खाते में 2,700/- रूपये जमा किया है । इस स्लिप के पीछे मैंने जमा की जाने वाली रकम का विवरण लिखा है । मैं अभियुक्त बलदेव की लिखावट से परीचित हूं । दिनांक 10-10-91 को 1,500/- रूपये प्रदर्श पी-218 की पर्ची द्वारा बैंक में जमा किया गया है । यह

30-1-96

पर्ची अभियुक्त बलदेव की लिखावट में है । मैंने प्रदर्श पी-218 की पर्ची में लिखे अकाउंट नंबर के आधार पर ही प्रदर्श पी-219 एवं 220 की पर्ची के द्वारा बैंक में रकम जमा किया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह

4. यह बात सही है कि मैंने जो रकम जमा कराया था वह सायकल स्टैंड की आमदनी का पैसा था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । | मेरे निर्देशन पर टंकित ।

टी0के0झा		टी0के0झा
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग म0प्र0	दुर्ग म0प्र0

सत्यप्रतिलिपि
9/2/96
प्रभारी प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

9.2.96 9.2.96 9.2.96 9.2.96 9.2.96 12.2.96

EXCO 722196 SD 233192

4

GRPII-153-7 Lakhs-8-92.

II-157
C.J.

Witness No: 103 for अभियोजन

description taken the day of 30-1-96 Witness's apparent age 32 वर्ष

States on affirmation my name is कोदूराम

son of श्री समयलाल occupation किसानी

address मॉडल टाउन जुनवानी, थाना सुपेला.

शपथपूर्वक :-

1. अभी मैं मॉडल टाउन जुनवानी में खेती-किसानी का काम करता हूं। मैं खेती सूरजमल जैन की भूमि पर कर रहा हूं। मैं सूरजमल सेठ के यहां करीब 18-20 वर्षों से काम कर रहा हूं।

2. मैं अभियुक्त चंद्रकांत शाह को जानता हूं। करीब 4-5 साल पहले जब अभियुक्त चंद्रकांत शाह नेहरूनगर के मकान में रहने के लिये गये तो मुझे सूरज सेठ ने कहा कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह के पास कोई आदमी नहीं है, मैं वहां जाकर दूध लाने का, कुत्ते को घुमाने का और अन्य काम कर दिया करूं। मैं करीब 2 वर्षों तक अभि० चंद्रकांत शाह के यहां काम किया। मैं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को नहीं जानता।

3. मुझे बाद में पता चला था कि श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या हो गई है। महादेव अभियुक्त चंद्रकांत शाह का ड्रायव्हर था। मुझे अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने कहा था कि ड्रायव्हर महादेव से यह कह देना कि हरे रंग की जो बड़ी गाड़ी आई है उसे सूरज सेठ के खेत में रख दे। मुझे वह तारीख याद नहीं है जब यह बात अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने मुझे कहा था। अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने यह बात मुझे शंकर गुहा नियोगी के हत्या के करीब 8-10 दिन बाद कहा था। महादेव ड्रायव्हर ने उस गाड़ी को सूरज सेठ के खेत में खड़ी करके चला गया था।

4. मैं इमामुद्दीन को जानता हूं। इमामुद्दीन ने बोला कि बड़ी वाली गाड़ी को अभियुक्त चंद्रकांत शाह लेकर चला गया है और छोटी वाली गाड़ी को गैरेज के अंदर रखवाने के लिये बोले हैं। गैरेज सूरज सेठ के खेत में था।

5. अभियुक्त चंद्रकांत शाह आज न्यायालय में उपस्थित है। ऐसी बात नहीं है कि जिस दिन (रात में) नियोगी जी की हत्या हुई थी उसके सुबह अभियुक्त ज्ञानप्रकाश ~~तथा~~ अभियुक्त चंद्रकांत शाह के घर के बरामदे में बैठा हो। मैंने यह नहीं देखा कि अभियुक्त चंद्रकांत शाह ने 50-50 के नोटों की गड्डी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को दिया हो।

30.1.96

6. सी0बी0आई0 वालों ने मेरा बयान लिया था । मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श पी-284 का अ से अ का बयान ।मैंने - - - दिया था।नहीं दिया था । साक्षी स्वत: कहता है कि सी0बी0आई0 वालों ने पी-284 उसके साथ मारपीट किया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

20.1.96

। टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि
9/2/96
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

7.2.96
12.2.96
9.2.96
7.2.96
9.2.96
9.2.96
9.2.96
9/2/96

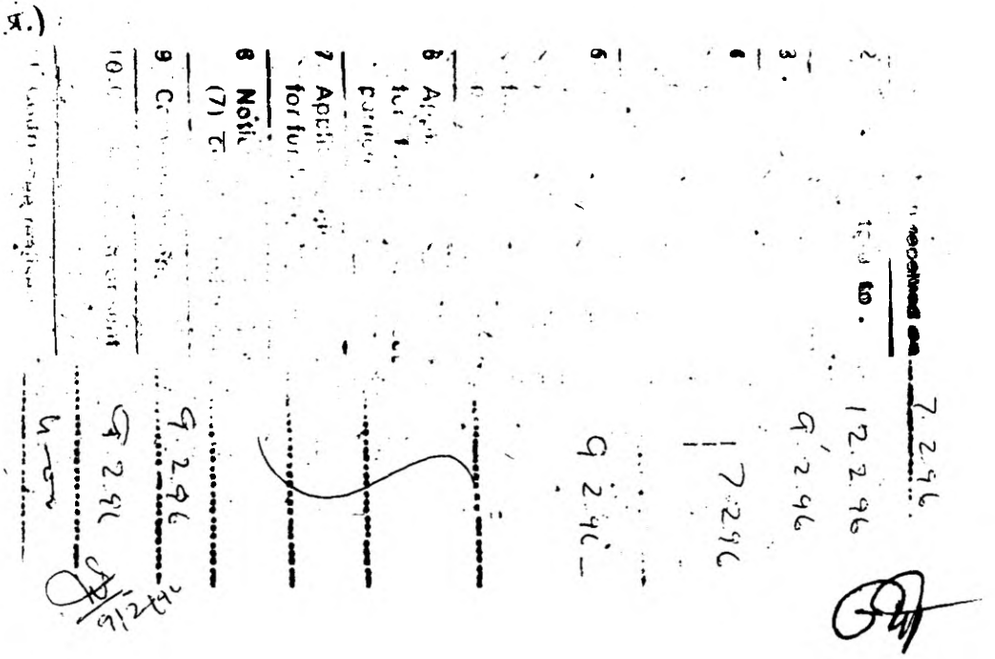

EXCA. 722/96

ST. 233/92

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.J.

सत्र प्र०क्र०- 233/92

Witness No..107......for..अभियोजन..............................
description taken the.........day of 2-2-96
apparent age..30 वर्ष.........Witness's

States on affirmation my name is..अनिल कुमार जैन
son of..श्री स्वरूपचंद जैन
address..सेo-6,. एवेन्यू-5जी, भिलाईनगर.......occupation..पानठेला...

शपथपूर्वक :-

1. आज से करीब 4 साल पहले पुलिस अधिकारी अग्रवाल मुझे सेo-4 ले गये थे । स्ट्रीट नंबर मुझे मालूम नहीं है । मकान में ले गये थे, जिसका नंबर मुझे नहीं मालूम । पुलिस वाले ने उस मकान की छानबीन किये । वहां नेपाल का एक नोट और एक की रिंग मिलीथी, जिसे पुलिस वालों ने जप्त कियाथा । जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-287 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उस मकान में एक महिलाथी, पी-287 जिसका नाममैं नहीं जानता ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

3. यह बातसही है कि ऐसे नोट रास्ते में पड़े हुये मिल जाते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति उठाकर रख भी लेता है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश अवधेश, अभय, प्रदं बहशू एवं बलदेव.

4. मैंने इससे पहले कभी भी कोई नेपाली नोट नहीं देखाथा । मैं नहीं बतासकता कि वह नोट नकली था या असलीथा । ऐसाभी हो सकता है कि उस औरत को पड़ा हुआ मिला हो और वह रख ली होगी । मैं कमरे के अंदर तक गयाथा । वहां कमरे की आलमारी को चेक किया गयाथा । यह सही है कि जप्ती-पत्र में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम । मुझे पुलिसवालों ने कहा कि हस्ताक्षर कर दो तो मैंने कर दिया ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

5. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । 2/2/96

मेरे निर्देशन पर टंकित । 2/2/96

सत्यप्रतिलिपि
2/2/96

EXCA. 722/96 SD. 233/92 2

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C.J.

सत्र प्र०क्र०- 233/92

Witness No. 108 for अभियोजन description taken the .... day of .... Witness's apparent age 30 वर्ष

States on affirmation my name is विजय कुमार शर्मा son of श्री रामप्रसाद शर्मा occupation नगर सैनिक address ग्राम मोहदी, जिला-दुर्ग.

शपथपूर्वक :-

1. दिनांक 30-9-91 को उप-निरीक्षक आर०के० मिश्रा ने बोतल में रखी हुई गोलियां, चमड़ी और बिस्तरा वगैरह थाने में पेश किया था । डी०एस०पी० अग्रवाल ने इन वस्तुओं को जप्त किया था, जिसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी- 179 है, जिस पर ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

4. बोतलें सीलबंद थी, अंदर की वस्तुयें दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिये मैं नहीं बता सकता कि अंदर क्या वस्तुयें थी ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

5. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्य-प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

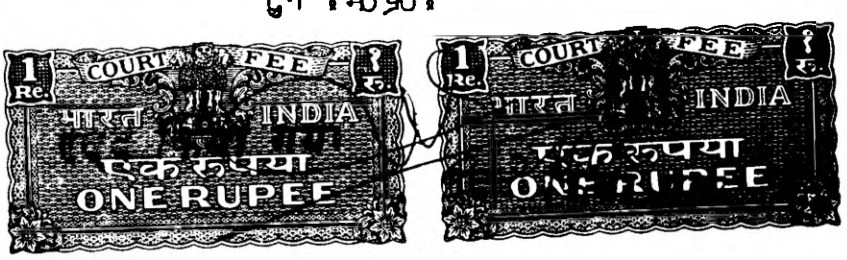

एम0सी0सी0आर0नं0
961/96

प्रतिलिपि पृष्ठ 1 से 123 तक जो कि श्री के.के. सेन, तत्कालीन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. [illegible] मिश्रा उर्फ भानू आ0 छोटकन,
   साकिन- [illegible] बस्ती, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामनारायण राय,
   साकिन- [illegible] 79, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोखाई मल्लाह,
   साकिन- [illegible] थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, एल0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह सेठ्ठू आ0 रावेल सिंह सेठ्ठू
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्त

Sanjay

आरहत / क्रि - अहिल्याबाई प्रौद

CAN 781/91

109 अभियोजन

19-2-96

46 वर्ष

~~सि~~ ~~विजयकर~~ [signature]

स्वर्गीय श्री लालमोहनकर
सेo-2, भिलाई.

बीoएसoपीo सर्विस

शपथपूर्वक :-

1. मेरी ड्यूटी क्वार्टर का मेन्टनेंस और जिस कर्मचारी को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा क्वार्टर आबंटित किया गया है उसको क्वार्टर का कब्जा देना है। मैं कर्मचारियों के द्वारा बीoएसoपीo के क्वार्टर का हैंडिंगओव्हर और टेकिंगओव्हर कराता हूं। मैं आज अपने साथ दुखितराम का क्वार्टर एलाटमेंट आदेश एवं आकूपेशन प्रतिवेदन साथ लेकर आया हूं। बीoएसoपीoकर्मचारी हेल्पर दुखितराम को दिनांक 9-2-88 को क्वार्टर नंo- 7ए स्ट्रीट नंo-5, सेo-4 भिलाई आबंटित किया गया था। दुखितराम ने उपरोक्त आबंटित क्वार्टर का कब्जा दिनांक 18-2-88 को लिया था।

2. मैं आज अपने साथ जो आकूपेशन प्रतिवेदन और कब्जा रिपोर्ट लाया हूं उसकी फोटोकापी न्यायालय में पेश है, जिसे मिलान कर सत्यापित किया है। मूल आबंटन रिपोर्ट प्रदर्श पी-288 है और इसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी-288 अ है। कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श पी-289 है और इसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी-289ए है। प्रदर्श पी-288ए एवं 289ए के अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। फोटोकापी से मिलान करने के बाद प्रदर्श पी-288 एवं पी-289 साक्षी को लौटाया गया। पी-288 288ए पी-289 289ए

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री एमoजीoशर्मा, अधिo वास्ते अभिo मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधिo वास्ते अभिo ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अजय, चंद्रकांत एवं वासुदेव.

4. मैं सन् 88 में उस सेक्शन में काम नहीं करता था, जहां वर्तमान समय में कर रहा हूं। आबंटन आदेश या कब्जा रिपोर्ट मेरे सामने जारी नहीं किये गये थे। यह बात सही है कि यदि कोई कर्मचारी क्वार्टर खाली करता है तो वह सेरेन्डर रिपोर्ट भी देता है, जिसे वेकेशन रिपोर्ट कहते हैं। यह बात सही है कि मेरे पास क्वार्टर नंo-7ए का आज वेकेशन रिपोर्ट नहीं है। मैं रिकार्ड देखे बगैर

आज यह नहीं कह सकता कि दुखितराम का वेकेशन रिपोर्ट कार्यालय में है या नहीं । मैं यह भी नहीं बता सकता कि दुखितराम ने क्वार्टर खाली किया है या नहीं । यह बात सही है कि हमारे कार्यालय में स्ट्रीट वाइस फाईल रहता है मैं उसी फाईल से ही आज प्रदर्श पा-288 और 289 का रिपोर्ट लेकर आया हूं । वेकेशन रिपोर्ट की फाईल अलग रहती है । यह बात सही है कि हमारे कार्यालय में एक ऐसा भी चार्ट होता है जो दर्शाता है कि कितने क्वार्टर खाली हैं । वर्तमान में मैं उस कार्यालय में कार्य नहीं करता हूं । अभी तक उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि दुखितराम को ही वह क्वार्टर एलाट किया गया था, किंतु मैं यह नहीं कह सकता कि उस क्वार्टर में दुखितराम रहता है या नहीं ।

5. यह बात सही है कि अगर जिस व्यक्ति को क्वार्टर आबंटित किया जाता है, यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति को क्वार्टर दे देता है तो यह नियमों के विरुद्ध होता है । ऐसे मामलों में संपदा विभाग संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करता है । जुलाई 91 से जनवरी 96 तक क्वार्टर नं0-7ए स्ट्रीट-5, से0-4 भिलाईनगर के संबंध में अवैध रूप से दूसरे व्यक्ति को कब्जा देने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं मालूम कि उस क्वार्टर में कौन रहता है, किंतु अभिलेख के अनुसार उस क्वार्टर में दुखितराम ही रह रहा होगा ।

Application received on 24.2.96

Applicant told to appear on 4.3.96

24.3.96

24.2.96

24.2.96

24.3.96

24.3.96

24/3/96

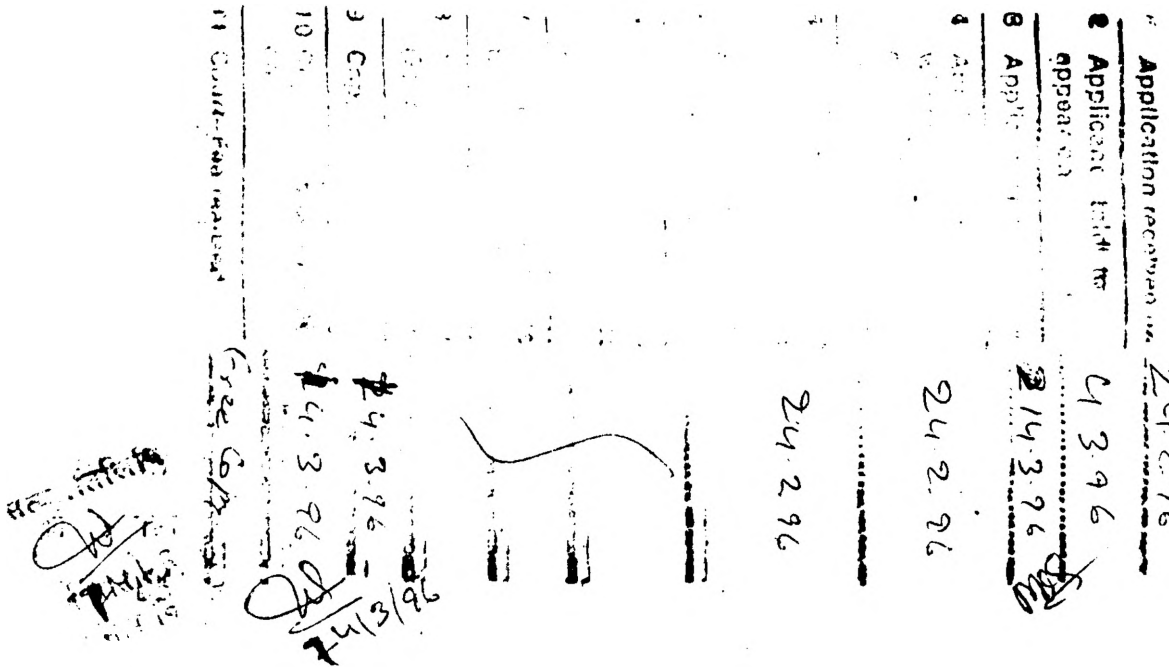

आसान 1 रे म.प्र.शासन-श्री मार्गी

(क्र.98/96)

110 अभियोजन

45 वर्ष 19-2-96

स्वर्गीय मनोहरराव सुरेन्द्रकुमार
दुर्ग. बी0एस0पी0 सर्विस

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 88 में से0-2 में सेक्शन ऑफिसर के पद पर था । मैं वहां सन् 94 तक रहा । मेरी ड्यूटी यह थी कि भिलाई इस्पात संयंत्र के जिन कर्मचारियों को क्वार्टर एलाट हुआ है उनसे ऑकूपेशन रिपोर्ट लेना और जो कर्मचारी खाली किये हैं उनसे वेकेशन रिपोर्ट लेना था । दिनांक 29-10-88 को क्वार्टर नं0-29सी , सड़क नं0-16, से0-2 ।एवन टाईप। आर0आशीतराम को आबंटित किया गया था । आर0आशीतराम के कब्जे का रिपोर्ट दिनांक 11-11-88 का है । मैंने मूल रिपोर्ट के आधार पर प्रदर्श पी-290 और 291 को प्रमाणित किया था । इन पर पी-290, 291 अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं । ये दोनों दस्तावेज मूल आदेशों की फोटो प्रतियां हैं । उभय पक्षों को उक्त दोनों फोटोकापियों को साक्ष्य में प्रदर्शित करने में कोई भी आपत्ति नहीं है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री एम0जी0शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अशोक, अभय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

3. आबंटन आदेश के अनुसार दिनांक 11-11-88 को मैंने आर0 आशीतराम को ही क्वार्टर नं0- 29सी, सड़क नं0-16, से0-2 का कब्जा दिया था । सन् 94 तक उक्त क्वार्टर में आर0आशीतराम ही रह रहे थे ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अ.अभियुक्त पलटन.

5. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया । मेरे निर्देश पर टंकित ।

।टी0के0झा। ।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0। दुर्ग ।म0प्र0।

14/3/96

आरान सिंह ...

C.Am...

112

अभियोजन

54 वर्ष 19-2-96

स्वर्गीय श्री साधु सिंह
हुडको,

तारा सिंह

बी०एस० पी० सर्विस

शपथपूर्वक :-

1. मैं बी०एस०पी० में चार्जमैन के पद पर कार्य करता हूं । मैं जनवरी 1990 से एम०आई०जी०-1/942 में रह रहा हूं । उससे पूर्व मैं से०-4 के सड़क नं०-5 के क्वार्टर नं०-7ए में रहता था । मैं उस क्वार्टर में सन् 1972 से लेकर सन् 1988 के अंतत तक रहा था । मुझे कुछ बड़े क्वार्टर की आवश्यकता थी तो मैंने उस समय बी०के० शर्मा क्वार्टर नं०- 3डी सड़क नं०-7, से०-4 से निवेदन किया कि वह क्वार्टर मुझे दे दे, क्योंकि वे सेवानिवृत्त होने वाले थे । बी०के०शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे साल-डेढ़ साल तक उस क्वार्टर में रहेंगे और उसके बाद ही छोड़ेंगे । मैं शर्मा के इस बात पर सहमत हो गया कि वे जब क्वार्टर छोड़ेंगे तब मैं उसमें चला जाऊंगा । मैंने क्वार्टर नं०-3डी को रिक्त करने की शर्त के आधीन अपने नाम पर आबंटित करा लिया ।

2. मैं जो क्वार्टर नं०-7ए में रहता था, स्ट्रीट -5 में रहता था वह क्वार्टर मेरे अधीनस्थ काम करने वाले हेल्पर दुखितराम के नाम पर आबंटित हो गया । दुखितराम उस समय ग्राम डूमरडीह में रहा करता था, वह आज भी डूमरडीह में रहता है । दुखितराम क्वार्टर नं०-7ए में पेपर कब्जा ले लिया, किंतु वह वास्तव में क्वार्टर में एक दिन भी नहीं रहा । मैं नवम्बर- दिस० 1988 में क्वार्टर नं०-7ए को छोड़कर 3डी में चला गया ।

3. मेरे एक वरिष्ठ एवं मित्र टीकमदास पांडे का हुडको में मकान के लिये नंबर आ गया । मैंने टीकमदास से निवेदन किया कि हुडको का क्वार्टर आपके नाम पर रहेगा और पैसा मैं देता रहूंगा । मैं जनवरी 90 में क्वार्टर नंबर-एम० आई०जी०-1/942 में क्वार्टर नं०-3डी स्ट्रीट-7, से०-4 को छोड़कर आ गया । टीकमदास पांडे उस समय क्वार्टर नं०- 29सी, सड़क नं०-16, से०-2 में रहते थे । मैं जब क्वार्टर नं०-7ए को छोड़कर क्वार्टर नं०-3डी में आ गया तो मेरे बाद उस क्वार्टर में ।क्वार्टर नं०-7ए। में रामआशीषराय आ गये । टीकमदास पांडे को जब हुडको का क्वार्टर एलाट हो गया तो उन्होंने अपना क्वार्टर नं०-29सी रामआशीषराय को एलाट करवा दिया ।

4. क्वार्टर नं0-29सी में वस्तुतः टीकमदास पांडे ही रहते थे। 1992 तक टीकमदास पांडे क्वार्टर नं0-29सी में ही रहे। वे सन् 92 में सेवा निवृत्त होकर उ0प्र0 चले गये, उसके बाद उस क्वार्टर में रामआशीषराय ने कब्जा किया। वर्तमान समय में रामआशीषराय क्वार्टर नं0-29सी में रही रहते हैं। मैं रामआशीषराय को 28-29 वर्षों से जान रहा हूं, मैं और वे कैम्प में साथ रहते थे। मैं रामआशीषराय के लड़के अनुपम अवधेश राय को जानता हूं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

6. यह बात सही है कि सन् 98 में क्वार्टर नं0-29सी सेक्टर-2 रामआशीषराय को ही एलाट हुआ था। रामआशीषराय वर्तमान समय में उसी क्वार्टर नं0-29सी में ही रहता है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

नोट :- श्री पटेरिया, अधि0 ने आवेदन पेश किया, जिसका निराकरण आदेश-पत्र में किया जायेगा।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

7. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0झा)	(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

नोट :- साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

शपथपूर्वक :- मैंने बी0एस0पी0 को इस बात की सूचना नहीं दिया था कि क्वार्टर में बी0के0शर्मा रह रहे हैं, जो मेरे नाम से एलाट है।

आरोपी (र) ...

नं0-111 अभियोजन की

क्वार्टर नं0- उडी में बी0के0शर्मा सन् 88 के अक्टूबर-नवम्बर महीने तक रहे थे। उसके बाद उस क्वार्टर में मैं रहने लगा। मैं जब रहने लगा तो शर्मा जी क्वार्टर छोड़कर चले गये थे।

8. सी0बी0आई0 वालों ने मेरा बयान लिया था। मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श डी-43 का अ से अ का बयान ।और - - - रहता रहा। नहीं डी-43 दिया था। यह बात सही है कि शर्त यह थी कि क्वार्टर मेरे नाम से एलाट हो जाने के बावजूद भी उस क्वार्टर में शर्मा जी साल-डेढ़ साल रहेंगे। मुझे सन् 87 में क्वार्टर एलाट हुआ, किंतु शर्मा जी इसी कारण उस क्वार्टर में सन् 88 तक रहे थे। यह कहना गलत है कि बी0के0शर्मा के सेवा निवृत्त हो जाने के बाद सन् 88 में मैंने वह क्वार्टर एलाट करवाया था। मैंने प्रदर्श डी-43 का ब से ब । रिटायर हो गये - - - - कहा। नहीं दिया था।

9. दुखितराम को क्वार्टर नं0-7ए सन् 1987 में एलाट हुआ था। अब साक्षी कहता है कि यह नहीं हो सकता है कि फरवरी 88 में दुखितराम को क्वार्टर एलाट हुआ हो। हो सकता है कि मैंने सन् 87 गलत बताया हो। यह बात सही है कि दुखितराम के नाम से क्वार्टर एलाट हो जाने के बावजूद भी मैं ही उस क्वार्टर में रहता था। दुखितराम इस मकान में कभी नहीं आया। मैंने बी0एस0पी0 को कभी इस बात की सूचना नहीं दिया कि जिस व्यक्ति के नाम क्वार्टर एलाट है वह नहीं रह रहा है, बल्कि दूसरा व्यक्ति रह रहा है। चूंकि बी0एस0पी0 की तरफ से इस तरह के कार्य के लिये कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की जाती, इसलिये हम लोग इसे सरलता से लेते हैं। हर कार्य के लिये आवश्यक नहीं है कि अगर गंभीर कार्यवाही न की जाये तो उसे सरलता से लिया जाये। यह बात सही है कि दुखितराम के क्वार्टर में मैंने दूसरे आदमी को रखवा दिया था। यह बात सही है कि बी0एस0पी0 के क्वार्टर का किराया देना पड़ता है। क्वार्टर नं0ए7 का मासिक किराया 12/- रुपये था और बिजली का किराया अलग से देना पड़ता था। मैं दुखितराम को 150/- रुपये महीना किराया देता था। यह कहना गलत है कि मैं दुखितराम को नाजायज फायदा दिलवा रहा था। जिस कर्मचारी को क्वार्टर आवंटित नहीं होता उसे बी0एस0पी0 क्वार्टर एलाउंस देती थी। क्वार्टर जिस व्यक्ति को मिलता है उसे उस क्वार्टर का बिजली बिल देना पड़ता है, जो वेतन से ही कटता है। इस तरह

दुखितराम को करीब ।25/- रुपये से कम नहीं बनता था । यह बात सही है कि दुखितराम को क्वार्टर एलाउंस मिलना बंद हो गया था । यह बात सही है कि दुखितराम क्वार्टर किराया ।2/- रुपये और बिजली का बिल पटाने के लिये ही जिम्मेदार था ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
।टी0के0शा।	।टी0के0शा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।	दुर्ग ।म0प्र0।

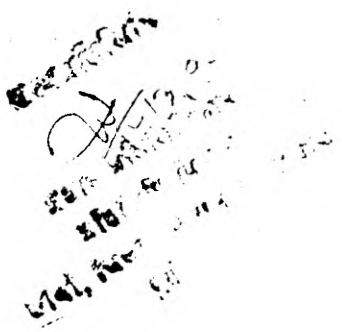

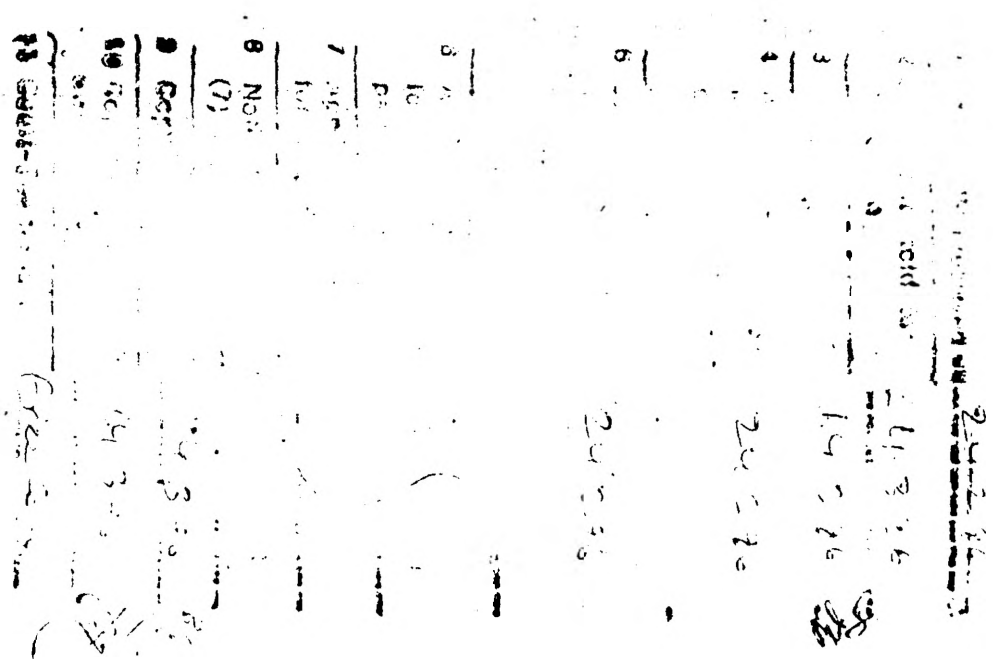

आश्यां सि न्यायालय शाह-कोर्ट

Copy

112 अभियोजन

26 साल 19-2-96

स्वर्गीय श्री एस0 अप्पाराव
एस0 आई0 जी0 8 49 /हुडको.

एस0 व्यंकटेश्वराव
पान दुकान

शपथपूर्वक :-

1. मेरी पान दुकान एम0 आई0 जी0 -1/849 हुडको भिलाई में है। यह पान दुकान करीब 7-8 वर्षों से है। मेरे पान दुकान का नाम बाबा पान भंडार है। मेरी पान दुकान आराम चौक में है।

2. मैं मृतक शंकर गुहा नियोगी को जानता था। वे नेता थे। उनका कार्यालय हुडको में था, किंतु क्वार्टर नंबर मुझे याद नहीं है। नियोगी जी के बारे में पूछने के लिये मेरे दुकान में लोग आते रहते थे, क्योंकि वे नेता था। यह बात सही है कि दिसम्बर 91 में सी0 बी0 आई0 के अधिकारी मेरे पास आये थे। सी0 बी0 आई0 वाले मुझसे पूछताछ किये और मुझे विशाखापटनम हॉस्टल, भिलाई ले गये थे। मुझे सी0 बी0 आई0 वालों ने कुछ फोटो दिखाये थे। मुझे जो तस्वीरें दिखाई गई थी, उनके बारे में मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं पहचानता। मैंने किसी तस्वीर को देखकर यह नहीं कहा कि यह व्यक्ति मेरी दुकान में मोटरसायकिल लेकर आया करता था।

प्र0 :- मैं आपको न्यायालय में उपस्थित उस व्यक्ति को दिखाना चाहता हूं, जिसके बारे में आप बतायें कि वह आपकी दुकान में आता था या नहीं।

अभियुक्तों की ओर से यह आपत्ति की गई कि यह प्रश्न प्रति-परीक्षण की प्रकृति का है। अतः जब तक इस साक्षी को प्रतिकूल घोषित न कर दिया जाये, तब तक इस तरह के प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। विशेष लोक अभियोजक ने यह बताया कि वे इस प्रश्न के उत्तर के बाद ही यह तय कर सकेंगे कि इस साक्षी को प्रतिकूल घोषित किया जाये या नहीं। अभियुक्त चंद्रकांत शाह के अधिवक्ता श्री पटेरिया ने यह दलील दिये हैं कि सिर्फ एक अभियुक्त को न्यायालय में साक्षी द्वारा पहचान कराया जाना न्यायसंगत नहीं है, चूंकि विशेष लोक अभियोजक ने यह बताया है कि इस प्रश्न के उत्तर के बाद वे यह तय कर सकेंगे कि इस साक्षी को प्रतिकूल घोषित किया जाये या नहीं, ऐसी दशा में उन्हें यह प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है, आपत्तियां निरस्त की जाती है।

उत्तर :- साक्षी को अभियुक्त पलटन को दिखाया गया। वह कहता है कि इस अभियुक्त की तस्वीर उसे सी0 बी0 आई0 वालों ने दिखाया था या नहीं उसे याद नहीं है।

मैंने उक्त अभियुक्त को फोटो में नहीं पहचाना था ।

नोट :- विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

3. यह कहना गलत है कि मैंने 3 फोटो में से अभियुक्त पलटन की फोटो को पहचाना था । यह कहना भी गलत है कि मैंने सी0बी0आई0 वालों को यह बताया था कि यह अभियुक्त नियोगी जी की हत्या के 4-5 दिन पहले लाल रंग की हुण्डी मोटरसायकिल में मेरे पान दुकान में आकर नियोगी जी के बारे में पूछा था और मैंने उसे नियोगी जी के ऑफिस का पता बताया था और घर का पता नहीं बताया था, उसके बारे में कहा था कि मालूम नहीं है ।

4. यह बात नहीं है कि नियोगी जी की हत्या के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि नियोगी जी का कार्यालय हुडको में एम0आई0जी0-273 में लगता था । मैंने सी0बी0आई0 वालों को प्रदर्श पी-292 का अ से अ का बयान पी-292 (टूडे - - - - - - - हुडको) नहीं दिया था । यह कहना गलत है कि उसके बाद भी उक्त अभियुक्त मेरे पान दुकान के सामने से 4-5 बार गुजरा था । मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श पी-292 का ब से ब का (आई - - - - - 4-5 टाईम्स) नहीं दिया था । मैंने प्रदर्श पी-292 का स से स (वन्स - - - फ्रैंड्स) नहीं दिया था ।

5. मेरा पान दुकान एम0आई0जी0-1 हुडको में है । एम0आई0जी0-2 मेरी दुकान से पश्चिम की तरफ है । मेरी पान दुकान से नियोगी जी का ऑफिस 5-700 कदम दूर है । मैंने सी0बी0आई0 को यह नहीं बताया था कि यदि अभियुक्त मेरे सामने आयेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा । मैंने प्रदर्श पी-292 का द से द (आई कैन - - - - - बीफोर मी) का नहीं दिया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शर्मा, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं कन्हैया.

7. मैंने अपने बयान में दस्तखत किया था । प्रदर्श पी-292 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं । मैंने अंग्रेजी में बयान नहीं दिया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

8. कुछ नहीं

C

112 अभियोजन की

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री तिवारी, अधि०</u> वास्ते अभियुक्त पलटन.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी०के० झा। ।टी०के० झा।

द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग ।म०प्र०। दुर्ग ।म०प्र०।

CBI-40/96

113 अभियोजन

46 वर्ष 20-2-96

श्री पी0 टी0 प्यो
भिलाई इस्पात संयंत्र
प्रगतिनगर, रिसाली.

ए0 टी0 प्यो

बी0एस0 पी0 में
मैनेजर, सिविलियन विभाग

शपथपूर्वक :-

1. मनु 91 मैं आर0एन0 द्विवेदी मेरे साथ डिप्टी मैनेजर सिविलियन के पद पर कार्यरत थे 4-11 नवम्बर 91 को सी0बी0आई0 वालों ने मुझे और आर0एन0 द्विवेदी को अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर कैम्प-1, भिलाई में बुलवाये थे । सी0बी0आई0 वालों ने हमारे सामने वहां तलाशी लिया । सी0बी0आई0 वालों ने तलाशी रिपोर्ट तैयार किया और उसमें पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाये । तलाशी दोपहर के 12.15 से शाम के 4.45 तक लियेथे । उस समय ज्ञानप्रकाश के घर में उसके परिवार के सदस्य उसकी मां और बहनें थी । अभियुक्त ज्ञानप्रकाश वहां नहीं था । तलाशी रिपोर्ट प्रदर्श पी-293 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मेरे सामने पी-293 ब से ब भाग पर आर0एन0 द्विवेदी ने हस्ताक्षर किये हैं । सी0बी0आई0 अधिकारियों ने भी इस पर अपने हस्ताक्षर किये थे । तलाशी रिपोर्ट में बुटकन का अंगूठा निशानी लिया गया है । तलाशी रिपोर्ट की कापी बुटकन को दिया गया है । बुटकन ने मेरे सामने ही इस पर दो/अंगूठा लगाया था । स से स और द से द भाग पर मेरे सामने ही बुटकन ने अपना अंगूठा लगाया था । जो दस्तावेज जप्त किये गये थे उसकी सूची प्रदर्श पी-294 जो 3 पेजों में है। के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर पी-294 और ब से ब भाग पर द्विवेदी के हस्ताक्षर हैं ।

2. प्रदर्श पी-294 पुलिस महा निरीक्षक को लिखे गये पत्र की कार्बन कापी है । न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-295 है, इसके पी-295 अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ब से ब भाग द्विवेदी के हस्ताक्षर प्रत्येक पेज पर हैं । प्रदर्श पी- 161 से 169 के फोटो के पीछे भाग पर अ से अ भाग पर मेरे और ब से ब भाग पर आर0एन0 द्विवेदी ने हस्ताक्षर कियेथे ।

3. मनु 91 मैं एन0 गोगिया भिलाई इस्पात संयंत्र में जूनियर मैनेजर फाइनेंस थे । दिनांक 12-11-91 को मुझे और एन0 गोगिया को सी0बी0आई0 वालों ने ओसवाल हॉ0, इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई में बुलायेथे । जब हम लोग वहां के कार्यालय में गये तो एक आदमी मिला, जिसके बारे में बताया गया कि वह वहां का मैनेजर है । सी0बी0आई0 वालों ने वहांभी तलाशी लिया ।

तलाशी में जो वस्तुयें मिली उनकी सूची बनाई गई । सर्च लिस्ट प्रदर्श पी- 196 है, जो 2 पेजों में है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे और स से स भाग परएस0गोगिया के हस्ताक्षर हैं । ओसवाल एं0 में जो व्यक्ति उपस्थित था उसे सर्च लिस्ट की कापी दी गई थी और उसेसपावती ली गई थी । तलाशी सूची पर सी0बी0 आई0 अधिकारियोंने भी अपने हस्ताक्षर कियेथे । तलाशी में क्या मिला था मुझे याद नहीं है । उसका उल्लेख तलाशी सूची में है । वहां से जो पत्र मिलाथा वह प्रदर्श पी-296 है । इसके अ से अ भागपर मेरे और ब से बभाग पर गोगिया के पी-296 हस्ताक्षर हैं ।

4. दिनांक 15-12-91 को सी0बी0आई0 वालों ने मुझे और एस0 सासमल को बुलवाये थे । एस0सासमल बी0एस0पी0 में वरि0 तकनीशियन थे । आकाशगंगा में सी0बी0आई0 वालों ने तलाशी लिये । आकाशगंगा के उस ऑफिस का नाम आज मुझे याद नहीं है, मैं सर्च लिस्ट देखकर बता सकता हूं कि किस ऑफिस की तलाशी ली गई थी । साक्षी को सर्च लिस्ट प्रदर्श पी-297 दिखाया पी-297 गया । साक्षी ने सर्च लिस्ट देखकर बताया कि जैविन शाह एंड कंपनी की तलाशी ली गई थी । वहां ओसवाल एं0 का कोई आदमी उपस्थित था, जिसका नाम मुझे याद नहीं है । जो तलाशी ली गई थी उसकी सूची बनाई गई । प्रदर्श पी-297 के अ से अ भाग पर मेरे और ब से ब भाग पर एस0सासमल के हस्ताक्षर हैं । सर्च लिस्ट में सी0बी0आई0 अधिकारियों ने भी हस्ताक्षर कियेथे । ओसवाल एं0 को जो आदमी वहां उपस्थितथा उसने भी हस्ताक्षर कियाथा ।वहां कागज के फटे हुये टुकड़े भी मिले थे, जिसे गोंद से चिपकाया गया था । प्रदर्श पी-298 पी-298 कागज का वह टुकड़ा है, जो वहां मिलाथा और जिसे चिपकाया गया है । ये अलग टुकड़े थे । इन टुकड़ों के पीछे अ से अभाग पर मैंने और ब से बभाग पर एस0सासमल ने हस्ताक्षर किये थे ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0</u> वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह

5. यह बात सही है कि इन 3 तलाशियों के अतिरिक्त भी मैं सी0बी0 आई0 के कुछ और तलाशियों में गयाथा । यह बात सही है कि मैं सी0बी0आई0 के 10-12 तलाशियों में गयाथा । मुझे आज याददाश्त के आधार पर यह याद नहीं है कि ये कागज के टुकड़े प्रदर्श पी-298 पेपर में लपेटे हुयेथे या नहीं थे ।

आर.ए.ने. रि. नं. ... 9/5

मं0:- 113 अभियोजन

मैं सर्च लिस्ट देखकर ही बता सकता हूं कि ये कागज के टुकड़े कहां परथे। ये कागज के टुकड़े आलमारी या टेबल पर नहीं थे, बल्कि जहां तक मुझे याद है जमीन परथे। मुझे याद नहीं है कि ये कागज केटुकड़े लिपटे हुयेथे या जमीन पर बिखरेथे। जिस कमरे की तलाशी ली गई थी उसका आकार करीब 10 फीट x10 फीट होना चाहिये। वह कमरा 4 फीटx10 फीट का नहीं होगा। मुझे आज याद आ नहीं रहा है कि जहां तलाशी ली गई थी वहां एक बड़ा कमरा था, जिसके अंदर एक छोटा केबिन था, जिसके अंदर से कागज के टुकड़े जप्त किये गयेथे। कमरे के अंदर तलाशी लेने के लिये हम लोगऔर सी0बी0आई0 वाले सभी गयेथे। यह कहना गलत है कि हम लोग जिस कमरे में तलाशी लेने के लिये गयेथे वह हम लोगों की उपस्थिति के कारण परा भर गया था। मुझे आज याद नहीं है कि तलाशी के स्थान पर एक कमरा था और उस कमरे के अंदर कांच की पार्टिशन का केबिन था। मैं आज याददाश्त के आधार पर नहीं बता सकता कि जो कागज की जप्तीहुई थी वह कमरे से नहीं, बल्कि कांच के पार्टिशन वाले केबिन से हुई थी। मैं यह नहीं कह सकता कि केबिन में जो कांच लगा है उससे केबिन के अंदर से बाहर का कमरा दिखता है, किंतु कमरे से केबिन के अंदर नहीं दिखता है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-297 के सर्च लिस्ट पर अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर नीले रंग के डाटपेन से है। यह बात भी सही है कि साक्षी सासमल का हस्ताक्षर भी नीले रंग के डाटपेन से है।

6. यह बात सही है कि प्रदर्श पी-297 के सर्च लिस्ट में हमारे एवं किसीभी पुलिस अधिकारी की लिखावट लाल रंग की स्याही से नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-298 के टुकड़े के पीछे हर हिस्से पर लाल रंग की स्याही से लिखावट है। यह बात सही है कि जिस कमरे से तलाशी करि दस्तावेज बरामद किये गये हैं वह बाजार वाला क्षेत्र है। जिस कमरे की तलाशी ली गई उसी विंग में लगे हुये कम-से-कम 8-10 दुकानें और हैं। आकाशगंगा परिसर में 100 से भी अधिक दुकानें होंगी। ये दुकानें बड़ी-बड़ी दुकानें हैं।

7. आकाशगंगा में हम लोग तलाशी लेने के लिये दोपहर में 11-12.00 बजे पहुंचे थे। सही समय मैं सर्च लिस्ट देखकर बता सकता हूं। उस समय परिसर की सभी दुकानें खुलीरही होंगी। मेरे खयाल से तलाशी के दौरान आसपास के दुकान में से किसीभी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि तलाशी के दौरान आसपास के लोगों को बुलाना चाहिये या नहीं।

8. मैंने सी0बी0आई0 वालों को सुझाव नहीं दिया कि आसपास के दुकान वालों को बुला लिया जाये। मुझे ध्यान में नहीं है कि तलाशी वाले कमरे में कितने टेबल, कुर्सियां और आलमारी थी। उस कमरे में 2 टेबल और 2-4 कुर्सियां थी। मुझे ध्यान नहीं है कि उस कमरे में कोई आलमारी थी या नहीं थी। मुझे ध्यान नहीं है कि तलाशी के दौरान आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गये थे या नहीं। कमरे के अंदर नहीं आये थे। सर्च लिस्ट उसी कमरे में बनाई गई थी। जैसे-जैसे सामान उठाते गये वैसे-वैसे सर्च लिस्ट नहीं बनाया गया, बल्कि सामान उठाने के बाद सर्च लिस्ट अंत में बनाया गया। मैं ठीक-ठीक यह नहीं बता पाउंगा कि लिफाफे टेबल पर या दराज से मिले थे और उसी टेबल पर सर्च लिस्ट तैयार की गई थी या नहीं। मुझे याद नहीं है कि जितने भी/लिफाफे ग्रीटिंग कार्ड रखे थे वे सब टेबल पर ही मिले थे। मैं सर्च लिस्ट देखकर ही सब बात बता सकता हूं। मुख्य परीक्षण के दौरान मैंने सर्च लिस्ट को सरसरी तौर पर देखा था, उसके अंतर्वस्तु को नहीं पढ़ पाया था। यह बात सही है कि सर्च लिस्ट में कागज के टुकड़ों की जप्ती सबसे अंत में बताई गई है। यह आयटम नंबर-4 है। यह बात सही है कि आयटम नंबर 1 से 3 लिफाफे और ग्रीटिंग कार्ड सर्च लिस्ट के सामने वाले पेज पर हैं तथा कागज के टुकड़े आयटम नं0-4 सर्च लिस्ट के पीछे वाले भाग पर है। सर्च लिस्ट में सी0बी0आई0 वालों ने दोनों पेज का उपयोग किया है और यह संयोग है कि आयटम नंबर-4 की जप्ती पीछे में बताया गया है। यह बात सही है कि सर्च लिस्ट के पीछे भाग में सिर्फ कागज के टुकड़ों की जप्ती बताई गई है। यह बात भी सही है कि सर्च लिस्ट में सामने पृष्ठ पर आयटम नंबर 1 से 3 स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह बात सही है कि आयटम नंबर 1 से 3 में कोई ओवरराइटिंग नहीं है और स्पष्ट हैं। आयटम नंबर 4 के सीरियल नंबर 4 को थोड़ा गाढ़ा किया गया है। यह बात सही है कि आयटम नंबर 4 का सीरियल नंबर 4 उसके पूर्व के अंकों से थोड़ा बड़ा है। साक्षी को मैग्नीफाईंग ग्लास से सीरियल नंबर 4 दिखाया गया। वह कहता है कि वह यह नहीं कह सकता कि इस अंक में 3 चिंह्न अलग से दिख रहे हैं या नहीं, इसके बारे में वह कुछ नहीं कह सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि जो 4 अंक बनाया गया है उसे पहले एक लिखने का प्रयास किया गया था और बाद में 4 बनाया गया है। यह बात सही है कि क्रमांक 1, 2, 3 को अर्द्धकोष्ठक से घेरा गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि क्रमांक-4 पहले क्रमांक एक और अर्द्धकोष्ठक था,

आराम सिंह ... द्वारा

जिसे बाद में 4 बनाकरे धनुषाकार बनाया गया है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-298 के कागज के टुकड़ों के पीछे राजेश शाह के हस्ताक्षर नहीं हैं।

9. मुझे मेरे अधिकारी ने यह कहा कि सी0बी0आई0 वालों ने बुलाया है। यह बात मुझे सुबह 8-9.00 बजे बताई गई थी। इस सूचना के आधार पर मैं सी0बी0आई0 वालों के पास गया, जो बी0एस0पी0 का हॉस्टल है, जहां सी0बी0आई0 वाले ठहरे थे। मैं यह नहीं बता सकता कि हॉस्टल से कितने बजे निकले थे। मैं यह सिर्फ कह सकता हूं कि हम लोग हॉस्टल से निकले और सीधे आकाशगंगा पहुंचकर तलाशी आरंभ किये।

10. मुझे आज याद नहीं है कि हम लोग जब आकाशगंगा पहुंचे तो राजेश शाह को बुलवाया गया या वह पहले से मौजूद था। मुझे जहां तक याद है सी0बी0आई0 वालों ने सर्च वारंट दिखाया था। मैं सर्च वारंट को पूरा नहीं पढ़ा था, इसलिये नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा था। मेरे ख्याल से आकाशगंगा हमारे पहुंचने के पहले सी0बी0आई0 का कोई अधिकारी वहां नहीं खड़ा था। यह बात सही है कि जिस ऑफिस की तलाशी ली गई थी वह जैन एंड शाह एंड कंपनी का ऑफिस था। मुझे नहीं मालूम कि जैन का मतलब सूरजमल जैन से ही था।

11. कमरे के अंदर जाने के पहले हम लोग बाहर करीब आधे घंटे खड़े रहे। मुझे आज याद नहीं है कि आधा घंटा बाहर क्यों लगा था। कमरा बंद था। कमरे में ताला लगा था। मैं नहीं कह सकता कि ताला कैसे खुला था। वहां पर ओसवाल इं0 का प्रतिनिधि भी था उसने संभवतः चाबी लगाकर ताला खोला था। साक्षी कहता है कि ओसवाल इं0 के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ताला खोला गया था। मुझे याद नहीं है कि 15-12-91 को अभियुक्तचंद्रकांत शाह पुलिस अभिरक्षा में था या नहीं। मुझे याद नहीं है कि पुलिस वालों ने या सी0बी0आई0 वालों ने अभि0 चंद्रकांत शाह को बुलाने की कोशिश किये या नहीं। मैं नहीं बता पाऊंगा सी0बी0आई0 वालों ने सूरजमल जैन को बुलाने की कोशिश किये या नहीं।

12. मुझे सी0बी0आई0 वालों ने यह नहीं बताये थे कि किस चीज की तलाशी के लिये जाना है, क्योंकि वे गोपनीयता बनाये रखते हैं। यह कहना गलत है कि वहां कोई कागज जप्त नहीं हुआ है और सर्च लिस्ट बनावटी है। यह कहना भी गलत है कि आयटम नंबर 4 की जप्ती नहीं हुई है। यह बात सही है कि जिस दिन तलाशी ली गई थी उसके महीने-15 दिन पूर्व

दीपावली-दशहरे का त्यौहार था । मैं यह नहीं कह पाऊंगा कि हिंदू लोग दीवाली के समय अपनी दुकान में पूजा करते हैं । यह बात सही है कि सामान्यतः दीपावली के समय दुकानों की साफ-सफाई की जाती है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अजय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

13. जिस दिन मुझे विशाखापटनम हॉस्टल बुलाया गया था उस दिन मैं अपने घर में ही था । एस०सासमल विजिलेंस में काम नहीं करते हैं । उनका विभाग मेरे विभाग से अलग है । मैं यह नहीं कह सकता कि एस०सासमल उस दिन ड्यूटी पर थे या नहीं थे । तलाशी के समय मैं सै०-4 में रहता था । सड़क नंबर-35 में रहता था । यह बात सही है कि उस समय एस०सासमल भी मेरे स्ट्रीट में रहते थे । मेरे ख्याल से एस०सासमल की ड्यूटी शिफ्ट अनुसार चलती होगी । ऐसी बात नहीं है कि सुबह जब 8-9.00 बजे मुझे बुलाया गया तो मैं एस०सासमल को भी अपने साथ विशाखापटनम हॉस्टल यह कहते हुये ले गया कि चलो यार एक जगह जाना है । मुझे आज याद नहीं है कि हॉस्टल पहले मैं पहुंचा या एस०सासमल पहुंचा था । चूंकि काफी दिन हो गया है, इसलिये मैं सर्च लिस्ट देखे बिना यह नहीं बता सकता कि किसके घर से क्या-क्या जप्त किया गया था । यह कहना गलत है कि मैं मौके पर कहीं भी नहीं गया और मुझसे हॉस्टल में हस्ताक्षर करवाया गया था । मैं एस०सासमल के साथ कभी काम नहीं किया हूं । यह बात सही है कि इस कार्यवाही के पूर्व मैंने एस०सासमल के हस्ताक्षर नहीं देखा हूं । साक्षी स्वतः कहता है कि एस०

14

गद

Application received on 24.2.76
Applicant told to 14.3.76
24.2.76
24.2.76
14.3.76
14.3.76

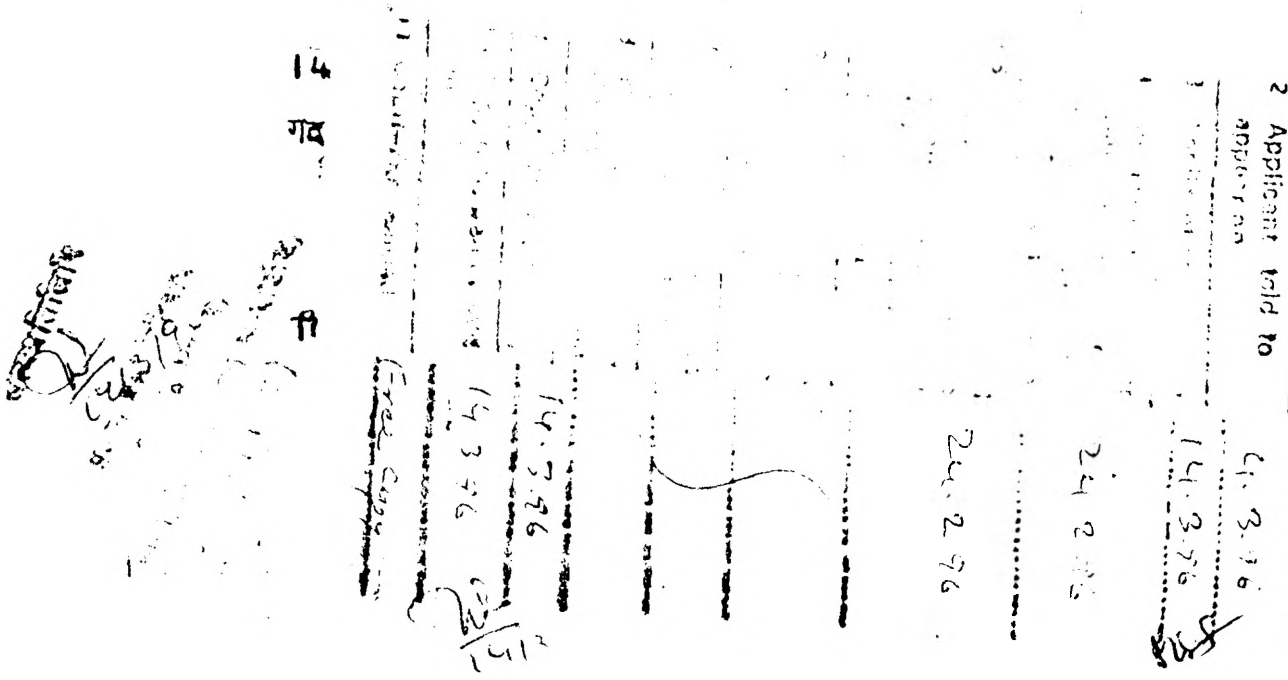

आसा... ...मूलचंदशाह ...

114 अभियोजन

56 वर्ष 20-2-96

डी0आर0गोरकर

श्री रायसिंह गोरकर बी0एस0पी0
हुडको, भिलाई. मैनेजरपर्सनल विभाग

शपथपूर्वक :-

1. मैं बी0एस0पी0 के कार्मिक विभाग में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। उस समय पी0एस0नायर बी0एस0पी0 के सतर्कता विभाग में कार्य करते थे। मुझे मेरे अधिकारी ने कहा कि सी0बी0आई0 वालों के साथ जाना है। मैं दिनांक 19-11-91 को सी0बी0आई0 वालों के साथ सिम्पलेक्स इं0 एंड का0वर्क्स ऑफिस भिलाई के ऑफिस (इं0 स्टेट) में गया। हम लोग दोपहर के करीब 2.00 बजे वहां पहुंचे। हम लोग वहां करीब 4.30 तक रहे। हमारे सामने सी0बी0आई0 वालों ने कार्यालय की तलाशी लिये। जो चीजें मिली उसका सर्च लिस्ट बनाया गया। वहां अभियुक्त मूलचंद शाह उपस्थित था। जो सर्च लिस्ट तैयार किया गया उस पर मैंने, नायर ने, मूलचंद ने और सी0बी0आई0 वालों ने हस्ताक्षर कियेथे। सर्च लिस्ट प्रदर्श पी-299 पर अ से अपी-299 भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ब से बभाग पर पी0एस0नायर ने मेरे सामने हस्ताक्षर कियेथे। सर्च लिस्ट पर स से स अभियुक्त मूलचंद शाह ने हस्ताक्षर कियेथे। अभियुक्त मूलचंद ने द से दभाग पर सर्च लिस्ट की पावती के संबंध में हस्ताक्षर कियेथे। सी0बी0आई0 वालों ने भी मेरे सामने ही हस्ताक्षर कियेथे। वहां से जितने भी दस्तावेज जप्त किये गयेथे उन पर मैंने और नायर ने हस्ताक्षर कियेथे। वहां से जप्त न्यायालय के आदेश-पत्र की फोटोकापी प्रदर्श पी-300, , 301 के अ से अ भागों पर मेरे तथा पी-300 301 ब से ब भाग पर नायर के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-116 के भी अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-282 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ब से ब भाग पर नायर के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-302 के अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 भानुप्रकाश, अवधेश, अजय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

4. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० मलहन.

5. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

।टी०के०शा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी०के०शा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

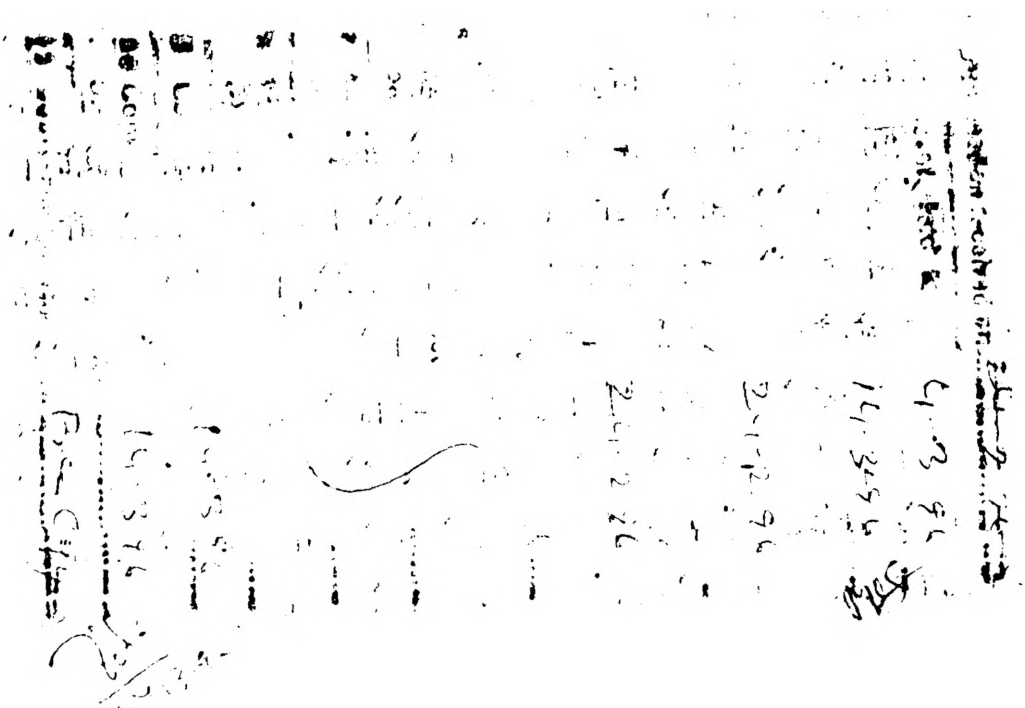

115 अभियोजन

20-2-96

26 साल

मोहनलाल

श्री पुखचरणराम मिस्त्री

घासीदासनगर, जामुल.

<u>शपथपूर्वक</u> :-

1. मैं घासीदासनगर के मुश्ताकखान को जानता हूं । मैं पानठेले में बैठा था तो सी0बी0आई0 वालों ने मुझे बुलाया । मुश्ताकखान उनके साथ पहले बैठा । सी0बी0आई0 वालों ने मुझे कहा कि इस पेपर पर हस्ताक्षर कर दो तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया । प्रदर्श पी-303 सर्च लिस्ट के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ब से बपी-303 भाग पर मुश्ताकखान के हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी-304, 305 के फोटोग्राफ के पीछे अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से बभाग पर मुश्ताकखान के हस्ताक्षर हैं । पी-304, 305

2. मैं अभियुक्त बलदेव सिंह संधू को नहीं जानता । मैं उसका घर नहीं जानता । यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त बलदेव सिंह के घर गया था और उसके घर से फोटो जप्त किया गया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0</u> वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री पटेरिया, अधि0</u> वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री यादव, अधि0</u> वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकेश एवं बलदेव.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री तिवारी, अधि0</u> वास्ते अभि0 पल्टन.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0झा) (टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0) दुर्ग (म0प्र0)

116 अभियोजन

27 पर्व 20-2-96

श्री गिरीशप्रसाद सिंह अक्षय कुमार
सिवाना बिहार होटल बंजारा, सिवान मैनेजर

शपथपूर्वक :-

1. हमारे होटल में 12 कमरे हैं। नंबर 101 से चालू होता है। जो यात्री आते हैं उसे अपने पसंद के अनुसार कमरे के चयन के अनुसार कमरा बुक कर दिया जाता है। बुकिंग रजिस्टर में किया जाता है। गेस्ट रजिस्टर शासन के नियमों के अनुसार रखा जाता है। रजिस्टर में एन्ट्री यात्री ही करते हैं। यात्री हस्ताक्षर भी करते हैं। यात्री जब जाने लगते हैं तो उन्हें कमरे का बिल दिया जाता है। बिल बाउंड बुक में ही बनाया जाता है। बिल की दो कापियां बनाई जाती है। ऊपर वाली कापी यात्री को दी जाता है और कार्बन कापी बिल बुक में ही रह जाती है। बिल कार्बन प्रोसेस से ही बनाया जाता है।

2. हमारे होटल में टेलीफोन भी है। हमारे फोन में एस0टी0डी0 की सुविधा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बाहर बात करना चाहता है तो टेलीफोन एक्सचेंज के जरिये उसे बात कराया जाता है। वर्तमान समय में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता, जिसमें इस बात का इंद्राज किया जाये कि यात्री ने बाहर फोन किया है, पहले ऐसा रजिस्टर रखा जाता था या नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता।

3. यह बात सही है कि दुर्ग के पुलिसवालों ने मेरे से हमारे होटल का गेस्ट रजिस्टर 90-91 का जप्त कियेथे। जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-306 है, जिसके अ पी-30 से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह बात सही है कि जप्ती-पत्र की नकल मुझे दी गई थी और उसके पावती के रूप में ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मुझसे पुलिस ने प्रदर्श पी-307 का रजिस्टर जप्त किया था। यह रजिस्टर 20-8-90 से 20-10-91 पी-[illegible] तक का लिखा है। यह रजिस्टर पेज नं0-1 से 95 तक लिखा है। यह रजिस्टर हमारे होटल का छपा हुआ है। मैं सन् 91 से इस होटल का मैनेजर हूं।

4. पहले होटल के मैनेजर मेरेभाई अजयकुमार सिंह थे। यह होटल सन् 89 में चालू हुआ था और अजयकुमार सिंह करीब एक-डेढ़ साल तक रहे। भूपेन्द्र कुमार हमारे होटल में कुछ समय के लिये रिसेप्शनिस्ट थे।

नोट :- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।   मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। टी0के0झा ।   । टी0के0झा ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,   द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0 ।   दुर्ग । म0प्र0 ।

नोट :- चायकाल पश्चात साक्षी को पुन: शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

5. मेरे भाई अजयकुमार सिंह मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं । उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर से मैं परीचित हूं । प्रदर्श पी-308 मेरे होटल का बिल बुक है, जो मुझसे जप्त किया गया था । बिल नंबर 1064 जिस की पी-308 कार्बन कापी है । इस बिल की लिखावट एवं कार्बन कापी मेरेभाई के हाथ के हैं, जिसके नीचे हस्ताक्षर अ से अ भाग पर मेरेभाई के हैं । बिल नंबर 1074 पर अ से अ भाग पर हस्ताक्षर मेरे भाई अजयकुमार सिंह के हैं तथा लिखावट भी उन्हीं के हैं । बिल नं0 1089 की लिखावट और अ से अ भाग पर हस्ताक्षर मेरे भाई अजयकुमार सिंह के हैं अथवा नहीं यह मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता । ~~इस बिल बुक के बिल नंबर 1103 की लिखावट और~~

6. प्रदर्श पी-309 भी हमारे होटल का बिल बुक है । पी-309 इस बिल बुक के बिल नंबर 1103 की लिखावट और हस्ताक्षर मेरेभाई के ~~हैं अथवा~~ नहीं हैं ।

7. प्रदर्श पी-310 हमारे होटल का पहले का टेलीफोन रजिस्टर पी-310 है । इस रजिस्टर के पेज नं0- 16 पर 12-10-90 से 19-11-90 तक की प्रविष्टियां मेरेभाई अजयकुमार सिंह की लिखावट में है । दिनांक 20-11-90 में दो प्रविष्टियां हैं, ऊपर वाली प्रविष्टि मेरेभाई के हाथ के हैं तथा नीचे वाली प्रविष्टि किसी अन्य व्यक्ति के हाथ की है । पेज नं0-17 पर 7-12-90 से 15-12-90 की प्रविष्टियां मेरेभाई की लिखावट में है । इसके ऊपर वाली प्रविष्टियां किसके हैं मैं नहीं बता सकता ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0</u> वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री यादव, अधि0</u> वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकान्त एवं बलदेव.

9. हमारे होटल में बिल बुक का बीच का पन्ना कोरा नहीं छोड़ा जाता है ।

10. यह बात सही है कि प्रदर्श पी-309 के बिल बुक के बिल नंबर 1114 के बाद 1116 काटा गया है और बीच का 1115 कोरा है । हो सकता है ऐसा दो कार्बन लगने की त्रुटि के कारण हुआ हो । इसी तरह बिल बुक प्रदर्श पी-308 के बिल नंबर 1056 के बाद 1058 काटा गया है और बीच का बिल नंबर 1057 कोरा है, यह भी दो कार्बन लगने की त्रुटि के कारण हुआ होगा । यदि बिल नंबर 1057 के ऊपर कार्बन रखकर सन 90 या पिछले किसी समय का बिल काटा जाये तो वह उसी समय का बन जायेगा । इसी तरह प्रदर्श पी-309 के बिल नंबर 1115 के ऊपर भी कार्बन रखकर काटा जाये तोवह भी उसी समय का बन जायेगा । यह कहना गलत है कि शासकीय अधिकारियों को उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी सुविधा अनुसार हम लोग पुरानी तिथि का बिल दे दिया करते हैं । यह कहनाभी गलत है कि इसी उद्देश्य से हम लोग कोरा बिल नंबर छोड़ते हैं । यह कहनाभी गलत है कि सी0बी0आई0 के कहने पर मैंने गलत बिल काट दिया है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री पटेलय्या, अधि0</u> वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

11. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री तिवारी, अधि0</u> वास्ते अभि0 पलटन.

12. कुछ नहीं ।

गवाहको पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन परटंकित ।

(टी0के0झा) (टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0) दुर्ग (म0प्र0)

15/3/90

आगरा व ... [illegible]

117 अभियोजन

22-2-96

30 वर्ष

डी० इंदरपाल

डी० पॉलस
चिराला, जिला-प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)

असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव
इं०

शपथपूर्वक :-

1. वर्तमान समय में मैं चिराला, जिला प्रकाशम (आ०प्र०) में सहायक कार्यपालन यंत्री के पद पर कार्य करता हूं । सन् 91 में मेरी पदस्थापना गुडूर, जिला-नेल्लोर में पदस्थ था । मजिस्ट्रेट में टॉलटैक्स रजिस्टर का फोटोकापी मैंने पेश कियाथा ।

2. दिसम्बर 91 में मैं नेशनल हाईवे सेक्शन में काम कर रहाथा । मैं आज अपने साथ मूल रजिस्टर लेकर आया हूं । यह रजिस्टर टॉलटैक्स नाके पर ही संधारित किया जाता है । रजिस्टर की प्रविष्टियां जब पूरी हो जाती है तो इसे कार्यालय भेज दिया जाता है । मैंने दिनांक 2-12-91 को इस रजिस्टर के पेज क्र०- 27 की फोटोकापी सी०बी०आई० वालों को पेश कियाथा । मैंने इस फोटो कापी को सत्यापित कियाथा । यह फोटोकापी प्रदर्श पी-311 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पेज क्र०- 27 दिनांक 13-10-91 का है, जिसमें दोपहर 2.00 बजे से लेकर रात के 10.00 बजे तक की प्रविष्टि की गई है । इस रजिस्टर के क्र०- 20 पर वाहन क्र०- एम०पी० 24बी-6622 की प्रविष्टि है । इसमें 2/- रुपये टैक्स लेने काभी इंद्राज है और अंतिम प्रविष्टि टैक्स की संग्रही रकम को दर्शाता है । मूल रजिस्टर के पेज क्र०- 27 को 311ए के रूप में प्रदर्शित किया गया और साक्षी को वापस लौटाया गया । पी-311

पी-311ए

3. प्रदर्श पी-311 को मुझसे जो जप्त किया गयाथा उसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-312 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ब से ब भाग परभी मेरे हस्ताक्षर हैं । जप्ती-पत्र की कापी मुझे दी गई थी । पी-312

4. टॉलटैक्स नाके पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी पदस्थ रहते हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकला एवं बलदेव.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० फलटन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

|टी०के०झा|
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग |म०प्र०|

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

|टी०के०झा|
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग |म०प्र०|

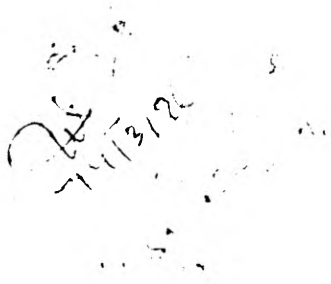

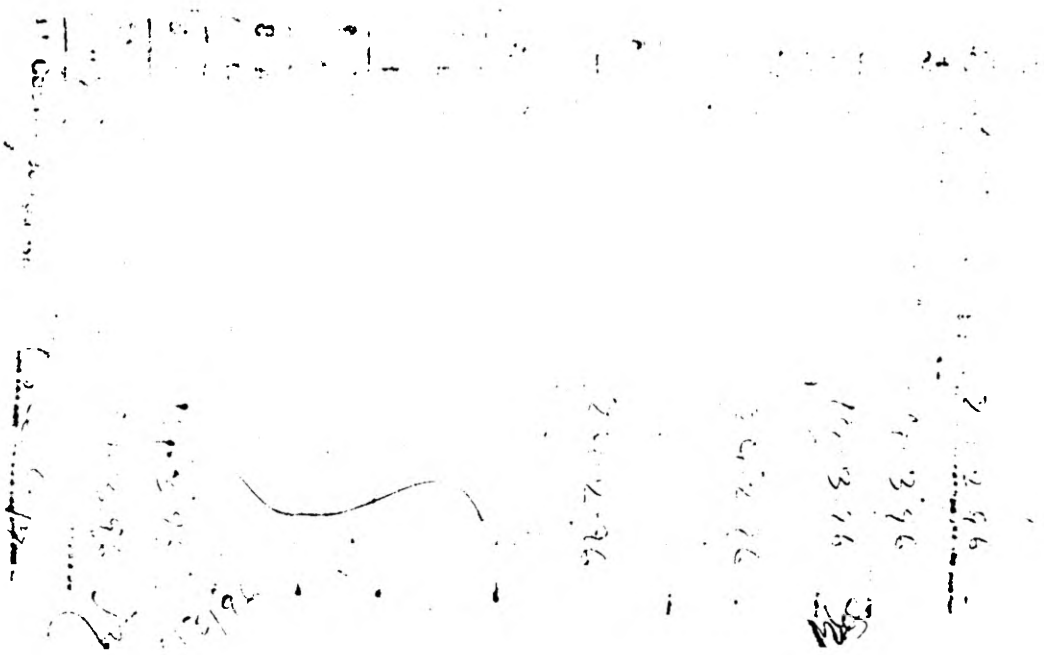

[illegible]

118 अभियोजन

54 वर्ष 22-2-96

पोलैय्या

श्री वेंकटैया वर्किंग इंस्पेक्टर

नेल्लूर जिला मनोबेलू ।आं0प्र0।

नोट :- यह साक्षी ठीक से हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानता । वह तेलगू समझता है । अतः तेलगू जानने वाले अधिवक्ता श्री पी0रविन्द्रम को उभय पक्षों की सहम. से अनुवादक नियुक्त किया जाता है । इस साक्षी को एवं अनुवादक दोनों को शपथ दिलाई गई ।

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 91 में मनोबेलू टोलटैक्स बेरियर पर वर्किंग इंस्पेक्टर पी0डब्लू0डी0 के पद पर पदस्थ था । वहां पर खंडनेलू नदी पर पुल बना हुआथा और उसी का टोलटैक्स बेरियर पर लिया जाताथा । मेरे सहायक एन0एम0आर0 बेरियर पर वाहन का पैसा लाकर मुझे देते थे और मैं उस वाहन का रसीद काटताथा । उस बेरियर पर कार का 24 घंटे के अंदर आने-जाने के लिये 3/- रूपये टैक्स लिया जाताथा, सिर्फ जाने का 2/- रूपये टैक्स लिया जाताथा । इसी तरह ट्रक या बस का 24 घंटे के अंदर उस पुल से पार करने के लिये आने-जाने का 9/- रूपये लिया जाताथा एवं सिर्फ एक बार पुल को पार करने का 6/- रूपयेटैक्स लिया जाताथा । उस बेरियर पर हमारे स्टॉफ 24 घंटे पदस्थ रहते थे । उस बेरियर पर आने-जाने वाले वाहनों के लिये रजिस्टर में इंद्राज किया जाताथा । वहां जो कर्मचारी पदस्थ रहते थे उनकी ड्यूटी प्रति 8 घंटे में बदलती थी । प्रदर्श पी-313 का रसीद मेरे व्दारा ही काटा गया है । इस रसीद में वाहनपी-313 वैन बताया गया है और इसका नंबर एम0पी024-बी-6622 बताया गया है । इस वाहन से 2/- रूपये का टैक्स लिया गया है । यह रसीद हमारे संभागीय कार्यालय से साल के अंतर्गत जारी किया जाता है । प्रदर्श पी-311ए के रजिस्टर के पेज क्र0-27 की प्रविष्टि मेरे व्दारा होकेगई है । इसके अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । इस पेज में दिनांक 13-10-91 के दोपहर 2.00 बजे से लेकर रात के 10.00 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की प्रविष्टि की गई है । उस दौरान मैं ही ड्यूटी परथा । प्रदर्श पी-311 -311ए के रजिस्टर की फोटोप्रति है । इसके अ से अभाग पर भी मेरे ही हस्ताक्षर हैं । रजिस्टर के पेज क्र0-27 185-614 से चालू होता है और 185-639 पर खत्म होता है । इस पेज के क्र0-20 पर जो वाहन की प्रविष्टि की गई है प्रदर्श पी-313 की रसीद उसी से संबंधित है । पेज क्र0-27 में वाहन के आगे टैक्स की वसूली की रकम लिखी है और अंतिम प्रविष्टि संबंधी रूप से टैक्स के रकम की है ।

2. बेरियर पर रसीद दो कापियों में बनाई जाती है । एक कापी वाहन वाले को दे दी जाती है और दूसरा कापी हमारे पास रहती है । प्रदर्श पी-313 मूल रसीद है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. बेरियर में 3 वर्किंग इंस्पेक्टर और 6 एन०एम०आर० ।मजदूर। पदस्थ रहते हैं । एक वर्किंग इंस्पेक्टर के हेल्पर 2एन०एम०आर० रहते हैं । उस बेरियर पर दो गेट हैं । एक गेट एक दिशा में जाने का है और दूसरा गेट दूसरी दिशा से वाहन आने का है । मैं केबिन के अंदर बैठता हूं । जो एन०एम०आर० होते हैं वे बेरियर का गेट खोलते और बंद करते हैं और वाहन का नंबर मुझे बताते हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अयु, अवधेश, चंद्रभूषण एवं बलदेव.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी०के०झा। ।टी०के०झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०। दुर्ग ।म०प्र०।

119 अभियोजन

22-2-96

38 वर्ष

पी0के0 विजयकुमार

स्वर्गीय श्री पी0 आर0के0 पाणीकर

चंद्रा-मौर्या टॉकीज

से0-1, स्ट्रीट-16 -12ए भिलाई.

मैनेजर

शपथपूर्वक :-

1. मैं मौर्या टॉकीज, भिलाई में सन् 82 से काम कर रहा हूं। वर्तमान समय में मैं मैनेजर के पद पर पदस्थ हूं। मैं 1991 से मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा हूं। मौर्या टॉकीज के मालिक कैलाशपति केडिया, सुनील अग्रवाल, कुलदीपकुमार गुप्ता एवं विजय कुमार गुप्ता हैं। इस टॉकीज का कार्य कभी सुनील अग्रवाल देखते हैं और कभी विजय कुमार गुप्ता देखते हैं। मौर्या टॉकीज से लगा हुआ सायकल स्टैंड और कैंटीन है। कैंटीन और सायकल स्टैंड को चलाने के लियेठेका दिया जाता है। सायकल स्टैंड का पहले से अभिमन्युसिंह को दिया गयाथा और उसके बाद राजप्पन को दिया गयाथा। इसके पश्चात् सायकल स्टैंड का ठेका अवधेश रॉय को दिया गयाथा। सायकल स्टैंड का ठेका देने के बाद उसका एग्रीमेंट तैयार किया जाता है।

2. अवधेश रॉय को सायकल स्टैंड ठेका देने के पहले इस संबंध में समाचार-पत्रों में निविदायें आमंत्रित की गई थी। समाचार-पत्रों में ज्ञापन के जरिये टेंडर आमंत्रित किया जाता है। जिस ठेकेदार का सबसे ऊंचा दर रहता है उसके बारे में मैं अपने मालिक सुनील अग्रवाल को बता देताथा और वे ही सायकल स्टैंड के ठेके का ठेके के संबंध में अंतिम निर्णय लेते थे। सितम्बर 91 में सायकल स्टैंड के लिये जो टेंडर बुलाये गयेथे उसमें अवधेश रॉय का कोई टेंडर नहीं था। उस दौरान जोटेंडर आयेथे उनकी प्रोसेस नहीं की गई थी।

3. प्रभुनाथ मिश्रा सुनील अग्रवाल के सिगरेट कंपनी के यूनियन से संबंधित हैं। प्रभुनाथ मिश्रा ने सुनील अग्रवाल से कहाथा कि उनके पास कोई आदमी है, जो सायकल स्टैंड को ठेके पर लेकर चलाने के लिये इच्छुक है। प्रभुनाथ मिश्रा से सुनील अग्रवाल ने कहा कि जो आदमी है उसे मौर्या टॉकीज भेज दो, ताकि वे सायकल स्टैंड के चलाने के शर्तों से वाकिफ हो जायें। मेरे पास अवधेश रॉय के साथ बलदेव, अभय सिंह और छोटू भी आयेथे। मेरी बातचीत अवधेश रॉय से हुई। 25,000/- रूपये माहवारी पर सायकल स्टैंड का ठेका तय किया गया। सायकल स्टैंड चलाने से संबंधित शर्तों को मैंने अवधेश रॉय को समझाया था। हम लोग सायकल स्टैंड का ठेका देते समय 2 महीने के किराये को जमा करवाते हैं।

4. सायकल स्टैंड का ठेका कोई निश्चित अवधि के लिये नहीं दिया जाता, यदि सायकल स्टैंड का काम ठीक से चलते रहता है तो उस ठेकेदार का काम आगे भी जारी रहता है। अवधेश राॅय ने 2 महीने का किराया 50,000/- रुपये जमा नहीं किया था, क्योंकि प्रभुनाथ मिश्रा ने सुनील अग्रवाल से पैसा जमा करने के लिये कुछ समय की मोहलत मांगा था। अवधेश राॅय ने सायकल स्टैंड का ठेका संभवतः 93 तक चलाया था। सायकल स्टैंड में अवधेश राॅय, बलदेव एवं छोटू रहते थे। प्रदर्श पी-314-सायकल पी-314
स्टैंड को ठेके पर देने का एग्रीमेंट है। इसके खाली स्थानों को स्याही द्वारा मैंने अपने हाथों से भरा है। इसके पेज क्र0-5 पर अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ब से बभाग पर हमारेटॉकीज के लेखापाल पोजूष कांति सपोईया के हस्ताक्षर हैं तथा स से स भाग पर अवधेश राॅय ने हस्ताक्षर किये हैं। पेज क्र0-5 में तारीख में जो सुधार किया गया है वह मेरे द्वारा ही किया गया है। यह एग्रीमेंट 30 सितम्बर 91 को निष्पादित किया गया है। स से स हस्ताक्षर के नीचे तारीख अवधेश राॅय ने ही लिखा है।

5. इस एग्रीमेंट को पुलिस के अधिकारी मुझसे ले गये थे। इसका जप्ती-पत्र बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-315 है, जिसके अ पी-315
से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस जप्ती के समय जप्ती-पत्र पर वेदनलाल शर्मा और चैनलाल प्रवार ने ब से ब और स से स भागों पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने जब प्रदर्श पी-314 का एग्रीमेंट जप्त किया तो उसके प्रत्येक पेज के पीछे भाग में मैंने और गवाहों ने हस्ताक्षर किये थे। प्रत्येक पेज के पीछे भाग में अ से अ हिस्से पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा गवाह वेदनलाल और चैनलाल प्रवार ने मेरे सामने ही प्रत्येक पेज के ब से ब और स से स भाग पर मेरे सामने ही हस्ताक्षर किये थे। जब तक पुलिस ने मुझसे एग्रीमेंट जप्त किये उस समय तक सायकल स्टैंड का किराया अवधेश राॅय ने जमा नहीं किया था। अवधेश राॅय उपलब्ध नहीं था।

6. अभियुक्त अवधेश राॅय, छोटू और बलदेव न्यायालय में उपस्थित हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह,
नवीन शाह.

7. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

8. कुछ नहीं।

[illegible]

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रभूषण एवं बलदेव.

9. यह बात सही है कि इस एग्रीमेंट में सुनील अग्रवाल और विजय कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह बात सही है कि पहले अभिमन्युसिंह ने और उसके बाद राजप्पन ने ठेका छोड़ दिया था। राजप्पन का किराया 19,000/- रूपयेथा और हमने किराया बढ़ाया जो 25,000/- रूपये तय हुआ और राजप्पन देने के लिये तैयार नहीं हुआ, अवधेश तैयार हो गया, इस कारण राजप्पन ने सायकल स्टैंड का ठेका छोड़ दियाथा। यह बात सही है कि मैंने या मेरे मालिकों ने अवधेश रॉय पर कोई मेहरबानी नहीं कियाथा, बल्कि उसने उचित दर पर ठेका लियाथा। इस संबंध में जितने भी निविदायें आई थी उसमें अवधेश रॉय का रेट 5,000/- रूपये अधिक था। यह बात सही है कि जिस दिन एग्रीमेंट जप्त हुआ उस दिन अर्थात 24-10-91 को सायकल स्टैंड का ठेका दिये हुये एक महीने नहीं हुयेथे, इसलिये उस समय तक अवधेश रॉय ने कोई रकम जमा नहीं किया। अवधेश रॉय यदि रकम जमा करता तो एक महीने बीतने के बाद ही जमा किया होता।

10. अभिमन्युसिंह ने सायकल स्टैंड का ठेका 15,000/- रूपये में लिया था। राजप्पन ने पहले ठेका 19,000/- रूपये में लिया था, जो कि बाद में घटकर 15,000/- रूपये हो गया था। यह बात सही है कि सायकल स्टैंड में कोई खास फायदा नहीं होताथा, इसलिये राजप्पन काठेका 19,000/- रूपये से घटाकर 15,000/- रूपये कर दिया गया था। मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी की हत्या के बाद कैलाशपति केडिया और उसके पुत्र नवीन केडिया ने अग्रिम जमानत लियेथे या नहीं।

11. यह बात सही है कि अवधेश रॉय को सायकल स्टैंड का ठेका चलाते हुये 2 या 3 दिन ही हुयेथे कि पुलिस उसे पकड़कर ले गई थी। बलदेव और चंद्रभूषण को भी पुलिस उठाकर ले गई थी। उसी के आसपास बलदेव और चंद्रभूषण को भी पुलिस ले गई थी। अंदाज से ये लोग एक साल तक निरोध में रहे। जब तक बलदेव और चंद्रभूषण को पुलिस ने नहीं पकड़ा था तब तक वे सायकल स्टैंड में आते थे। वे लोग सायकल स्टैंड में 2-3 दिन आये या कितने दिन तक आये यह मैं ठीक से नहीं बता सकता।

12. यह बात सही है कि पुलिस वाले मुझे पूछताछ के लिये ले गयेथे । बाद में सी0बी0आई0 वाले भी ले गये थे । पुलिस वाले करीब 2 महीने तक तक मुझे रोज ले जाते थे और शाम को छोड़ देते थे । सी0बी0आई0 वाले भी ले जाते थे और शाम को छोड़ देते थे । 2 महीने तक मैं अपना काम छोड़कर चला जाता था और शाम को आता था । मुझे थाने में भी रखते थे और विशाखापटनम हॉस्टल में भी रखते थे । यह बात सही है कि 2 महीने तक मैं ठीक से काम नहीं कर पाया और मेरा हर्जा भी हुआ । पुलिस वाले मेरा रोज-रोज बयान लेते थे । इसी तरह सी0बी0आई0 वाले भी मेरा रोजरोज बयान लेते थे । यह कहना गलत है कि सी0बी0आई0 वालों ने मुझे मारा-पीटा था । यह कहना गलत है कि अभी भी मैं सी0बी0आई0 के डर से ऐसा बयान दे रहा हूं । यह कहना गलत है कि सायकल स्टैंड में चंद्रबख्श और बलदेव कभी भी नहीं आये । अभय सिंह सिर्फ अवधेश राय के साथ पहले दिन आया था उसके बाद वह कभी भी नहीं आया ।

13. जब पिक्चर अच्छी चलती है तो सायकल स्टैंड भी अच्छा चलता है । यह मैं नहीं बता सकता कि महीने में पिक्चर कितने दिन अच्छी चलती है और कितने दिन ठीक से नहीं चलती है । यह बात सही है कि सायकल स्टैंड की आमदनी पिक्चर के अच्छे चलने और न चलने पर निर्भर है । यह बात सही है कि सायकल स्टैंड की आमदनी रोजाना होती है ।

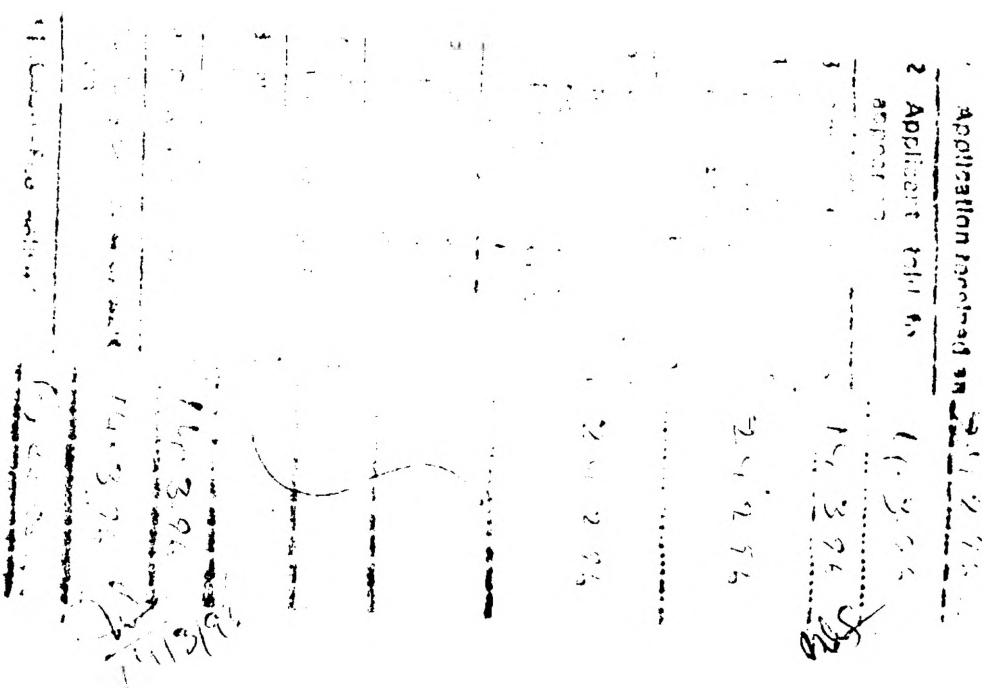

120 अभियोजन

23-2-96

40 वर्ष

डॉ0 दिलीप भालचंद्रवालकर
पैथालॉजिस्ट

श्री भालचंद्रवालकर
पंचशील चौक, वर्धा रोड, नागपुर.

शपथपूर्वक :-

1. मैंने नागपुर विश्वविद्यालय से सन् 81. में एम0डी0।पैथालॉजिस्ट। का कोर्स पास किया हूं। सन् 86 से मैं पैथालॉजी और ब्लड बैंक का कार्य 90 से कर रहा हूं। सन् 90-91 में मेरे पैथालॉजी में कुछ लोग स्वेच्छया से रक्त दान किया करते थे और कुछ लोक रकम लेकर रक्त दान करते थे। जो लोग खून की मांग करते थे उन्हें मैं खून की बिक्री भी करताथा। जो रक्तदाता रक्त देता है उसके खून के ग्रुप की जांच कर लेते हैं उसके बाद इस बात की भी जांच करते हैं कि उस रक्त में कोई संक्राणु किसी बीमारी का तो नहीं है। मैं रक्त को अपने लेबोरेटरी के ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करताथा। मैं जो रक्त एकत्र करताथा और जो बिक्री करताथा उसका रिकार्ड रखता हूं।

2 सन् 90-91 में जो व्यक्ति रक्त लेने के लिये आताथा उससे रक्त का ग्रुप पूछकर मिलान कर लेते थे उसके बाद उस ग्रुप का रक्त दे दिया करताथा। यदि कोई बाहर गांव से आताथा और किसी विशेष ग्रुप का रक्त मांगताथा तो बिना मैच किये ही उस ग्रुप का रक्त दे दिया करताथा उससे यह कह दिया जाताथा कि ब्लड ग्रुप का मैच कराना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा बहुत कम मामलों में होताथा। सन् 90-91 में जो व्यक्ति रक्त लेने के लिये आताथा उससे मरीज का नाम मैं पूछ लिया करताथा उसे मैं रजिस्टर में लिख लिया करताथा।

3. ब्लड इन्फरमेशन रिकार्ड प्रदर्श पी-316 है। यह मेरी लिखावट में पी-316 है। इसके अ से अ भाग पर रिमार्क कॉलम पर मेरे हस्ताक्षर हैं। डी0डबल्यू-91/2351 यह बॉटल का कोड नंबर है। इस बोतल का खून दिनांक 6-11-91 को मेरे पैथालॉजी में एकत्र किया गया था। इस रक्त का रक्तदाता मुकेश था। यह "ओ" आर0एच0पाजीटि ग्रुप का खून है।

4. दिनांक 7-11-91 को इस बोतल के खून को मरीज श्री सिंह के नाम से दिया जाना लिखा है। जहां तक मुझे याद है कि एक व्यक्ति आयाथा और बोला था कि उसके रिश्तेदार को "ओ" पॉजीटिव ग्रुप के खून की जरूरत है। मैंने उस व्यक्ति से ब्लड ग्रुप की मांग किया तो उसने कहा कि उसके पास अभी ब्लड ग्रुप नहीं है मैंने उससे कहा कि ब्लड ग्रुप का जांच कराने के बाद ही खून को मरीज को देना।

मैंने उस व्यक्ति से खून की कीमत 170 या 180/- रूपये लिया था । उस व्यक्ति ने रसीद नहीं मांगा था और मैंने दिया भी नहीं था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

5. यह बात सही है कि "ओ पाजीटिव ग्रुप का रक्त बहुत सामान्य ब्लड होता है, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं । मेरी पैथालॉजी शाम के 6.00 बजे से 8.30 बजे तक खुली रहती है, इसलिये वह व्यक्ति उसी दरम्यान बोतल लेकर गया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अ.अ0 ज्ञानप्रकाश अग्रवाल, अ0य, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

6. मुझे न्यायालय की जो समंस मिला है उसमें पेशी तारीख 23-2-96 है । मैं नागपुर से आया हूं । नागपुर से दुर्ग आने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता है । मैं 22-2-96 को दुर्ग आ गया था । साक्षी अब कहता है कि मैं रायपुर आ गया था । मैं रायपुर से आज सुबह लौटा हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही/-
।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

सही/-
।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

आस०२ प्रि० न्य०५१४४१ न्याय० कोर्ट

|2| अभियोजन

23-2-96.

26 वर्ष

विशम्भरदास मानिकपुरी
फोटोग्राफर

श्री रामेश्वरदास मानिकपुरी
भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं एशियन आर्ट स्टूडियो, भिलाई में फोटोग्राफर का काम करता हूं। यह स्टूडियो पुरानी भिलाई थाने के सामने है। पुलिसथाने में जब कोई फोटो खीचना हो तो मुझे बुलाया जाता है। फोटो थाना प्रभारी की सूचना पर खीचते हैं। फोटो के निगेटिव हम अपने पास ही रखते हैं और पाजीटिव तैयार करने के बादथाने में जमा कर देते हैं। जहां तक मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है यह फोटो मैंने 91 के शुरू-शुरू में लिया था। लिफाफा प्रदर्श पी-317 हमारी स्टूडियो का है।प्रदर्श पी-318 का पी-317
फोटो मेरे द्वारा खीचा गया है। प्रदर्श पी-318ए इसका निगेटिव है। इस पी-318
318ए
व्यक्ति को लॉकअप के बाहर खड़ा कर उसका फोटो खीचा गया था। मैंने यह फोटो थाना प्रभारी की सूचना पर खीचा था। फोटो खीचने का पैसाथाना प्रभारीने दिया था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पलटन मल्लाह का ही मैंने फोटो खीचा था। सी०बी०आई० के अधिकारी मुझसे निगेटिव और फोटोग्राफ ले गयेथे और इसकी कापी की रसीद मुझे दिया था। इसका जप्ती-पत्र/प्रदर्शपी-319 है। पी-319

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अ०क्र० मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

2. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अ०क्र० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकला एवं बलदेव.

3. यह बात सही है कि हमारे यहां फोटो खीचाने के लिये बहुत से लोग आते हैं और हम उनका रजिस्टर भी रखते हैं। फिर कुछ और रजिस्टर हम लोग इसलिये रखते हैं कि किस तारीख को फोटो खीचा गया और जब फोटो देने का अवसर आये तो ग्राहक को फोटो देने में सहूलियत हो। उस समय पुरानी भिलाई के थाना प्रभारीभालेकर थे। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-319 कीरसीद मैंने 7-1-92 को दिया है। मैंने फोटो पुलिस को पहले दे दिया था बाद में सी०बी०आई० वाले जब आये और निगेटिव मुझसे ले गये तब यह रसीद मैंने दिया था।

4. रसीद देने के पहले मुझे नहीं मालूम था कि फोटो किस व्यक्ति का है। बाद में मैं टी०वी०, पेपर में देखा तब जाना कि फोटो किस व्यक्ति का है। थाने में भी नाम ले रहे थे तब मुझे पता चला कि यह व्यक्ति पलटन मल्लाह है।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

5. आज की तारीख में इस स्टूडियो के मालिक आशिककुमार हैं। मैं करीब पिछले 9 वर्षों से इस स्टूडियो में काम कर रहा हूं। हमारे स्टूडियो में करीब 6 आदमी और हैं। मेरे अलावा उस स्टूडियो में एक फोटोग्राफर संतोषकुमार और है तथा इसके साथ मालिक आशिककुमार और नवीनकुमार भी फोटो खींचते हैं। काउंटर में मालिक बैठते हैं, मालिक बाहर चले जाते हैं तो मैं बैठता हूं।

6. यह स्टूडियो सुबह करीब 8.00 बजे खुलता है और रात के करीब 9.00 बजे तक खुला रहता है। मैं सुबह करीब 8-8.30 बजे आता हूं और अगर आउटडोर फोटोग्राफी का काम न रहे तो दोपहर 1.30 बजे तक स्टूडियो में रहता हूं, फिर खाना खाने के लिये चला जाता हूं और एक-डेढ़ घंटे बाद लौटकर आता हूं और रात के 9.00 बजे तक रहता हूं। यह बात सही है कि जब हमारे स्टूडियो में कोई ग्राहक फोटो खींचाने के लिये आता है तो उससे कुछ रकम एडवांस में लिया जाता है और उसे रसीद दी जाती है, जिसमें डिलवरी की तारीख होती है। यह बात सही है कि रसीद देखने से यह मालूम हो जाता है कि फोटो किस तारीख को खींची गई है और उसकी डिलवरी की तारीख क्या है। रसीद की कार्बन कापी हमारे स्टूडियो में रहती है।

7. पुलिस विभाग वाले थाने के अंदर या थाने के बाहर फोटो खींचने के लिये बुलाते हैं तो उनसे हम लोग एडवांस नहीं लेते हैं। पुलिस विभाग वाले जो फोटो खींचवाते हैं उसका फोटो खींचने का रसीद हम लोग काउंटर पर नहीं काटते हैं। यह बात सही है कि जो फोटो खींचा जाता है उसका रजिस्टर रखा जाता है, ताकि यह जाना जा सके कि आमदनी कितनी हुई है। जब वर्तमान मालिक आशिककुमार के पिता जीवित थे उस समय पुलिस वाले जब फोटो खींचने के लिये बुलाते थे तो हम लोग फोटो खींच दिया करते थे और पूरा हिसाब महीने के अंत में किया जाता था। यह बात सही है कि छोटे सेठ के आने के बाद फोटो का माहवारी हिसाब नहीं रखा जाता, बल्कि फोटो खींचने के बाद ही पुलिस विभाग व्दारा भुगतान हो जाता है और इसका इंद्राज रजिस्टर में किया जाता है। बड़े सेठ की मृत्यु हुये करीब

श्रीराम सिंह 16.3.98/2.8.06 दर्ज

7-8 महीने हो गये हैं । बड़े सेठ के जमाने में पुलिस वालों द्वारा माह के अंत में जो भुगतान किया जाता था उसके संबंध में रसीद काटा जाता था । इसे रजिस्टर में नहीं लिखते थे, बल्कि अलग से कागज में लिखते थे । स्टूडियो में रजिस्टर व रसीद पुराना होने पर जला देते हैं । 2 साल के बाद रजिस्टर व रसीद जला दिये जाते हैं । पुलिस वाले नगद भुगतान करते थे, इसलिये उनका रसीद नहीं काटते थे । जब स्टूडियो से बिल काटते थे तो भुगतान पूरा नहीं होता था, इसलिये बिल काटना बंद कर दिये और नगद भुगतान शुरू कर दिये ।

8, सामान्यत: जब ग्राहकों को तैयार करके फोटो दिया जाता है तो उस फोटो को लिफाफे में ही दिया जाता है । लिफाफे के ऊपर बिल बुक का नंबर लिखा जाता है, किंतु आउटडोर के आर्डर में यह नंबर नहीं लिखा जाता है । यह बात सही है कि इनडोर फोटोग्राफी के मामले में लिफाफे में जो नंबर लिखा रहता है उससे निगेटिव निकालने में आसानी होती है ।

9. यह बात सही है कि आउटडोर फोटोग्राफी वाले लिफाफे के आधार पर निगेटिव निकालने में बहुत समय लगता है, इसलिये हम लोग फोटो ही मंगा लेते हैं, ऐसा करने में भी बहुत समय लगता है ।

10. प्रदर्श पी-318 के 3 प्रिंट बने थे और थानेदार को दिये गयेथे । यह बात सही है कि पी-318 के फोटो पर हमारे स्टूडियो का कोई रबर-स्टैम्प नहीं है । इस फोटो के आगे या पीछे देखने से फोटो निकलने की कोई तारीख नहीं मालूम होती है । इस फोटो के आगे या पीछे मेरे कोई हस्ताक्षर भी नहीं हैं । यह बात भी सही है कि इस फोटो पर आगे या पीछे फोटोग्राफर संतोष या मेरे मालिकों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं । इसी तरह प्रदर्श पी-318ए के निगेटिव में हमारे स्टूडियो की सील, तारीख या फोटोग्राफ का नाम लिखा नहीं है । यह बात सही है कि मैं अपने याददाश्त के आधार पर यह बता रहा हूं कि प्रदर्श पी-318 का फोटो भिलाई-3 के थानेदार के कहने पर खींचाथा । इस 3 प्रिंट का चार्ज 20/- रुपयेथा । यह चार्ज मैंने थानेदार से प्राप्त किया था ।

11. बाद में सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे निगेटिव का एक केबिनेट साईज का |4इंचx6इंच| का फोटो बनवाया था । फोटो बनाने के बाद मैंने फोटो और निगेटिव

सी0बी0आई0 वालों को दे दिया था । सी0बी0आई0 वालों से मैंने केबिनेट साईज के फोटो का चार्ज 8/- रुपये लिया था । इस मामले में अभियुक्त के फोटो के निगेटिव लेने के लिये/सी0बी0आई0 वाले आये थे उनके साथ पुरानी भिलाई के थाना प्रभारी ने फोटो का प्रिंट भिजवा दिया था । (ये प्रिंट बनवाने के लिये)

थाने से प्रदर्श पी-318 के साईज का एक फोटो निगेटिव बनवाने और केबिनेट साईज का प्रिंट बनाने के लिये मेरे पास भेजा गया था । यह फोटो थाने से किस तारीख को मेरे पास भेजा गया था उसका तारीख और महीना मैं नहीं बता सकता । मैंने 8/- रुपये प्राप्त करने का रसीद नहीं बनाया था । अब साक्षी कहता है कि उसको रसीद मैंने दिया था । मैंने रसीद सी0बी0आई0 के ऑफिसर को दिया था इसका भुगतान थानेदार ने किया था । निगेटिव से पाजीटिव बनाने की जो रसीद काटी जाती है उसके नीचे कार्बन नहीं लगाया जाता । मैं 8/- रुपये की रसीद देने का तारीख, महीना, साल नहीं बता सकता । मैंने थानेदार को जो 3 प्रिंट दिया था वह प्रदर्श पी-317 के लिफाफे में दिया था । ऐसी बात नहीं है कि 3 प्रिंट का चार्ज मैंने 15/- रुपये लिया था । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-317 के लिफाफे में रकम के जगह 15/- रुपये लिखा है । साक्षी कहता है कि यह लिफाफा उसने सी0 बी0आई0 वालों को निगेटिव देते समय दिया था । मैंने थानेदार को जो 3 प्रिंट लिफाफे में दिया था वह लिफाफा थानेदार ने रख लिया था और बाद में एक फोटो बिना लिफाफे के मेरे पास भेजा गया था । जब मैं निगेटिव का केबिनेट साईज का फोटो बनाया तो उसे लिफाफे में भरकर सी0बी0आई0 को दिया था ।

8. निगेटिव वापस करने के मैंने 5/- रुपये लिया था । इसके साथ ही एक पासपोर्ट साईज का और प्रिंट बनाया गयाथा और थानेदार ने इकट्ठा 15/- रुपये दिया था । इस तरह पी-317 में 15/- रुपये का हिसाब आता है । यह बात सही है कि इस लिफाफे में आर्डर नं0, बुकिंग डेट, डायरेक्ट और अमाउंट प्रिंटेड हैं, किंतु वे कोरे रखे गये हैं । लिफाफा देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि सी0बी0आई0 वालों को केबिनेट साईज की फोटो, पासपोर्ट साईज की फोटो और निगेटिव किस तारीख को दिये गयेथे । इस लिफाफे के पीछे भाग में लिखावट हमारे स्टूडियो के नौकर ईश्वरदास के हस्तलिपि में है ।

9. ग्राहकवालों को फोटो का जो प्रिंट दिया जाता है उसके लिफाफे में रजिस्टर का नंबर नहीं लिखा जाता है । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-317 के लिफाफे में एप्रायन पैंटस के ऊपर जो संख्या कटा हुआ है वह

आरक्षित प्रि-...

21589। है, जो कि लाल स्याही से लिखा हुआ है। बाद में इसे नीले स्याही से काटा गया है। सी00बी0आई0 वालों को केबिनेट साईज के फोटो के साथ निगेटिव अपने हाथ से दिया था। लालस्याही से 21589। संख्या जो लिखा था उसे मैंने नहीं काटा है। किसने काटा है मैं नहीं बता सकता। यह नंबर वह संख्या नहीं है, जो रजिस्टर में होगा।

10. यह बात सही है कि प्रदर्श पी-318 का यदि कोई प्रिंट लाकर दे तो उसके आधार परभी निगेटिव बनाया जा सकता है। प्रिंट को देखकर कोई भी फोटोग्राफर निगेटिव बनाया जा सकता है। किंतु कापिंग फोटोग्राफ और ओरिजनल फोटोग्राफ में अंतर पता चल जाता है। निगेटिव में आसानी से ऐसा अंतर पता चलना कठिन रहता है।

11. यह बात सही है कि हमारे स्टूडियो से थाना 60-70 कदम दूर है। यह कहना गलत है कि मैंने जनवरी 91 में कोई फोटो नहीं खींचा था। साक्षी कहता है कि इस निगेटिव में भिलाई थाने का स्वीच बोर्ड दिख रहा है। यह बात सही है कि स्वीच बोर्ड में भिलाईथाना लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। जहां पर थाने के लॉकअप का लॉक लगता है वह स्थान भी इस निगेटिव में दिख रहा है। यह बात सही है कि पुरानी भिलाई थाने के लॉकअप में जो गेट है उसमें 4-4, 5-5 इंच की दूरी पर लंबाई में रॉड लोहे के लगे हुये हैं। प्रदर्श पी-318 में मैंने उस व्यक्ति का फोटो लॉकअप के गेट के बाहर खड़े करके लिया था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-318ए के निगेटिव में लॉकअप का कोई रॉड नहीं दिख रहा है। प्रदर्श पी-318 के प्रिंट में कोई रॉड नहीं दिख रहा है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-318 के पाजीटिव को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि इस व्यक्ति का फोटो थाने के लॉकअप के बाहर खड़े करके खींचा गया है।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया।
मेरे निर्देशन पर टंकित।

[टी0के0झा]	[टी0के0झा]
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग [म0प्र0]	दुर्ग [म0प्र0]

अभियोजन साक्षी क्र० 16 ... प्रदर्श पी-

122 अभियोजन

सत्र प्र०क्र०:- 333/92

23-2-96

42 वर्ष

श्री मोहनसिंह गुर्जर
पचमढ़ी,

महेन्द्रसिंह पटेल
रिसेप्शनिस्ट
नीलांबर होटल, पचमढ़ी.

शपथपूर्वक :-

1. पचमढ़ी में नीलाम्बर होटल में तहसील ऑफिस से 1/2 कि०मी० दूर है। इस होटल को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ।साडा। चलाती है। मैं इस होटल में सन् 87 से काम कर रहा हूं। यह होटल शासन के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत है। जो यात्री हमारे होटल में आता है उसके रजिस्टर में इंद्राज या तो यात्री कर देता है या हम लोग कर देते हैं। यात्री यह बता देता है कि उसे किस नंबर का कमरा चाहिये और उसके साथ कितने लोग हैं। इस रजिस्टर को हम लोग एलाटमेंट रजिस्टर कहते हैं। उस रजिस्टर में यात्री का आने का स्थान, तारीख और समय तथा राष्ट्रीयता लिखी जाती है। इंद्राज होने के बाद रजिस्टर में यात्री ही अपना हस्ताक्षर करते हैं। यात्री को जितना दिन रुकना रहता है उसका करीब अंदाजन किराया रकम हम लोग एडवांस में ले लेते हैं। जाने के समय जाने की तारीख और समय लिखा जाता है। जाते समय पर्यटक ही हस्ताक्षर करता है। यात्री के जाते समय हिसाब करके बिल बनाया जाता है। रसीद दो प्रतियों में कार्बन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। उस समय जो रिसेप्शनिस्ट ड्यूटी पर रहता है वह रसीद बनाता है। मूल बिल पर्यटक को दे दी जाती है और कार्बन कापी हमारे पास ही रहती है। बिल में पर्यटक के हस्ताक्षर लेते हैं। इसके पश्चात पर्यटक को मनी रसीद दिया जाता है। मनी रसीद कार्बन प्रक्रिया से दो प्रतियों में बनाई जाती है। मूल प्रति पर्यटक को दे दी जाती है और कार्बन प्रति हमारे पास रहती है।

2. हमारे होटल में टेलीफोन की सुविधा है। यदि बाहर टेलीफोन करना हो तो एक्सचेंज से बुक करके हमारे होटल से टेलीफोन किया जाता है। यदि किसी यात्री को बाहर टेलीफोन करना हो तो वह रिसेप्शन पर आता है और बताता है कि किस स्थान पर और किस फोन नंबर पर वह बात करना चाहता है। इसका इंद्राज फोन नंबर रजिस्टर में किया जाता है। एक्सचेंज वालों से बिल पूछकर पर्यटक से उसी समय बिल ले लिया जाता है।

3. हमारे होटल में 6 कमरे हैं।

4. चेक टाईम दोपहर के 12.00 बजे है । यह बात सही है कि हमारे होटल में बिल बुक, रसीद, रजिस्टर हमारे कार्यालय से प्रदाय किये जाते हैं । रजिस्टर को उप-कार्यपालन अधिकारी सत्यापित करते हैं ।प्रदर्श पी-320 हमारे होटल का एंट्री रजिस्टर है, जिसमें कुल 196 पेज हैं । इसके प्रथम एवं अंतिम पेज को उप-कार्यपालन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है । इसके पहले और अंतिम पेज पर मेरेभी अ से अभागों पर हस्ताक्षर हैं । इसके प्रत्येक पेज में होटल का नाम नीलाम्बर लिखा हुआ है । इस रजिस्टर में पेज नंबर 103 तक ही इंद्राज है । पेज क्र0- 78-79 में एंट्री क्र0- 155 पर दिनांक 5-10-91 को 1.30 बजे दोपहर-अभयकुमार सिंह का आने का उल्लेख है । वे लोग कुल 3 आदमी थे । उस समय ड्यूटी पर मैं था । यह इंद्राज चौकीदार शंकरलाल ठाकुर के द्वारा किया गया है । जिस समय यह इंद्राज किया गया उस समय मैं रकम जमा करने के लिये कार्यालय गया था । इस इंद्राज के अनुसार पर्यटक को 3 और 4 नंबर का कमरा आबंटित किया गया था । दोनों कमरे दिनांक 6-10-91 को खाली कर दिये गयेथे । इसका बिल मैंने बनाया है । इस इंद्राज के समय मैं बिल बनाकर काउंटर पर रख गयाथा और ऑफिस चला गया था । पर्यटक ने बतायाथा कि वे लोग एक कमरे को खाली कर रहे हैं, चूंकि दोनों कमरे एक साथ आबंटित किये गयेथे, इसलिये दोनों कमरे के खाली करने का बिल एक साथ बना दिया गया था । पी-320

5. हस्ताक्षर वाले कंडिका में पर्यटक जिस समय आता है उस समय हस्ताक्षर करता है । मैं यह नहीं बता सकूंगा कि इंद्राज क्र0-155 में दिनांक और जाने का समय जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है । पर्यटक के हस्ताक्षर मेरे सामने नहीं किये गये हैं ।

6. बिल नंबर 58 ।प्रदर्श पी-321। मेरे द्वारा बनाया गया है । यह बिल बुक साडा की प्रिंटेड बुक है । यह बिल बुक साडा का सामान्य बिल बुक है, इसलिये युनिट के नाम के आगे नीलाम्बर पर्यटक आवास लिखा गया है । बिल बनाने वाले के स्थान पर जो हस्ताक्षर हैं वे मेरे हैं, जो अ से अभाग पर हैं । इस बिल बुक का नंबर 325 है । यह बिल रजिस्टर के इंद्राज नंबर 155 से संबंधित है, जो अभयकुमार सिंह के नाम पर काटा गया है । इस बिल बुक पर पर्यटक ने मेरे सामने हस्ताक्षर नहीं कियाथा, क्योंकि मैं इसे काउंटर पर रखकर ऑफिस चला गयाथा । पी-321

7. प्रदर्श पी-322 मनी रसीद बुक है। रसीद नंबर 81 मेरे पी-322 द्वारा बनाया गया है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर अ से अभाग पर हैं, जो 6-10-91 को बनाया गया है। यह रसीद पर्यटक अभयकुमार सिंह के नाम पर बनाई गई है। इस रसीद में 262/- रुपये 50 पैसे लिये गये हैं। यह रकम दिनांक 5-10-91 से 6-10-91 के लिये दो कमरों के लिये लिया गया है। यह रसीद रजिस्टर के इंद्राज क्रमांक- 155 से संबंधित है, जिसमें कमरे नंबर 3 और 4 का किराया लिया गया है। रसीद को मूल पर्यटक को दी गई थी और रसीद बुक में उसकी कार्बन कापी रह गई है।

8. दिनांक 6-10-91 को दो कमरा खाली करने के बाद पर्यटक अभयकुमार सिंह ने कमरा नंबर 3 लिया और उसमें दो आदमी रहे। रजिस्टर प्रदर्श पी-320 के पृष्ठ क्र0-78-79 के इंद्राज क्र0- 156 पर दिनांक 6-10-91 को दो आदमियों के नाम पर कमरा नंबर 3 आबंटित किया गया था। वे लोग दिनांक 9-10-91 के 11.00 बजे दिन तक रहे। इंद्राज क्र0- 156 मेरी लिखावट में है। उसमें पर्यटक ने मेरे सामने हस्ताक्षर नहीं किया था। जाने के समय का तारीख, हस्ताक्षर पर्यटक द्वारा किया गया है, उस समय मैं मौजूद नहीं था। इंद्राज क्र0- 155 पर जो टोटल राशि मेरे द्वारा लिखा गया है और उसमें रसीद नंबर भी मेरे द्वारा लिखा गया है। इंद्राज क्र0- 156 की लिखावट मेरी नहीं है, बल्कि उमेश बंसल रिसेप्सनिस्ट के हैं।

9. बिल नंबर 59 प्रदर्श पी-321। उमेश बंसल की लिखावट में है। यह रसीद 9-10-91 को बनाई गई है। मैं उमेश बंसल के लिखावट से परीचित हूं। यह बिल दिनांक 6-10-91 से 9-10-91 तक की अवधि के लिये बनाया गया है। मूल प्रति पर्यटक को दी गई है। यह कमरा नंबर 3 से संबंधित है। इस रसीद में पर्यटक ने जिस समय हस्ताक्षर किया उस समय मैं उपस्थित नहीं था। मैं उमेश बंसल के हस्ताक्षर से अच्छी तरह परीचित हूं। इसके अ से अ भाग पर उमेश बंसल के हस्ताक्षर हैं।

10. प्रदर्श पी-322 के रसीद क्र0- 82 उमेश बंसल की लिखावट में है। अ से अभाग पर उसी के हस्ताक्षर हैं। मूल प्रति पर्यटक को दी गई थी। हमारे होटल का टेलीफोन नंबर 2039 है। प्रदर्श पी-323 का टेलीफोन बिल पी-323 हमारे होटल को टेलीफोन विभाग द्वारा दिया गया है। दिनांक 9-10-91 को टेलीफोन क्र0- 38501 दुर्ग को फोन किया गया है।

11. हमारे होटल का एडवांस रजिस्टर प्रदर्श पी-324 है । इसमें पी-324 एडवांस, टेलीफोन, बर्तन और गैस के बारे में इंद्राज किया जाता है । इस रजिस्टर के पेज नंबर-64 पर टेलीफोन के बारे में इंद्राज किया जाता है । दिनांक 9-10-91 को कमरा नंबर 3 के बारे में टेलीफोन किये जाने का जो इंद्राज है वह मेरे व्दारा किया गया है । इसका चार्ज 45/- रूपये लिया गया है । इसका पैसा रसीद क्रमांक- 82 से बिल के साथ में जमा किये गयेथे । प्रदर्श पी-321 के रसीद में । बिल में । [illegible] क्र0- 59 व्दारा दुर्ग के लिये जो टेलीफोन किया गयाथा उसका चार्ज 45/- रूपये लिया गया है । इसमें टेलीफोन नंबर 3854 और दुर्ग दोनों लिखा है । प्रदर्श पी-324 के पेज क्र0- 3 से 46 तक एडवांस देने का इंद्राज है । पेज क्र0-41 पर रूम नंबर 3 और 4 के बारे में अजयकुमार सिंह के नाम से एडवांस का जो इंद्राज है वह मेरे व्दारा किया गया है । मैंने इसमें तारीख 5-9-91 लिखा है, जो गलत है, जो कि 5-10-91 होना चाहिये । उसके नीचे दि0 6-10-91 को अजयकुमार सिंह के नाम से कमरा नंबर 3 के संबंध में जो इंद्राज है वह मेरे व्दारा किया गया है और उसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । दिनांक 5-9-91 के उपर वाली इंद्राज 30-9-91 की है । 5-9-91 गलती से लिखा गया है ।

12. एस0के0 बेम्बे हमारे होटल के उपयंत्री और प्रबंधक थे । उनके हस्ताक्षर से मैं परीचित हूं । सी0बी0आई0 अधिकारी एस0के0 बेम्बे से दिनांक 28-11-91 को हमारे होटल के ये रिकार्ड ले गयेथे । जप्ती-पत्र प्र पी-325 के अ से अ भाग पर तथा ब से ब भाग पर बेम्बे के हस्ताक्षर हैं ।

नोट :- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0झा।	।टी0के0झा।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।	दुर्ग ।म0प्र0।

आरआर 1/4 - 1065/2012 आ० कोर्ट

नोट:- चायकाल पश्चात साक्षी को पुन: शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया।

शपथपूर्वक :-

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 प्रमोद शाह, नवीन शाह.

13. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांतशाह.

14. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश अवधेश, अभय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

15. मैं 4थी पास हूं। मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूं। पर्यटक लोग अंग्रेजी में जो नाम लिखे रहते हैं उसको मैं पढ़ लेता हूं, किंतु अंग्रेजी में बयान देना या बोलना मैं नहीं कह सकता। यह बात सही है कि बाहर से जो लोग हमारे होटल में आते हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। हो सकता है कि कोई छद्म नाम से भी हमारे होटल में ठहर सकता है। जिस नाम से व्यक्ति ठहरेगा हम समझेंगे ठहरने वाले व्यक्ति का नाम है।

16. यह बात सही है कि एडवांस रजिस्टर प्रदर्श पी-324 में दिनांक 9-10-91 को जो दुर्ग टेलीफोन किया गया है उसमें दुर्ग का टेलीफोन नंबर नहीं लिखा है। यह बात सही है कि रजिस्टर में भरते समय दुर्ग का टेलीफोन नंबर मुझे मालूम नहीं था। हमारे होटल से साडा कार्यालय करीब 2 फर्लांग दूर है। मैं उसी साडा कार्यालय में एंट्री क्र0-155-156 के समय गया हुआ था। यह बात सही है कि पर्यटक के आते-जाते समय मैं होटल में हाजिर नहीं था। आते-जाते:- होटल में आने और होटल से जाने के समय।

17. सी0बी0आई0 वालों ने मेरा बयान लिया था। मैंने हिंदी में बयान दिया था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-320 के रजिस्टर के इंद्राज क्र0-160 पर 6 व्यक्ति ठहरे हैं और छहों का नाम लिखा है। इंद्राज क्र0-166 में भी दो व्यक्तियों के ठहरने वाले के नाम लिखे हैं। यह बात सही है कि इंद्राज क्र0-155 एवं 156 में अभयकुमार सिंह और उसके नीचे ए0के0 सिंह लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक आदमी का नाम अभयकुमार सिंह और दूसरे का नाम ए0के0 सिंह था।

18. मैंने सी0बी0आई0 वालों को यह बता दिया था कि प्रदर्श पी-320 के रजिस्टर के इंद्राज क्र0-155 में कुल प्राप्त राशि मेरे लिखावट में है और शेष इंद्राज तथा इंद्राज क्र0-156 उमेश बंसल के हैं । मैंने ऐसा नहीं बताया था कि सारे बिल मेरे द्वारा ही बनाये गये हैं । मैंने प्रदर्श डी-44 का अ से अ का बयान डी-44 ।इंटरपर बिल ------- बाई मी। नहीं दिया था । यदि ऐसा लिखा है तो सी0बी0आई0 ने अपनी मर्जी से लिखा है । यदि बिल काटते समय कार्बन में अगर पन्ना चिपक जाये तो जो पन्ना छूट जायेगा उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं । इस तरह यदि भूल होती है तो मूल और कार्बन कापी बिल उसी में रह जायेगी । अभी मुझे नहीं मालूम कि डी-44के मेरे बयान में क्या लिखा है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

11. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । | मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0झा। | ।टी0के0झा।

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, | द्वितीय अति0 स0 न्यायाधीश,

दुर्ग ।म0प्र0। | दुर्ग ।म0प्र0।

123 अभियोजन

24-2-96

39 वर्ष

श्री शोभितसिंह
जगदलपुर.

एस0एन0 सिंह
सहायक क्षेत्रीय परिव
अधिकारी.

शपथपूर्वक :-

1. अक्टूबर 91 में मैं आर0टी0ओ0 कार्यालय, दुर्ग में परिवहन निरीक्षक के पद पर पदस्थ था । संभवतः सन् 92 में दुर्ग से मेरा ट्रांसफर हो गया था । क्षेत्रीय परिव। अधिकारी के कार्यालय में सभी मोटर यान के रजिस्ट्रेशन के कागजात रखे जाते हैं । मैं आज अपने साथ वाहनों के रजिस्ट्रेशन का अभिलेख लाया हूं । रजिस्टर ऑफ मोटरव्ही ।मोटरव्हीकल्स। में एम0पी0 24बी-6622 टेम्पो ट्रेव्हलर है और उसका रजिस्ट्रेशन मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0, 33बी लाईट इंडस्ट्रीयल, भिलाई है । इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 5-3-91 को हुआ है । आज दिनांक को भी इस रजिस्टर में उक्त वाह ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0 के नाम पर है । वाहन के स्वामी को सार्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है । प्रदर्श पी-326 रजिस्ट्रेशन की फोटोकापी है, जो पी- आर0टी0ओ0 कार्यालय से जारी किया गया है ।

2. एम0पी0 24बी-1707 बजाज स्कूटर है और इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 26-10-90 को दीपक खुराना के नाम पर किया गया है । सन् 94 में उक्त स्कूटर आनंदकुमार के नाम पर ट्रांसफर हो गया है ।

3. जब मैं दुर्ग में परिवहन निरीक्षक था तो उस दौरान वहां क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर आर0के0 त्रिवेदी कार्य कर रहे थे । मैं आर0के0 त्रिवेदी के हस्ताक्षर व लिखावट से अच्छी तरह परीचित हूं ।

4. हमारे कार्यालय से पुलिसथाना भिलाईनगर से वाहनों के बारे में जानकारी मांगी गईथी । इसी पत्र के पीछे आर0के0 त्रिवेदी ने वाहन क्रमांक- एम0के0आर0-16, एम0पी0 24बी-6622, एम0पी0 24बी-1707 के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी दिये है । इस पत्र में यह लिखा है कि फियेट कार क्रमांक-एम0पी0 23-7736 की जानकारी/इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । यह पत्र प्रदर्श पी-327 है, जिसके अ से अभाग पर आर0के0 त्रिवेदी पी-327 के हस्ताक्षर हैं । वाहन क्रमांक- एम0पी0टी0-7971 का रजिस्ट्रेशन खदान मजदूर संघ, राजहरा के नाम पर है । इसका पत्र परिवहन निरीक्षक चौहान के हस्ताक्षर से जारी किया गया है । मैं चौहान के हस्ताक्षर से भलीभांति परीचित हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह,
नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

आरटि [illegible]

[illegible]

123 अभियोजन

24-2-96

39 वर्ष

एस०एन० सिंह

श्री शोभितसिंह
जगदलपुर.

सहायक क्षेत्रीय परिवहन
अधिकारी.

शपथपूर्वक :-

1. अक्टूबर 91 में मैं आर०टी०ओ० कार्यालय, दुर्ग में परिवहन निरीक्षक के पद पर पदस्थ था । संभवतः सन् 92 में दुर्ग से मेरा ट्रांसफर हो गया था । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में सभी मोटर यान के रजिस्ट्रेशन के कागजात रखे जाते हैं । मैं आज अपने साथ वाहनों के रजिस्ट्रेशन का अभिलेख लाया हूं । रजिस्टर ऑफ मोटरव्हीकल्स (मोटरव्हीकल्स) में एम०पी० 24बी-6622 टेम्पो ट्रेवलर है और उसका रजिस्ट्रेशन मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा० लि०, 33बी लाईट इंडस्ट्रीयल, भिलाई है । इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 5-3-91 को हुआ है । आज दिनांक को भी इस रजिस्टर में उक्त वाहन ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा० लि० के नाम पर है । वाहन के स्वामी को सार्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है । प्रदर्श पी-326 रजिस्ट्रेशन की फोटोकापी है, जो पी-आर०टी०ओ० कार्यालय से जारी किया गया है ।

2. एम०पी० 24बी-1707 बजाज स्कूटर है और इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 26-10-90 को दीपक खुराना के नाम पर किया गया है । सन् 94 में उक्त स्कूटर आनंदकुमार के नाम पर ट्रांसफर हो गया है ।

3. जब मैं दुर्ग में परिवहन निरीक्षक था तो उस दौरान वहां क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर आर०के० त्रिवेदी कार्य कर रहे थे । मैं आर०के० त्रिवेदी के हस्ताक्षर व लिखावट से अच्छी तरह परीचित हूं ।

4. हमारे कार्यालय से पुलिसथाना भिलाईनगर से वाहनों के बारे में जानकारी मांगी गईथी । इसी पत्र के पीछे आर०के० त्रिवेदी ने वाहन क्रमांक- एम०के०आर०-16, एम०पी० 24बी-6622, एम०पी० 24बी-1707 के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी दियेथे । इस पत्र में यह लिखा है कि फियट कार क्रमांक-एम०पी० 23-7736 की जानकारी/इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । यह पत्र प्रदर्श पी-327 है, जिसके अ से अभाग पर आर०के० त्रिवेदी पी-321 के हस्ताक्षर हैं । वाहन क्रमांक- एम०पी०टी०-7971 का रजिस्ट्रेशन ब०माइंस मिक्स लेम, राजहरा के नाम पर है । इसका पत्र परिवहन निरीक्षक चौहान के हस्ताक्षर से जारी किया गया है । मैं चौहान के हस्ताक्षर से भलीभांति परीचित हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० फूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

नं0:- 123 अभियोजन सत्र प्र0प्र0:- 233/92

2

9. यह बात सही है कि वाहनों में इंजिन नंबर और चेसिस नंबर खुदे हुये होते हैं । यदि इंजन नंबर और चेसिस नंबर को काफी समय तक लोहे के आरी से रगड़ा जाये तो वह मिटभी सकता है । यह बात सही है कि यदि वाहन का इंजन नंबर और चेसिस नंबर घिसकर मिटा दिया जाये और उस वाहन में रजिस्ट्रेशन का प्लेट न लगा हो तो गाड़ी के मालिक को पहचानना बहुत मुश्किल होगा । यह बात सही है कि इंजिन नंबर और चेसिस नंबर पर कागज लगाकर उसे शीशे से घिसना चाहिये और जो कागज में नंबर का जो इम्प्रिंट आये उसे रजिस्टर के कॉलम नंबर 12 में चिपकाना चाहिये । यह बात सही है कि इस तरह कागज पर जो प्रिंट निकाला जायेगा वह चोरी हुई गाड़ियों को पहचानने में सहायक होगा । यह बात सही है कि वाहन क्र0- एम0पी0 24बी-1707 के कॉलम नंबर 12 में उस वाहन के चेसिस का इम्प्रिंट वाला कागज नहीं लगा है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
(टी0के0झा)	(टी0के0झा)
द्वितीय अति0सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)